लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड 43, 1965/1887 (शक)

Volume XLIII, 1965/1887 (Saka)

(3 से 11 मई, 1965 तक/13 से 21 वैशाख, 1887 (शक)
May 3 to 11, 1965/Vaisakha 13 to 21, 1887 (Saka))

Preservation
27-5-92
Fumigated
20.12.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, 1965/1886-87 (शक)
Eleventh Session, 1965/1886-87 (Saka)

खण्ड 43 में अंक 51 से 57 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 51 to 57

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI**

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

738 (Ai) L.S.—1-A.

विषय-सूची

अंक 53, बुधवार, 5 मई, 1965 / 15 वैशाख, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1168	फोर्ट कोचीन में पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु	5003--05
1170	स्कूलों तथा कालेजों में उत्पादनशील श्रम	5005--09
1171	"डीम्ड विश्वविद्यालय"	5009--11
1172	व्हिटले परिषदें	5011--15
1173	मद्रास तेल शोधनशाला	5015--17
1174	सरकारी कर्मचारियों तथा लोक प्रतिनिधियों के बीच सम्बन्ध	5017--20
1175	गोआ	5021--25
1177	पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का भारी संख्या में आना	5025--28

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

13

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
1169	नागा विद्रोही	5028
1176	भारतीय खान स्कूल, धनबाद	5028
1178	हूवर-टाइप आयोग बनाना	5029
1179	अजन्ता तथा एलोरा के चित्र	5029
1180	दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह	5029—30
1181	कच्छ में ट्रांसमिटरों का पकड़ा जाना	5030
1182	कूच-बिहार में पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी . . .	5030—31
1183	केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसन्धान संस्था, रुड़की	5031—32
1184	केरल में मद्य निषेध	5032
1185	नागा विद्रोहियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला . .	5032

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 53—Wednesday, May 5, 1965/Vaisakha 15, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Question Nos.	Subject	PAGES
1168	Death of a Person in Police Custody at Fort Cochin	5003–05
1170	Productive Labour in Schools and Colleges	5005–09
1171	Deemed Universities	5009–11
1172	Whitley Councils	5011–15
1173	Madras Refinery .	5015–17
1174	Relationship between Government, Servants and People's Representatives	5017–20
1175	Goa . . .	5021–25
1177	Exodus of Minorities from East Pakistan	5025–28

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
1169	Naga Hostiles	5028
1176	Indian School of Mines, Dhanabd	5028
1178	Setting up of Hoover-type Commission	5029
1179	Paintings at Ajanta and Ellora	5029
1180	Pakistani Spy Ring in Delhi	5029–30
1181	Seizure of Transmitters in Kutch	5030
1182	Pak. Firing in Cooch-Behar	5030–31
1183	Central Building Research Institute, Roorkee	5031–32
1184	Prohibition in Kerala	5032
1185	Attack by Naga Hostiles on Police Station	5032

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
1186	चीनी साहित्य का पकड़ा जाना	5033
1187	सप्रू हाउस में श्वासरोधक गैस की घटना	5033–34
1188	सहारनपुर में पाकिस्तानी ट्रांसमिटर	5034–35
1189	दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा	5035
1190	रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से तेल	5035
1191	सरकारी कर्मचारी ग्राचरण नियम	5036
1192	एवरेस्ट पर्वतारोहण	5036–37
1193	ग्रखिल भारतीय न्याय सेवा	5037
1195	कच्छ में छिद्रण कार्य	5038
1196	राजनीतिक सत्ताधारी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें	5038
1197	ग्रान्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बीच सीमा विवाद	5039

ग्रतारांकित प्रश्न संख्या		
3047	ग्रध्यापक प्रशिक्षण कालेज, उड़ीसा	5039
3048	शिक्षा सम्बन्धी यात्राग्रों के लिये ग्रनुदान	5039–40
3049	समाज शिक्षा साहित्य	5040
3050	विदेशों में सांस्कृतिक कार्य	5040
3051	"बृहत् कोचीन विकास योजना"	5040–41
3052	त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल जेल में नजरबन्द व्यक्तियों से व्यवहार	5041
3053	कण्णूर सेन्ट्रल जेल	5041
3054	कण्णनूर में क्रीड़ागण	5041
3055	एरणाकुलम क्रीडांगण	5042
3056	मद्रास उच्च-न्यायालय	5042
3057	पश्चिम हिमालय पर्वतारोहण विद्यालय, मनाली	5042
3058	क्रीड़ांगणों का निर्माण	5042–43
3059	भारतीय कोल्ट्स क्रिकेट टीम	5043
3060	प्राथमिक स्कूलों के ग्रध्यापक	5043
3061	महाराष्ट्र में लड़कियों की शिक्षा	5043
3062	महाराष्ट्र में प्राथमिक स्कूलों की इमारतें	5044
3063	महाराष्ट्र में विज्ञान मन्दिर	5044
3064	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सहकारी उपभोक्ता स्टोर	5045

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
1186	Seizure of Chinese Literature	5033
1187	Choking Gas Incident in Sapru House	5033-34
1188	Pak. Transmitter in Saharanpur	5034-35
1189	Administrative Set-up of Delhi	5035
1190	Oil from Rupee Payment Countries	5035
1191	Government Servants Conduct Rules	5036
1192	Everest Expedition	5036-37
1193	All India Judicial Service	5037
1195	Drilling Operation in Kutch .	5038
1196	Complaints against Persons in Political Authority .	5038
1197	Border Dispute between Andhra Pradesh and Orissa .	5039
Unstarred Question Nos.		
3047	Teachers Training Colleges, Orissa	5039
3048	Grants for Education Tours	5039-40
3049	Social Education Literature	5040
3050	Cultura Activities Abroad .	5040
3051	Greater Cochin Development Scheme	5040-41
3052	Treatment to Detenas in Central Jail, Trivandrum	5041
3053	Canannoore Central Jail	5041
3054	Stadium in Canannoore	5041
3055	Ernakulam Stadium	5042
3056	Madras High Court . . .	5042
3057	Western Himalayan Mountaineering College, Manali	5042
3058	Construction of Stadia	5042-43
3059	Indian Colts' Cricket Team	5043
3060	Primary School Teachers	5043
3061	Girls' Education in Maharashtra	5043
3062	Primary School Buildings in Maharashtra	5044
3063	Vigyan Mandirs in Maharashtra .	5044
3064	Central Government Employees Co-operative Consumers Stores	5045

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3065	आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर खाली भूमि	5045
3066	"पुज्जोलाना" सम्बन्धी परिसम्वाद	5045–46
3067	भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध दीवानी के मुकद्दमे	5046
3068	मलयाली समाचार पत्र द्वारा गुप्त पत्र का प्रकटीकरण	5046–47
3069	नेहरू स्मारक	5047
3070	दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी का अध्ययन	5047
3071	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	5047–48
3072	पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक	5048
3073	कास्टिक सोडे का भाव	5048–49
3074	हिन्दी का प्रचार	5049–50
3075	प्रशासनिक सुधार	5050
3076	तरल नाइट्रोजन आक्सिजन संयंत्र	5050–51
3077	भारतीय प्रशासन सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप	5051
3078	विश्वविद्यालयों में उपाधि पाठ्यक्रम	5051–52
3079	स्वर्गीय श्री कैरों की अस्थियों का समर्पण	5052
3080	शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन	5052
3081	इतिहास का अध्यापन	5052–53
3082	अधिकारियों का केन्द्रीय पूल	5053
3083	वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये धन	5054
3084	सारिडन का निर्माण	5054–55
3085	दण्डकारण्य में उद्योगों का विकास	5055
3086	नगरों के नामों को बदलना	5055
3088	इण्टरनेशनल कन्फेड्रेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन के प्रतिवेदन में मानचित्र	5056
3089	केन्द्रीय मेकेनिकल इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था	5056
3090	कालेज आफ आर्टस, दिल्ली	5057
3091	दिल्ली प्राशासन	5057
3092	रोश कम्पनी की भारत विरोधी गतिविधियां	5057–58
3093	प्रानोहिता पनबिजली योजना का सर्वेक्षण	5358
3094	थाना में रसायनिक कारखाना	5058–59

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
3065	Vacant Land on Assam-East Pakistan Border	5045
3066	Symposium on "Puzzolana"	5045–46
3067	Civil Suits Against Ex-Rulers	5046
3068	Disclosure of Confidential Letter by Malayalam newspaper	5046–47
3069	Nehru Memorial	5047
3070	Study of Punjabi in Delhi Schools	5047
3071	Higher Secondary Education in Delhi	5047–48
3072	Meeting of Eastern Zonal Council	5048
3073	Prices of Caustic Soda	5048–49
3074	Propagation of Hindi	5049–50
3075	Administrative Reforms	5050
3076	Liquid Nitrogen Oxygen Plant	5050–51
3077	Corruption Charges against an I.A.S. Official	5051
3078	Degree Courses in Universities	5051–52
3079	Surrender of Assets of Late Shri Kairon	5052
3080	Education Ministers' Conference	5052
3081	Teaching of History	5052–53
3082	Central Pool of Officers	5053
3083	Funds for Scientific Research	5054
3084	Manufacture of Saridon	5064–55
3085	Development of Industries in Dandakaranya	5055
3086	Changing of Names of Cities	5055
3088	Map in the Report of I.C.F.T.U.	5056
3089	Central Mechnical Engineering Research Institute	5056
3090	College of Arts, Delhi	5057
3091	Delhi Administration	5057
3092	Anti-Indian Activities by Roche Company	5057–58
3093	Survey for Pranohita Hydro-Electric Schemes	5058
3094	Chemical Factory at Thana	5058–59

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3095	कैरों हत्या का उद्देश्य	5059
3096	मैसूर राज्य के अधिकारी	5059-60
3097	हिन्दी परीक्षायें	5060
3098	इंडियन फोउण्डेशन ऑफ पूना . .	5061
3099	भारत के सीमावर्ती गांव में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	5061-62
3100	कंजरकोट पर पाकिस्तानियों का आक्रमण	5062
3101	शरणार्थियों का पुनर्वास .	5062
3102	भारत-अमरीका के बीच अध्यापकों का आदान-प्रदान	5062
3103	कोक्कर कोयला	5063
3104	दिल्ली में हत्या की घटनाएं	5063
3105	नौकरी करने वाली महिलाओं सम्बन्धी सर्वेक्षण	5064
3106	केरल लोक सेवा आयोग	5064
3107	कलकत्ता में दंगे	5064-65
3108	भावनगर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धाम परिषद् का यूनिट	5065
3109	शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप	5065
3110	पंडित नेहरू की बरसी .	5065-66
3111	गुजरात में पाकिस्तानियों द्वारा निश्चित अवधि से अधिक समय तक रहना	5066
3112	राष्ट्रीय जीव-विज्ञान अनुसंधान संस्था	5066
3113	राष्ट्रीय खेलकूद संस्था, पटियाला	5066-67
3114	दिल्ली में शराब की नई दुकानें	5067
3115	दिल्ली पालीटेकनिक द्वारा बनाई गई मूर्तियां .	5067-68
3116	एक तिब्बती की गिरफ्तारी	5068-69
3117	गनोल में शरणार्थी शिविर	5069
3118	अध्यापकों की कमी	5069
3119	श्री अ० क० गोपालन के पत्र	5069-70
3120	हल्दिया तेल शोधनशाला	5070
3121	दिल्ली में नामपटों पर कोलतार पोतना	5070-71
3122	कालेज आफ आर्ट्स, दिल्ली	5071

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
3095	Motives behind Kairon Murder	5059
3096	Officers of Mysore State .	5059–60
3097	Hindi Examinations . .	5060
3098	Indian Foundation of Poona . .	5061
3099	Pak Intrusion into Indian Border Village	5061–62
3100	Attack by Pakistanis on Kanjarkot Post	5062
3101	Rehabilitation of Refugees	5062
3102	Indo-US Exchange of Teachers	5062
3103	Coking Coal	5063
3104	Murder Cases in Delhi	5063
3105	Survey of Employed Women	5064
3106	Kerala Public Service Commission	5064
3107	Calcutta Riots	5064–65
3108	CSIR Unit at Bhavnagar	5065
3109	Educational Activities	5065
3110	Death Anniversary of Pandit Nehru	5065–66
3111	Pakistanis overstaying in Gujarat . .	5066
3112	National Biological Research Institutes . . .	5066
3113	National Institute of Sports, Patiala	5066–67
3114	New Wine Shops in Delhi .	5067
3115	Status made by Delhi Polytechnic .	5067–68
3116	Arrest of a Tibetan . .	5068–69
3117	Refugee Camp at Ganol	5069
3118	Shortage of Teachers .	5069
3119	Letters addressed by Shri A. K. Gopalan	5069–70
3120	Haldia Refinery	5070
3121	Painting of Coaltar on Sign boards in Delhi	5070–71
3122	College of Arts, Delhi	5071

738 (Ai) LS—1.

प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
3124	बहिता हवाई अड्डे पर चीनियों की गिरफ्तारी	5071—72
3125	सैक्शन अफसरों को चुनी हुई सूची	5072
3126	गृह-निर्माण सहकारी संस्थायें	5072—73
3127	गृह-निर्माण सहकारी संस्थायें .	5073—74
3128	सहकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन	5074
3129	पाठ्य पुस्तकों का निम्न स्तर .	5074—75
3130	चालवाड़ा केरल में सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर प्रहार .	5075
3131	केरल जल परिवहन निगम के कर्मचारी	5075—76
3132	अशोधित तेल का आयात	5076
3133	तैराकी शिक्षकों को प्रशिक्षण	5076—77
3134	पाकिस्तानियों द्वारा अतिचार	5077—78
3135	पैट्रो-रसायन परियोजनायें	5078
3136	डाक द्वारा माध्यमिक शिक्षा	5078—79
3137	दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन विज्ञान शिविर	5079
3138	भारतीयों को गुरिल्ला युद्ध-प्रणाली का प्रशिक्षण देने के चीनी षड़यन्त्र	5079
3139	केरल में अध्यापकों का स्थानान्तरण	5079—80
3140	गांवों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण	5080
3141	राजस्थान का मुख्य मंत्री	5080
3142	तंजौर के निकट भूमि में कटाव	5080—81
3143	उड़ीसा में नये विश्वविद्यालय	5081
3144	जिला गजेटियर	5081
3145	आसाम पूर्वी पाकिस्तान सीमा	5081—82
3146	दिल्ली विश्वविद्यालय	5082
3146-क	राजभाषा के रूप में उर्दू	5082
3146-ख	महाराष्ट्र में अनुसूचित क्षेत्र	5083
3146-ग	नरेला बस्ती का विस्तार	5083
3146-घ	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कल्याण	5084

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

असम में अरुणाचल और सिलचर के बीच रेल की पटरी पर विस्फोट	5084—88
श्री हुकम चन्द कछवाय	5084
श्री हाथी	5084—88

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
3124	Arrest of Chinese Spies .	5071-72
3125	Select List of Section Officers .	5072
3126	House Building Co-operative Societies	5072-73
3127	House Building Co-operative Societies .	5073-74
3128	Allotment of land to Co-operative Societies	5074
3129	Low Standard of Text-Books . . .	5074-75
3130	Assault on Public Workers at Chalavara, Kerala	5075
3131	Kerala Water Transport Corporation Employees	5075-76
3132	Import of Crude Oil .	5076
3133	Training of Swimming Coaches	5076-77
3134	Trespass by Pakistanis	5577-78
3135	Petro-Chemical Projects .	5078
3136	Secondary Education by Post .	5078-79
3137	Summer Science Camp in South India .	5079
3138	Chinese Plot for Training Indians in Guerilla Warfare	5079
3139	Posting of Teachers in Kerala	5079-80
3140	Socio-economic Survey of Villages	5080
3141	Chief Minister of Rajasthan .	5080
3142	Land Fissure near Tanjore	5080-81
3143	New Universities in Orissa .	5081
3144	District Gazetteers	5081
3145	Assam-East Pakistan Border .	5081-82
3146	Delhi University	5082
3146-A	Urdu as Official Language	5082
3146-B	Scheduled Areas in Maharashtra	5083
3146-C	Expansion of Narela Township	5083
3146-D	Welfare of Central Govt. Employees .	5084

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 5084-88

Explosion on Railway Track between Arunachal and Silchar in Assam

Shri Hukam Chand Kachhavaiya 5084

Shri Hathi 5084-88

विषय	पृष्ठ
कच्छ सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में	5088–89
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	5089
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छियासठवां प्रतिवेदन .	5089
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन	5089
वित्त विधेयक, 1965	5090—5170
खण्ड 2 से 83 और 1 तथा पहली से तीसरी अनुसूचियां .	5090—5159
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	5159—69
श्री ति० त० कृष्णमाचारी .	5159, 5169–70
श्री रंगा .	5159–60
श्री ही० ना० मुकर्जी	5163–64
श्री हरिश्चन्द्र माथुर . .	5164–65
डा० राम मनोहर लोहिया .	5165—68
श्री ओंकार लाल बेरवा . . .	5169
कच्छ-सिन्ध सीमा पर स्थिति सम्बन्ध में वक्तव्य . . .	5160—63
श्री लाल बहादुर शास्त्री	5160—63

Subject	PAGES
Re : Statement about Kutch . . .	5088-89
Papers laid on the Table	5089
Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
Sixty-sixth Report . .	5089
Joint Committee on offices of Profit—	
Third Report	5089
Finance Bill, 1965	5090-5170
Clauses 2 to 83 and 1 and First to Third Schedules .	5090-5159
Motion to pass, as amended . . .	5159-69
Shri T. T. Krishnamachari . . .	5159, 5169-70
Shri N. G. Ranga	5159—60
Shri H. N. Mukerjee	5163-64
Shri Harish Chandra Mathur	5164-65
Dr. Ram Manohar Lohia	5165-68
Shri Onkar Lal Berwa	5169
Statement re : situation on Kutch-Sind Border	5160-63
Shri Lal Bahadur Shastri	5160-63

738 (ai) L.S.—1-C

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार, 5 मई, 1965/15 वैशाख, 1887 (शक)

Wednesday, May 5, 1965/Vaisakha 15, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

फोर्ट कोचीन में पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मृत्यु

+
*1168. { **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री कोया : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में फोर्ट कोचीन में एक अस्पताल में 17 अप्रैल, 1965 को कुंजु मुहम्मद नामक एक व्यक्ति पुलिस की हिरासत में मर गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या इस घटना की कोई जांच की गई है ; यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ;

विवरण

चिकित्सा शास्त्रियों के मतानुसार मृत्यु का कारण रक्त स्राव तथा जिगर में जबर्दस्त चोट थी, जो शरीर के उस भाग पर ठोकर या ताकत के इस्तेमाल से लगी होगी। मामले की जांच खुद पुलिस महानिरीक्षक ने की और उन्होंने आदेश दिया था कि चारों सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों अर्थात् एक उपनिरीक्षक, एक मुख्य आरक्षक तथा दो आरक्षकों पर मुकदमा चलाया जाय। चारों कर्मचारी निलम्बित कर दिये गये हैं और मामले की जांच की जा रही है।

श्री वारियर : इस तथ्य को देखते हुए कि विवरण से यह स्पष्ट है कि यह स्वभाविक मृत्यु नहीं बल्कि पुलिस की हिरासत में हत्या की गई थी और इस विचार से कि उस स्थान के लोगों में बहुत क्षोभ है और सभी दलों ने न्यायिक जांच की मांग की है, क्या सरकार मामले की जांच करके राज्य सरकार को आदेश देगी कि वह इस मामले की न्यायिक जांच करवाए ?

श्री हाथी : विवरण में यह बताया गया है कि इन सब व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जायेगा और मुकदमा न्यायिक जांच से अधिक होता है।

श्री वारियर : जब मुकदमा चलाया जाता है तो परिणाम कुछ भी निकल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : इससे और अच्छी न्यायिक जांच क्या हो सकती है ?

श्री वारियर : इससे सम्बन्धित और भी मामले हैं।

श्री शिंकरे : क्या उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है।

श्री हाथी : मुकदमा धारा 302 के अन्तर्गत चलाया जा रहा है।

श्री वारियर : इस तथ्य को देखते हुये कि जब से राज्य का प्रशासन केन्द्र के हाथ में आया है, इस प्रकार पुलिस द्वारा यंत्रणा के मामलों में वृद्धि हो रही है। क्या सरकार ने इसे एकदम रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है और जिससे लोगों की आशंकाएं दूर हो जायं ?

श्री हाथी : मैं इसे स्वीकार नहीं करता कि यातना के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाया जा रहा है और निर्णय के फलस्वरूप जो कार्यवाही आवश्यक समझी जायेगी अर्थात् यदि इन में से कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता पड़ी, वह की जायेगी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जो कार्यवाही अपेक्षित होगी, वह की जायगी।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि भारत में, विशेषत: पंजाब में, प्रति वर्ष पुलिस हिरासत में कई व्यक्तियों की बिना कारण मृत्यु हो जाती है और यदि हां, तो क्या सरकार इसमें उपयुक्त जांच करवाने को तैयार है . . .

अध्यक्ष महोदय : हम केरल के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके लिये केन्द्र सरकार उत्तरदायी है।

श्री कपूर सिंह : यह राज्य तो केवल विशाल भारत का एक छोटा सा अंग है ।

श्री वासुदेवन नायर : एक व्यक्ति, जिस पर परिवार का पूर्ण भार था, को पुलिस हिरासत में लिया गया और अगले दिन उसकी वहां मृत्यु हो गई और विवरण से स्पष्ट है कि यह मृत्यु घावों के फलस्वरूप हुई थी । क्या सरकार उसके परिवार को प्रतिकर देने के प्रश्न पर विचार करेगी और क्या अधिकारियों के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना आई है ? मैं इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं ।

श्री हाथी : केन्द्र सरकार का रवैया यह है कि यदि इन अधिकारियों ने अपने कर्त्तव्यों से बाहर कार्य किया है और वे दोषी हैं तो इन पर मुकदमा चलाया जाय और उन्हें दण्ड दिया जाय । जहां तक दूसरा प्रश्न है, मेरे पास कोई सूचना नहीं है । मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री कोया : जब से केरल का प्रशासन केन्द्र के हाथ में आया है, पुलिस हिरासत में यंत्रणा के मामलों में वृद्धि हुई है । क्या सरकार ने इस बात की जांच की है ?

श्री हाथी : मैंने इसका उत्तर पहले दे दिया है ।

Productive Labour in Schools and Colleges

*1170. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 700 on the 16th September, 1964 and state:

(a) whether the Committee appointed by the Central Advisory Board of Education to work out a detailed scheme for the introduction of productive labour in schools and colleges has since submitted its report; and

(b) if so, the broad outline of the recommendations made by it and Government's reaction thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The Committee has not submitted any report. It has, however, suggested some general principles for introducing productive work in schools which are:—

(i) Productive work should be introduced in all schools;

(ii) The programme of primary education should be largely based on the Orientation programme towards the Basic pattern;

(iii) At the middle school stage, the teaching of a craft should be compulsory and it should be taught by specialised teachers and provision should be made for good tools. Emphasis at this stage should be more on the production of articles of daily use rather than on the routine teaching of crafts as such;

(iv) At the secondary stage, a craft should be compulsory up to the end of Class X;

(v) It would be worthwhile to introduce the activity of camps on a large scale in secondary schools.

The matter has been referred to the Education Commission for advice.

Shri M. L. Dwivedi: In the statement placed on the Table, the hon. Minister told that the Committee did not submit any report but only made certain recommendations. I want to know whether the Committee was asked to give a detailed report in the terms of reference of the Committee, if not, why were its recommendations referred to the Education Commission and whether the Ministry itself was not competent to take a decision?

श्री मु० क० चागला : समिति अपना प्रतिवेदन पूरा नहीं कर सकी । समिति की दो बैठकें हुईं और जो कुछ उन्होंने सोचा उसको कार्य रूप में परिणत करने का वह प्रयत्न कर रहे हैं । हमने सोचा कि हमें शिक्षा आयोग से अधिक विस्तृत प्रतिवेदन मिल सकेगा ।

Shri M. L. Dwivedi: Before the opinion of the Education Commission is received, whether the Ministry is trying to start the productive labour scheme in schools in the Centrally administered areas; if so, what is that scheme?

श्री मु० क० चागला : जी हां । मैंने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यह हमारी दृढ़ नीति है कि उत्पादनशील शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बने और आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बगैर हम इस सिद्धान्त को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Shri M. L. Dwivedi: I had asked about the territories administered by the Centre, which has not been replied to.

श्री मु० क० चागला : केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के बारे में हमारा दायित्व और भी अधिक है और मैं यह आश्वासन देता हूं कि जिन क्षेत्रों के लिये हम उत्तरदायी हैं उनमें उत्पादनशील शिक्षा को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि प्राथमिक स्तर पर जिन दस्तकारियों की शिक्षा दी जाती है उनको मिडिल और माध्यमिक स्कूलों में जारी नहीं रखा जाता और यदि यह ठीक है, तो इसे जारी रखने के लिये क्या कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री मु० क० चागला : मैं निःस्संकोच स्वीकार करता हूं कि बुनियादी शिक्षा अथवा उत्पादनशील शिक्षा को जिस प्रकार कार्यान्वित किया जाना चाहिये था उस प्रकार नहीं की गई । हम इस ओर काफी ध्यान दे रहे हैं । हम गांधी जी के इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं

कि हमें श्रम और शारीरिक श्रम को हीन भावना से नहीं देखना चाहिये और बच्चों को समाज के लिये उपयोगी वस्तुयें बनानी चाहिये, अतः हम इस ओर काफी ध्यान दे रहे हैं ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : पाठशालाओं में उत्पादन कार्य आरम्भ करने के लिये समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया परन्तु कुछ सिद्धान्तों की सिफारिश की है । इससे पहले कि इनको कार्यान्वित किया जाय, क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया को मालूम कर लिया गया है ?

श्री मु० क० चागला : हाल ही में बंगलौर में विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक शिक्षा निदेशकों की एक बैठक हुई थी और इस विषय पर अनौपचारिक रूप से विचार किया गया था और सभी सहमत थे कि सभी प्रगतिशील देशों में उत्पादन कार्य शिक्षा का अभिन्न अंग है और बालकों को न केवल बुनियादी दस्तकारी सिखाई जाती थी बल्कि शारीरिक कार्य के प्रति ठीक रवैया भी सिखाया जाना चाहिये । इस बैठक में यह सुझाव दिया गया कि यद्यपि इस विषय पर रिपोर्ट देने के लिये जिस समिति की नियुक्ति की गई थी उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया परन्तु इसने जो सुझाव दिये हैं उसके आधार पर कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा सकता है । अतः सब सर्वसम्मत हैं कि यह सुझाव इस विषय के लिये उपयुक्त हैं ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : जब माननीय मंत्री 'उत्पादनशील' का शब्द प्रयोग करते हैं तो इससे उनका अर्थ आर्थिक उत्पादन से है अथवा शैक्षिक उत्पादन से अर्थात् आर्थिक पहलू को अधिक महत्व दिया जायेगा अथवा शैक्षिक पहलू को ?

श्री मु० क० चागला : प्रत्येक युवक तथा युवती में रचनात्मक कार्य करने की इच्छा होती है और बालक को रचनात्मक कार्य करने में शिक्षा सहायक सिद्ध होनी चाहिये। यह शिक्षा का एक पहलू है । हमें देश के आर्थिक पहलू की ओर ध्यान देना चाहिये और हमें उसे ऐसी वस्तु के उत्पादन की शिक्षा देनी चाहिये जो देश के काम भी आ सके ।

श्री कन्डप्पन : विवरण में यह कहा गया है कि मिडिल स्कूल के स्तर तक दस्तकारी का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिये और प्रशिक्षित अध्यापकों को पढ़ाना चाहिये । दस्तकारी के प्रशिक्षण को अनिवार्य रखते हुए क्या सरकार इस बात का ध्यान भी रखेगी कि दस्तकारी आधुनिक तथा उपयोगी होनी चाहिये और कातने की तरह पुरानी नहीं होनी चाहिये ?

श्री मु० क० चागला : मैं पूर्णतयः सहमत हूं । किसी भी स्कल में जब इस प्रकार की दस्तकारी सिखाई जायेगी तो वह उस स्थान के लिये उपयोगी होगी जहां वह स्कूल स्थित है ।

Shri Yashpal Singh: Has the Ministry under consideration any scheme to produce men like Jagdish Chandra Basu and Arvind Bose and to pay attention to body-building and character-building of the students for this purpose, besides starting the scheme of productive labour?

श्री मु० क० चागला : मुझे विश्वास है कि हमारा देश इतना बड़ा है कि अगली पीढ़ी में इसमें अरविंद घोष जैसे कई व्यक्ति पैदा हो सकते हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : यहां पर भी यही प्रश्न है कि समिति इसकी जांच कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार के विषय पर जो "देशमुख समिति" की रिपोर्ट थी उसका क्या हुआ ? उस रिपोर्ट के बारे में हमने बहुत कुछ सुना था । क्या सरकार इस समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही है ?

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न में इसका कोई सवाल ही नहीं उठता । परन्तु मैं उनको आवश्यक सूचना दे दूंगा । यह प्रश्न उस समिति के बारे में है जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय श्री कैरों थे । इसकी दो बैठकें हुई थीं । यह प्रश्न इस समिति के बारे में है और न कि किसी और समिति के बारे में जो डा० देशमुख की अध्यक्षता में थी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has it come to the knowledge of the hon. Minister that the statues made by the students of the Arts College, Delhi are sold away in large numbers by the principal and other officials, thus misusing the art of the students and Government funds?

श्री मु० क० चागला : मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता । मेरे विचार में कोई भी प्रिंसिपल ऐसा काम नहीं करता । परन्तु यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कुछ सूचना दें तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : जब गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा आरम्भ की थी तो उसका सिद्धान्त था "अध्ययन के साथ काम करो और काम के साथ अध्ययन करो" । जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री विद्यालंकार ने कहा क्या वर्तमान पद्धति से गड़बड़ी नहीं होगी, और यदि हम उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन का विचार अपनायेंगे तो क्या यह हमारे पहले प्रयास को हानि नहीं पहुंचायेगा कि "अध्ययन के साथ-साथ काम करो और काम के साथ-साथ अध्ययन करो" ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा के बारे में मेरा विचार है कि यह सर्वांगी शिक्षा होनी चाहिये और रचनात्मक उत्पादिता और साहित्यिक कार्य का सम्मिश्रण होना चाहिये । एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिये, सोचना चाहिये और रचनात्मक काम करना चाहिये । शिक्षा के इन सब पहलुओं को संयोजित करने में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार ने यह अनुभव भी किया है कि हमारी शिक्षा पद्धति में उत्पादक श्रम लाने से वैसा ही बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा जैसा कि हमारी सेना पर पड़ा है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । सेना का यहां उल्लेख क्यों किया जा रहा है ।

श्री कपूर सिंह : वास्तव में यही हुआ है । सशस्त्र सेनाओं में इस सिद्धान्त के लागू करने से 1962 में जो कुछ हुआ उस के रूप में हमें बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा है । मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि हमारी शिक्षा पद्धति में भी इस प्रकार की चीज हो सकती है और सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है जो लोगों पर ऐसे सनकी विचार थोप रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ओर अवश्य ध्यान दूंगा ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : इन पाठ्यक्रमों से प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर क्या सफलता प्राप्त हो सकेगी ? यदि कोई युवक माध्यमिक शिक्षा पास कर लेता है तो क्या वह इन दस्तकारियों द्वारा कुछ कमा सकता है ?

श्री मु० क० चागला : माध्यमिक स्तर के उपरान्त हम ऐसी पाठशालायें बनाना चाहते हैं जहां ऐसे पाठ्यक्रम होंगे कि छात्रों को कालेजों और विश्वविद्यालयों में जाने के बजाय उन्हीं पाठशालाओं में ऐसी दस्तकारियां सिखाई जायेंगी कि पाठशाला छोड़ने के उपरान्त वे जीवन निर्वाह कर सकें ।

Shri Sheo Narain: I want to know the names of the members of this Committee and their terms of reference and the time by which their report will be finalised?

श्री मु० क० चागला : इस समिति के अध्यक्ष श्री कैरों की मृत्यु के कारण इसको समाप्त कर दिया गया है । इसी कारण यह विषय शिक्षा आयोग को सौंप दिया गया है ।

"डीम्ड विश्वविद्यालय"

+

*1171. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीन "डीम्ड विश्वविद्यालय" खोलने का विचार है जिन के साथ ग्रामीण संस्थाओं को सम्बद्ध किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) ये विश्वविद्यालय कहां कहां खोले जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

ग्रामीण संस्थाओं में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात को दृष्टि में रखते हुये, यह प्रस्तावित किया गया है कि उन्हें तीन संस्थाओं के निर्वाचक एककों के रूप में क्षेत्रानुसार वर्ग बद्ध कर लिया जाये, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम के खण्ड 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझे जायें । प्रस्तावित "डीम्ड विश्वविद्यालय" के मुख्यालय बिचपुरी, गांधी ग्राम तथा वर्धा में होंगे । "डीम्ड विश्वविद्यालयों" की स्थापना से सम्बन्धित

अन्य विवरणों तथा संविधान आदि को निश्चित करने के लिये ग्रामीण संस्थाओं के निदेशकों से बातचीत चल रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियम के खण्ड 3 द्वारा अपेक्षित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार जान लेने के बाद, उन्हें स्थापित करने का काम ऐसी मौजूदा ग्रामीण संस्थाओं के साथ किया जाएगा जो निर्वाचक एककों के रूप में इनमें शामिल होने को तैयार हैं।

Shri Yashpal Singh: I have my own fears that the qualifications of these Universities as also the persons studying therein may not remain deemed. What action Government are taking in this direction?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : "डीम्ड विश्वविद्यालय" से क्या अभिप्राय है ?

श्री कपूर सिंह : श्रीमान्, यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि "डीम्ड विश्वविद्यालय" का क्या अर्थ है ? व एक सामान्य विश्वविद्यालय से किस प्रकार से भिन्न हैं ? इस स्पष्टीकरण के पश्चात् ही हम अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जब उनको पुकारा न जाये क्या उनको प्रश्न रखना चाहिये ?

श्री मु० क० चागला : इस शब्द के लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं ; यह इसी प्रकार दिया गया है । मैं यह बता दूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में यह विशेष रूप से व्यवस्था की गई है कि सरकार एक अधिसूचना द्वारा किसी भी संस्था को "डीम्ड विश्वविद्यालय" घोषित कर सकती है । एक विश्वविद्यालय और "डीम्ड विश्वविद्यालय" में जो अन्तर मैं समझता हूं वह यह है विश्वविद्यालय से अभिप्राय सार्वदेशिकता से है जैसा इसके नाम से स्पष्ट है। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें विभिन्न विद्या-विभाग (फैकल्टीज़) होने चाहियें तथा इस में सारे भारत से प्रोफेसर तथा विद्यार्थी अध्ययन कर सकते हों। "डीम्ड विश्वविद्यालय" का स्वरूप कुछ सीमित होगा जैसे ग्रामीण संस्थान जहां एक विशेष विषय ही पढ़ाया जाता है । एक विश्वविद्यालय में तथा "डीम्ड विश्वविद्यालय" में अन्तर है । "डीम्ड विश्वविद्यालय" में वह सार्वदेशिकता नहीं है जो एक विश्वविद्यालय में है ।

अध्यक्ष महोदय : जब भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित करना होता है तो एक कानून पास करना पड़ता है ।

श्री मु० क० चागला : हां, श्रीमान् । इस मामले में कोई कानून पास नहीं करना पड़ता। यह एक अधिसूचना के द्वारा किया जाता है ।

Shri Yashpal Singh: May I know why the subject of education is not being taken seriously and when will they be accorded equal status according to the charter?

श्री सुबोध हंसदा : मैं जानना चाहूंगा कि किन बुनियादी बातों को ध्यान में रख कर इन तीन विश्वविद्यालयों को विवरण में दिये गये तीन स्थानों पर रखा गया है ?

श्री मु० क० चागला : योजना यह है । हम ने ग्रामीण संस्थाओं को तीन क्षेत्रों में बांट दिया है--पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र, । प्रत्येक क्षेत्र से हमें एक ऐसा केन्द्र चुनना था जो मुख्यालय की तरह काम करे । फिर उस क्षेत्र में

किसी भी संस्थान को विश्वविद्यालय में शामिल होने के लिये चुने गये संस्थान के साथ सहयोग करने अथवा स्वतंत्र करने की छूट दी जाती है । एक विशेष क्षेत्र में इन संस्थानों के समूह से एक "डीम्ड विश्वविद्यालय" बनेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह लिखा है कि प्रस्तावित "डीम्ड विश्वविद्यालय" के मुख्यालय बिचपुरी, गांधीग्राम तथा वर्धा में होंगे । यदि मैंने मंत्री महोदय को ठीक सुना है तो उन्होंने यह कहा कि मुख्यालय दक्षिण, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रों में होंगे। क्या मैं जान सकता हूं कि इन तीन क्षेत्रों में ये तीनस्थान किस आधार पर चुने गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : मुझे निर्णय करना था तथा मैंने अपनी समझ से अच्छे से अच्छा निर्णय किया । । अच्छी तरह सोच विचार कर तथा हर पहलू को ध्यान में रख कर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि ये तीन स्थान इन तीन क्षेत्रों के लिये उपयुक्त मुख्यालय होंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत : बिचपुरी कहां है ?

श्री मु० क० चागला : बिचपुरी आगरा के निकट है गांधीग्राम दक्षिण में है और मैं समझता हूं कि वर्धा कहां है यह सबको मालूम होना चाहिये । ये तीन स्थान हैं । मैं इस सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस से उस क्षेत्र के अन्य ग्रामीण संस्थानों के स्तर अथवा गरिमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मुख्यालय के लिये नहीं चुने गये हैं । किसी न किसी को तो मुख्यालय के लिये चुनना ही था और इस तरह अन्य संस्थान असन्तुष्ट तो होंगे ही । मुझे एक निर्णय करना है और कोई भी निर्णय करूं कोई न कोई अवश्य अप्रसन्न होगा ।

Shri M. L. Dwivedi: I find from the statement laid on the Table of the House that deemed Universities will not have the same legal status as other Universities have. I want to know the standard of recognition to be granted to the degrees conferred by these deemed Universities and the status in life of the students or scholar passing out of them?

श्री मु० क० चागला : "डीम्ड विश्वविद्यालय" को एक लाभ यह है कि वे डिग्रियां प्रदान कर सकेंगे । इस समय ग्रामीण संस्थाओं की यह शिकायत है कि 'डिप्लोमा' देने के अतिरिक्त वे डिग्रियां प्रदान नहीं कर सकते । उनको "डीम्ड विश्वविद्यालय" के रूप में मान्यता देने से, उन्हें डिग्रियां देने की अनुमति होगी । अतएव, ग्रामीण संस्थाओं से उतीर्ण होने वाले व्यक्तियों को पहले से अधिक अच्छा तथा ऊंचा स्तर प्राप्त होगा ।

व्हिटले परिषद्

+

*1172. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्री मुथिया :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्हिटले परिषद बनाने के निर्णय

को क्रियान्वित करने का अब अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस असाधारण बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). इस योजना की क्रियान्विति अभी विचाराधीन है । कर्मचारी संगठनों में से कुछ ने योजना के बा रे में कतिपय प्रश्न उठाये थे । उनके साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।

श्री स० मो० बनर्जी : बातचीत बिल्कुल निर्विघ्न चल रही है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक अगले महीने तक अर्थात् जून, 1965 तक इस योजना के क्रियान्वित होने की संभावना है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य को मालूम है कि इस काम में हम कितनी गंभीरता से व्यस्त हैं । कल ही प्रतिरक्षा उद्योग के मजदूर संघ के साथ एक बैठक हुई थी जिस में माननीय सदस्य भी उपस्थित थे । परसों हम ने डाक तथा तार मजदूर संघ की एक बैठक बुलाई थी तथा 7 तारीख को हम रेलवे मजदूर संघ को बुला रहे हैं । अतएव, हम यथासंभव भरसक प्रयत्न कर रहे हैं । आखिरकार यह ऐसे मामले हैं जिन में दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, यह योजना थोप देने वाली बात नहीं है । इसलिये, हम अपनी ओर से इसको यथाशीघ्र क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि गृह-मंत्री ने यह निर्णय किया कि 1960 की हड़ताल से पहले अथवा बाद में काम कर रही विचार-विमर्श की कार्य-व्यवस्था पुनः चालू कर दी जायेगी तथा क्या यह इस परिषद् के अतिरिक्त होगी ; यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस संबंध में हिदायतें दे दी गई हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : माननीय सदस्य इस बात की पुष्टि कराना चाहते हैं जो उन्होंने कल बातचीत के दौरान उठाई थी तथा मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि हम इस दिशा में कुछ करेंगे । उन्हें यहां पर पुष्टिकरण नहीं कराना चाहिये; यह हमारी चर्चा का विषय है और हम उस पर विचार करेंगे ।

श्री मथिया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी पक्ष के असन्तुष्ठ होने पर 'व्हिटले परिषद्' के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति होगी ?

श्री हाथी : योजना में तीन स्तरों पर बातचीत की व्यवस्था करने का विचार है और यदि आपस में मिलकर निर्णय न हो सके तो मामला पंच निर्णय को सौंपने की व्यवस्था है ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार संयुक्त प्रबन्ध के बारे में सिद्धान्त रूप में सहमत हो चुकी है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस नीति को क्रियान्वित करने में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री हाथी : देरी के प्रश्न के बारे में मैंने बताया कि यह सरकार के हाथ में नहीं है कि कहे योजना आज से चालू हो रही है, आखिरकार कर्मचारियों को भी सहमत होना चाहिये । यदि कर्मचारी समझते हैं कि कुछ प्रश्न उठाये जाने चाहियें तथा उन पर चर्चा होनी चाहिये, उस पर समझौता होना चाहिये ; और जब तक परस्पर समझौता न हो योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती ।

Shri Yashpal Singh: May I know whether after the formation of 'Whitley Councils' staff councils will continue or will be disbanded?

Shri Hathi: According to the discussions going on just now these councils will function at three levels, *viz*. departmental, office and regional levels.

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रख कर व्हिटले परिषदों की उपयोगिता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हाथी : इन परिषदों की उपयोगिता के कारण ही दोनों पक्ष योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास कर र हैं।

श्री मुहम्मद इलियास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय मजदूर संघ ने विभिन्न शिल्प-संघों को शामिल करने के बारे में कुछ आपत्ति उठाई है, यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हाथी : शिल्प-संघों का प्रश्न कल तथा परसों भी उठाया गया था । हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : श्रीमान्, व्हिटले परिषद् इंगलैंड में बहुत समय से सुचारू रुप में कार्य कर रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इंगलैंड में काम कर रही व्हिटले परिषदों की ऐसी कौन सी मुख्य बातें हैं जिन से सरकार सहमत नहीं है तथा जिन से कर्मचारीवृन्द सहमत नहीं है ।

श्री हाथी : कर्मचारी कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण चाहते हैं ; उदाहरण के तौर पर प्रतिनिधित्व का आधार, हड़ताल न करने का सिद्धांत, पंच-फैसले का कार्य-क्षेत्र तथा इस बात का निर्णय की यह द्विवार्षिक होगा या नहीं, आदि ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैंने यह पूछा था कि सरकार को कौन सी मुख्य बातें मान्य नहीं हैं तथा कर्मचारीवृन्द को कौन सी बातें मान्य नहीं हैं ?

श्री हाथी : अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार को मान्य न हो । कुछ बातें उठाई गई हैं। हम ने कल और परसों ही उन पर चर्चा की है । ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि ये मान्य हैं वह मान्य नहीं है । प्रश्न तो यह है कि दोनों पक्षों को क्या मान्य है ।

श्री रंगा : श्रीमान्, क्या हम यह समझें कि समझौता होने के पश्चात् सरकार की नीति यह है कि इन व्हिटले परिषदों की परीक्षा की जाये तथा सभी सरकारी उद्यमों में भी यह स्थापित की जायें ?

श्री नन्दा : जहां तक औद्योगिक उद्यमों का सम्बन्ध है यही सिद्धान्त एक भिन्न रूप लागू किया जा रहा है--वहां संयुक्त परिषद् हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि ह्विटले परिषद् योजना के क्रियान्वित होने के पश्चात्, जिस के अन्तर्गत वेतन-भत्ते, अवकाश तथा काम के घंटे आते हैं, अन्य विषयों पर पहले की तरह बातचीत के लिये स्थायी कार्य-व्यवस्था के अन्तर्गत चर्चा होती रहेगी ?

श्री हाथी : हां, श्रीमान्, विचार यह है कि यह योजना वर्तमान कार्यव्यवस्था की पूरक सिद्ध होगी । इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान कार्य-व्यवस्था, जैसी भी है, चलती रहेगी ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री नन्दा ने कुछ समय पहले कहा था कि प्रबन्ध में मज़दूरों को भाग लेने की प्रणाली चालू करने के लिये वे उद्योग तथा श्रम क्षेत्र में ह्विटले परिषदों के विचार को कार्यरूप देने वाले हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में उन्होंने कोई कार्यवाही की है ?

श्री नन्दा : प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लेने पर बहुत पहले से विचार किया गया था और कुछ सीमा तक गैर-सरकारी क्षेत्र में तथा सरकारी क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है । लेकिन मुझे दुख है कि जिस तरीके तथा जितनी शीघ्रता से हम इस दिशा में प्रगति चाहते थे वह नहीं हुई ।

डा० रानेन सेन : सरकार तथा मजदूर संघ में एक मतभेद यह है कि मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व कौन करेगा मज़दूर और कर्मचारी संघ की मांग थी कि संघ में शामिल अपदस्थ मज़दूर इन परिषदों में प्रतिनिधित्व करने के अधिकारी होंगे । सरकार तथा मजदूर संघ के बीच यही कठिनाई, संकोच, मतभेद था । मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति क्या है तथा कर्मचारियों की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री हाथी : स्थिति इस प्रकार है । वास्तव में ये संयुक्त परिषद् वास्तव में काम कर रहे मजदूरों के लिये है। जो मज़दूर सेवा निवृत्त हो गये हैं उनके बारे में भी कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि वे उन में हो सकते हैं। लेकिन वे मज़दूरों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं जिन्हें नौकरी से हटा दिया गया है ।

श्री अल्वारेस : लगभग दो माह पहले सभी मजदूर संगठनों ने सर्व-सम्मति से सरकार द्वारा प्रस्तावित रूप में ह्विटले परिषद् योजना को अस्वीकार कर दिया था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके बाद सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के रवैये को नरम किया है तथा फिर अन्य संगठनों से बातचीत की है ?

श्री नन्दा : किसी भी अवस्था पर सर्वसम्मति से अस्वीकृति की कोई बात नहीं हुई । कुछ प्रश्न उठाये गये थे, केवल भारतीय राष्ट्रीय मज़दूर संघ कांग्रेस की ओर से ही नहीं बल्कि सभी तरफ से । हर एक को सहमत कराने की इच्छा है और मैं विश्वास करता हूं कि इसका फल निकल रहा है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि मज़दूर संघ द्वारा हड़ताल करने के अधिकार त्याग देने पर सरकार के जोर देने के कारण ही इस योजना के क्रियान्वित करने में इतना विलम्ब हुआ है ?

श्री नन्दा : यही एक कारण नहीं था । कई कारण थे जिन में से यह एक था ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मेरा यह समझना ठीक है कि यह निर्णय हुआ है कि नैतिक नीचता तथा भ्रष्टाचार के आधार पर नौकरी से हटाये गये मजदूरों को छोड़कर अन्य अपदस्थ कर्मचारी व्हिटले परिषदों के सदस्य रह सकेंगे ?

श्री हाथी : वास्तव में ऐसा निर्णय नहीं हुआ । कल तथा परसों चर्चा के दौरान यह प्रश्न उठाया गया था कि यदि मज़दूर संघ के किसी कार्यकर्ता को मज़दूर संघ की कार्यवाही में भाग लेने के कारण नौकरी से हटाया जाता है तो ऐसे मामले की जांच करवाई जा सकती है ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether the cases of workers dismissed during 1960 strike will also be looked into?

श्री नन्दा : इस मामले पर पहले ही विचार किया जा चुका है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या मैं यह समझूं कि व्हिटले परिषदें मज़दूरों को सामूहिक सौदाकारी के अन्तर्गत रियायतें देने के विचार से चलाई जा रही हैं ? यदि ऐसा है, तो व्हिटले परिषदें किस विधान के अन्तर्गत काम करेंगी ?

श्री नन्दा : आरम्भ में यह सांवैधानिक व्यवस्था नहीं होगी ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में इस योजना को पहले चलाने में क्या बाधा है ?

श्री नन्दा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकारी क्षेत्र में भी यह योजना उसी तरीके तथा ढंग से लागू की जा रही है जैसे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में ।

मद्रास तेल शोधनशाला

\+
*1173. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा ईरानी तेल कम्पनी के बीच मद्रास तेल शोधनशाला के बारे में कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें क्या हैं और

(ग) इस से भारत के तेल के अन्य प्रबन्धों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) मद्रास शोधन शाला की मुख्य मदों (broad heads) के बारे में नेशनल ईरानी तेल कम्पनी और अमरीकी

इण्टरनेशनल तेल कम्पनी के बीच में करार हुआ है । विस्तृत प्रलेख (detailed documents) को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) सभा-पटल पर करार यथा समय रखे जायेंगे ।

(ग) इस विषय पर अनुमान लगाना ठीक नहीं है किन्तु हम आशा करते हैं कि इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस करार में तेल शोधक कारखानों के सम्बन्ध में पहले किये गये अन्य करारों की अपेक्षा कुछ सुधार किया गया है ?

श्री हुमायून् कबिर : कच्चे तेल के मूल्य और उर्वरकों और पैट्रो-रसायनों के विकास के लिये प्रबन्धकों के संबंध में हम ने काफी सुधार किया है । इस से अनेक तेल क्षेत्रों में ईरान से सहयोग करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं ।

Shri Raghunath Singh: May I know whether under the Agreement concluded with Iran the oil will be shipped to India in Indian ships or not?

श्री हुमायून् कबिर : यह चीज मेरे दिमाग में थी जब मैंने कहा कि इस से सहयोग की संभावनाएं बढ़ गई हैं । हो सकता है कि भारतीय जहाज न हों । वे भारतीय ईरानी जहाज हो सकते हैं ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या इस मद्रास तेल शोधक कारखाने को स्थापित करने के साथ साथ उर्वरक कारखानों को स्थापित करने के लिये पर्याप्त उपबन्ध किया जायेगा । और यदि हां, तो कारखाने की क्षमता क्या होगी ?

श्री हुमायून् कबिर : मैं पहले कह चुका हूं कि करार का एक भाग उर्वरक कारखाने के संबंध में होगा । उर्वरक कारखाने की नाइट्रोजन की क्षमता लगभग 200,000 टन होगी ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : अब चूंकि आंग्ल-ईरानी तेल कम्पनी से करार किया गया है क्या मैं जान सकता हूं कि काम कब आरम्भ होगा ?

श्री हुमायून् कबिर : करार नेशनल यूरेनियम आयल कम्पनी से किया गया है न कि ऐंगलो-इरैनियन आयल कम्पनी के साथ ।

Shri Abdul Singh How much amount will be spent on this refinery ?

श्री हुमायून् कबिर : कारखाना अभी स्थापित नहीं किया गया है । यह कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा । कारखाने पर लगभग 15 से 16 करोड़ रूपया खर्च होगा ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : हम ने इस इरेनियन कम्पनी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, परन्तु मुझे पता लगा है कि शर्तों को नामंजूर किए जाने की संभावना है । क्या हम पुनः विचार करेंगे और इस कम्पनी के सामने कुछ नई शर्तें रखेंगे ?

श्री हुमायूं कबिर : मेरे माननीय मित्र को सबसे अधिक पता है क्योंकि करारों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। वह ना मंजूर करने की बात क्यों कर रहे हैं यह तो वही जानते हैं।

डा० रानेन सेन : भारत के तेल उद्योग के सामने एक कठिनाई कच्चे तेल का सम्भरण है, और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर विदेशी मुद्रा की भारी राशि व्यय करनी पड़ती है। गत वर्ष यह भी निर्णय किया गया था—माननीय मंत्री ने बताया था—कि रुपया चलार्थ देशों के साथ तेल का व्यापार बढ़ाया जायेगा। प्रश्न के भाग (ग) के संबंध में . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आप प्रश्न पूछिये ?

डा० रानेन सेन : पूछ रहा हूं। हल्दिया और अन्य तेल शोधक कारखानों पर, जिन्हें कि शीघ्र ही स्थापित किया जा रहा है मद्रास तेल शोधक कारखाने के संबंध में "नेशनल इरैनियन कम्पनी" के साथ हुए इस नवीनतम सहयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री हुमायूं कबिर : प्रभाव पूर्णतया अनुकूल होगा और इससे हमारी स्थिति में सुधार होगा।

डा० रानेन सेन : कच्चे तेल के संबंध में क्या स्थिति होगी ?

श्री हुमायूं कबिर मैं ने कहा है कि प्रभाव पूर्णतया हमारे अनुकूल होगा। दोनों मामलों—कच्चे तेल और अन्य सम्बन्ध में—में होगा।

सरकारी कर्मचारियों तथा लोक प्रतिनिधियों के बीच सम्बन्ध

+

*1174. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और लोक प्रतिनिधियों के बीच सम्बन्धों के प्रश्न पर विचार करके कोई आचार संहिता तैयार की है ; और

(ख) संहिता की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। संसद् तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों और प्रशासन कर्मचारियों के बीच संबंधों का नियमन करने के लिये एक आचार संहिता के प्रारूप पर सरकार विचार कर रही है।

(ख) संहिता का प्रारूप अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वे इस पर काफी समय से विचार कर रहे हैं।

इस संबंध के बारे में, विशेषत: संसद् सदस्यों और विधायकों द्वारा और पंचायती राज संस्थाओं के चालू होने से तथा गुजरात के एक जिले में माननीय गृह मंत्री द्वारा जांच आरम्भ करने से

हाल के वर्षों में कौन-कौन सी समस्यायें सामने आई हैं ? वे समस्यायें क्या हैं और आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि मैं ने पहले बताया अनौपचारिक सलाहकार समिति के सदस्यों को प्रारूप संहिता भेज दी गई है। गुजरात में किये गये विशेष अध्ययन के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, परन्तु जिन समस्याओं पर चर्चा की गई है वे इस प्रकार हैं : विधान मंडल के अधिकारियों के साथ संबंध, उनकी सहायता करना, वे अपना काम अच्छी तरह कर सकें इसके लिये उन्हें पर्याप्त सुविधाएं देना ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यदि माननीय उपमंत्री को पता नहीं है तो मंत्री को उत्तर देने दीजिये। वह समस्याओं को जानते हैं ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : साबरकन्ता के जिला प्रशासन की जांच की गई थी। इसकी दो अवस्थायें थीं, एक को पंचायती संस्थाओं के आने से पहले की, और दूसरी उस अवधि के बाद के संबंध में। प्रतिवेदन हमारे पास है। उसकी जांच कर ली गई है और उसके संबंध में उनके उपयोगी निष्कर्ष और सिफारिशें हैं। मुख्यत:, लोगों की शिकायतें, प्रशासन के संबध में कठिनाईयां, विलम्ब, प्रक्रियाओं का सरलीकरण--ये सभी बातें हैं। हम अभी उस अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं कि जब कि हम अन्तिम सिफारिशें ला सकें।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय को पता है कि जिला स्तर पर अनेक समितियां हैं जिनके सभापति जिला स्तर पर अनेक समितियां हैं जिनके सभापति जिला अधिकार हैं और संसद् सदस्य, विधान मण्डलों के सदस्य, जिनमें प्रधान मंत्री, गृह मंत्री और मुख्य मंत्री शामिल हैं, इन समितियों के सदस्य हैं ? ऐसे प्रबन्ध के जारी रहने पर माननीय गृह मंत्री की अपनीक्या प्रतिक्रिया है, और वह मामले में क्या करना चाहते हैं ?

श्री नन्दा : प्रश्न सीमित था। माननीय सदस्य को निश्चय ही इन सब बातों को पूछने का अधिकार है, परन्तु जिला प्रशासन की जांच का प्रतिवेदन भी इस प्रश्न के अन्तर्गत पूरी तरह नहीं आता। मैं इसको अलग ले सकता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जिला प्रशासन के संबंध में यह प्रश्न बिल्कुल नहीं है। अधिकारी और अन्य व्यक्ति के बीच संबंध के बारे में यह प्रश्न है, और संबंधों के बारे में मैं ने यह सबसे अधिक संगत प्रश्न पूछा है। जिला स्तर पर अपनी विभिन्न समितियां हैं जिनका सभापति जिला अधिकारी है। और प्रधान मंत्री उस समिति का सदस्य है, और प्रधान मंत्री उस जिला अधिकारी को कहता है "जी जनाब" यह संबंध का प्रश्न है जो कि इसके कारण अधिकारी और गैर-अधिकारी व्यक्ति के बीच पैदा हो गया है, और यह उपनिवेशवाद का प्रभाव है। क्या पिछले 17 वर्षों में माननीय मंत्री ने इस मामले की ओर कोई ध्यान दिया है, और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री नन्दा : उस मामले में निर्णय यह है कि जिला अधिकारी आयोजक का कार्य करें, और इसलिये उसको किसी भी सदस्य द्वारा जी जनाब कहने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आयोजक कहां होता है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि सामान्य प्रशासन, विशेषरूप से पुलिस प्रशासन, मंत्रियों द्वारा दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप करने से बहुत ही दूषित हो गया है और यदि हां, तो क्या यह सच नहीं है कि गृह मंत्री द्वारा की गई इस आलोचना का प्रभाव उनके अपने मंत्रालय से बाहर नहीं होता, मंत्रि परिषद् और राज्य मंत्रि परिषदों की तो बात ही छोड़िये ?

श्री नन्दा : हस्तक्षेप की कुछ शिकायतें सुनने में आई हैं, और न केवल मंत्रियों द्वारा ही अपितु अन्य श्रेणी के लोगों द्वारा भी हस्तक्षेप किये जाने की इसके संबंध में प्रारूप संहिता आदि पर विचार किया गया है? किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना गलत बात है और जब भी हमें सूचना दी जायेगी उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आपने ऐसा किया है?

श्री नन्दा : जी हां, जब भी किसी बात की हमें सूचना दी जायेगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को इसकी सूचना दी गई है कि सरकारी अधिकारी संसद् अथवा राज्य विधान मण्डलों के सदस्यों द्वारा पत्र तथा अभ्यावेदन के रूप में पहुंच को पसन्द नहीं करते और कुछ मामलों में तो उस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध सरकारी कर्मचारी आचरण नियम के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा रही है जो संसद् सदस्य तक पहुंचे हैं, क्या यह सच है कि और क्या सरकारी कर्मचारियों को उनकी मांगों को एक विशिष्ट स्थान पर उनके अपने प्रतिनिधि द्वारा भी पूरा करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये जायेंगे?

श्री नन्दा : सरकारी कर्मचारियों के कष्टों के निवारण के लिये निश्चित तरीके हैं। उन्हें सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों का पालन करना पड़ता है। निश्चय ही संसद् सदस्य किसी भी सामान्य प्रश्न को ला सकते हैं, तरन्तु एक सरकारी कर्मचारी की विशिष्ट शिकायतों के लिये दूसरा तरीका है।

श्री दे० जी० नायक : जिला प्रशासन में जांच करने के लिये साबरकन्था जिले में एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जिला प्रशासन में सुधार करने के लिये उनकी क्या सिफारिशें हैं?

श्री नन्दा : मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारी लोक प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर सामान्यतः समय पर नहीं देते ; यदि हां, तो क्या ठीक और शीघ्र उत्तर देने के लिये सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों को हिदायतें जारी करने का है?

श्री नन्दा : हिदायतें जारी कर दी गई हैं और यदि कहीं पर किसी सरकारी कर्मचारी का दोष होता है तो हन उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे · · · **(अन्तर्बाधा)**

श्री बसुमतारी : क्या राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गृह मंत्री को इसकी सूचना दें कि कितने संसद् सदस्यों और कितने विधवा मण्डलीय सदस्यों ने लोक संपर्क समिति की बैठक में भाग लिया।

श्री नन्दा : यह एक सुझाव है।

श्री हेडा : क्या सरकार जानती है कि पंचायती राज के अन्तर्गत नियुक्त सभी समितियों का सभापतित्व जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है जबकि उपमंत्री और जिला पंचायती राजनिकायों के प्रधान सदस्यों के रूप में उपस्थित होते हैं?

श्री नन्दा : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ; फिर भी मैं इस मामले में और जांच करूंगा।

738 (AI) LS—3

श्री रंगा : मुख्य मंत्री तक इन बैठकों में उपस्थित होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हाल ही में मुझे एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि कार्यपाल इंजीनियर ने एक समिति में मेरा नाम रख दिया है।

श्री रंगा : मुख्य मंत्री तक कलक्टर के सामने जाते हैं और निष्ठा की शपथ लेते हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: Earlier, there used to be a long queue of people standing at your place early in the morning seeking enquiries against the Government servants. Will this system continue or some other will be adopted instead?

Shri L. N. Mishra: There is no question of enquiry. After framing a code we have to work according to that.

श्री हेम बरुआ : क्या लोक प्रतिनिधियों के लिये आचार संहिता बनाते समय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से भी यह कहा है कि वे ऐसे मामले बतायें जिनमें कुछ लोक प्रतिनिधियों ने अपना प्रभाव डालने के लिये अनुचित हस्तक्षेप किया है।

श्री नन्दा : समस्या के इस पहलू को भी शामिल किया जा रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जो कि उस बात से उत्पन्न होता है जो आपने कुछ समय पहले कही। क्या एक समिति में इस सभा के अध्यक्ष को नाम निर्दिष्ट करना कार्यपाल इंजीनियर की शक्ति के बाहर नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : शायद उसको पता नहीं होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या उसने अपनी अज्ञानता और बेवकूफी को माना है?

श्री नन्दा : मैं इस मामले की जांच करूंगा।

श्री शिकरे : क्या यह सच है कि सरकार एक मूक सूझबूझ के अन्तर्गत कार्य कर रही कि प्रशासन का सारा काम केवल नौकरशाही द्वारा चलाया जायेगा और मंत्रालय केवल राजनीति का ख्याल रखेगा।

अध्यक्ष महोदय : आचार संहिता को अन्तिम रूप देते समय इस पर विचार किया जायेगा।

श्री शिकरे : परन्तु इस प्रश्न का उस पर प्रभाव पड़ता है।

श्री नन्दा : यह एक आक्षेप है जिसका कोई औचित्य नहीं है।

श्री पं० वेंकटासुब्बया : बावजूद इसके कि जिला प्रशासन और पंचायत समितियों में लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण लागू कर दिया गया है, कलेक्टर समितियों के सभापति हैं जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक प्रतिनिधि भी सम्मिलित हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका अभी उत्तर दिया जा चुका है।

Goa

*1175. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Jagdeva Singh Siddhanti:
Shri Rameshwaranand
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Madhu Limaye:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattanayak:
Shri Koya:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Kanakasabai:
Shri Nath Pai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a final decision regarding merger of Goa with Maharashtra; and

(b) if so, the salient features thereof?

The Minister of Home Affairs (Shri Gulzari Lal Nanda): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Shri Yudhvir Singh: This question has been raised almost in every Session and it has been discussed several times. What are those social, political, moral, supernatural, cultural reasons which prevent Government from taking a final decision regarding the future of Goa?

Shri Hathi: Certainly there are all these physical, moral, political and social reasons. This is so because we will have to discuss the matter with the different States and people of these States. After discussing all the points we will have to take a decision.

Shri Yudhvir Singh: The Government said of talking with the people. Recently the Maharashtra Assembly adopted a unanimous resolution that Goa should be merged into Maharashtra. I hope the hon. Minister must be knowing the meaning of unanimous. Likewise, the Legislative Assembly of Goa adopted a resolution in this connection. That resolution was adopted with a majority vote and not unanimously. The elections in Goa have also made it clear that the people of Goa want that Goa may be merged into Maharashtra....

Mr. Speaker: Debate cannot be held at this moment.

Shri Yudhvir Singh: I want to know the reaction of the Government with regard to those two resolutions and also as to what decision Government is going to take in the light of that reaction?

Mr. Speaker: Answer has been given.

Shri Yudhvir Singh: What is the reaction of these resolutions?

Mr. Speaker: Information regarding resolutions has also been given.

श्री हाथी : यह सच है कि महाराष्ट्र विधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था। यह भी सच है कि गोग्रा की विधान सभा ने भी एक प्रस्ताव पारित किया है और हमने

इन दोनों प्रस्तावों की ध्यान में रखा है । जहां तक गोम्रा का सम्बन्ध है, प्रस्ताव एक मत से पारित नहीं किया गया था ।

Shri Yudhvir Singh: I want to ask about their reaction to these resolutions.

Mr. Speaker: He says that he is considering them.

Shri Jagdev Singh Siddhanti: The hon. Minister said that there are certain things which will be considered. Last time 54,000 boys appeared for the Primary examination of Marathi whereas only 1,000 appeared for the Kannad language examination. Is it for this reason that it will be merged into Maharashtra?

Mr. Speaker: He is arguing. This is not the time for debate.

Shri Onkar Lal Berwa: Is it because our Government was defeated in the last general elections that Goa not being merged into Maharashtra? At first the merger was agreed to; what is the reason for resiling from that position now.

Shri Hathi: This is not the reason. All the aspects are under consideration.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister said that the matter is under consideration. What time will the Government take in taking a decision regarding the merger of part of Goa in Mysore and part in Maharashtra?

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): The question as to how much part will be given does not arise. Regarding this it has already been said that the matter is under consideration and as far as possible early decision will be taken. No time limit can be laid.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It has not been stated as to how much time it would take?

Mr. Speaker: He has said that nothing could be stated about the time-limit.

Shri Madhu Limaye: May I know whether Government have any democratic principle in accordance to which the question of the merger of Goa, Diu, Daman and Pondicherry with the contiguous States and the question of Inter-State disputes are decided? If there is such a principle, it would be in the interest of our country to follow it. If Government themselves show the way of bloodshed, venomous provincialism and mutual enmity etc., to the public, it would prove very dangerous for the country. When once a principle is involved, all such questions can be solved on the basis of that principle. So I want to know whether there is any principle in regard to Goa........

Mr. Speaker: Order, order.

वह जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर इन सभी बातों का फैसला किया जा सके ।

Shri Nanda: Whenever there will be any decision, it would be on the basis of some principle.

Shri Madhu Limaye: I wanted to know whether there is any principle.

Shri Nanda: I cannot add anything more.

Shri Madhu Limaye: There should be some democratic principle.

Mr. Speaker: If he does not want to tell anything more, what can I do?

Shri Madhu Limaye: You please ask him to do so.

Shri Kishan Pattnayak: Is it not a fact that this question of the merger of Goa has not so far been decided because of certain political considerations? The Government are talking in two voices. While the Ministers of Railways and Defence want to support one section of the people and others want to support the other section of the people and want to retain Goa as their own.

Shri Nanda: This is not correct at all. There is no difference of opinion on this matter.

श्री कोया : क्या गोग्रा के विलय के प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जा रहा है अथवा पांडिचेरी और माहे जैसी भारत में स्वाधीनता प्राप्त अन्य विदेशी बस्तियों के साथ-साथ इस पर विचार किया जा रहा है ?

श्री नन्दा : अभी हम केवल गोग्रा के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

Shri Joachim Alva: Are the Government aware that the Goa merger and anti-merger campaigns are going on with great zeal, do the Government propose to call all the parties here for a Round Table Conference?

Shri Nanda: At the moment, there is no proposal to hold a Round Table Conference.

Shri Sheo Narain: Has the Legislative Assembly of Mysore expressed some specific views in regard to the merger of Goa and whether these have been communicated to the Government?

Shri Nanda: Mysore has its own views which have been expressed by them.

Shri Tulshidas Jadhav: The Government have been making promises regarding merger of Goa with Maharashtra for the last 10 years; do the Government stick to that or are the Government going to consider this question *de-novo?*

Shri Nanda: It has already been stated by us that this whole question is being considered *de-novo.*

Shri Madhu Limaye: Unprincipled consideration and unprincipled Government.

श्री वीरान्ना गौध : गोग्रा विधान सभा द्वारा गोग्रा को महाराष्ट्र में मिलाने का सुझाव देते हुए जो संकल्प पारित किया गया है क्या उसके बारे में मैं जान सकता हूं कि उन्होंने इसको कितने मतों से पारित किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह वह रिकार्ड से देख सकते हैं ?

श्री अल्वारेस: सरकार अभी तक यह नहीं पहचान पाई है कि गोआ को संघ राज्य-क्षेत्र के रूप में रखने के क्या विशेष प्रतिफल हैं। इसके साथ-साथ जब से गोआ स्वाधीन हुआ है तब से भारत के कुछ वर्गों को गोआ की स्वाधीनता के तथ्य को स्वीकार न करने के लिए उत्साहित करने की दृष्टि से विदेशी सरकारों के कुछ एजेंट तोड़-फोड़ के काम करने का प्रयत्न करते रहे हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार गोआ के विलय का काम शीघ्रता से करेगी और क्या उनकी आशाओं पर पानी फेर देगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

श्री शिंकरे : सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि इसके लिये अभी 10 वर्ष का समय दिया जाना चाहिये क्योंकि गोआ के लोग अभी प्रजातंत्र के लिये परिपक्व नहीं हैं। इस बारे में, मैं गृह-कार्य मंत्री से पूछना चाहता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आज तो ऐसा नहीं कहा गया।

श्री शिंकरे : ऐसा पहले कहा गया था। इस सन्दर्भ में मैं गृह-कार्य मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार के लिये प्रजातंत्र की धारणा का अर्थ केवल कांग्रेस दल की बहुसंख्या है और दूसरी बात यह है कि क्या सरकार तब तक विलय सम्बन्धी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिये प्रतीक्षा करती रहेगी जब तक महाराष्ट्र तथा मैसूर के बीच उचित रूप से युद्ध नहीं छिड़ जाता और तीसरी बात यह है कि क्या सरकार तब तक प्रतीक्षा करेगी जब तक गोआ में भी नागालैंड जैसी परिस्थिति पैदा नहीं हो जाती और कि उनको कुछ कार्यवाही करने पर मजबूर नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री मेरे इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें केवल एक प्रश्न का उत्तर देने दूंगा और वह भी तब यदि वह दे सकें ।

श्री नन्दा : मैं प्रजातंत्र और अन्य सभी बातों के बारे में एक ही उत्तर देना चाहूंगा और वह यह है कि व्यक्त की गई यह सब धारणायें निराधार हैं।

श्री शिंकरे : मेरे अन्य दो प्रश्नों का क्या बना ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गोआ के विलय का प्रश्न देश के कई लोगों के मस्तिष्कों में क्षोभ पैदा कर रहा है, क्या हमें आश्वासन दिया जायेगा कि सरकार इस बारे में बहुत ही कम समय में निर्णय करने वाली है और यदि हां, तो इस में कितना समय लगेगा ?

श्री नन्दा : जहां तक समय-सीमा का सम्बन्ध है, मैंने बताया है कि मैं समय-सीमा बताने की स्थिति में नहीं हूं। परन्तु मैंने यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया है कि हम बहुत जल्दी निर्णय लेना चाहते हैं और इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार देश में आपात काल की स्थिति, स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन, गोआ तथा गोआ से बाहर मतभेद होने तथा मैसूर विधान सभा द्वारा पारित किये गये संकल्प को विचार में रखते हुए गोआ के विलय के प्रश्न को अभी निलम्बित रखेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। अगला प्रश्न ।

पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों का भारी संख्या में आना

+

*1177. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों के सामूहिक निष्क्रमण के कारणों का पता लगाने के लिये स्थापित किये गये जांच आयोग ने पूर्वी पाकिस्तान जा कर वहां की स्थिति का अध्ययन करने की व्यवस्था करने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये पाकिस्तान सरकार से अनुमति देने के लिये कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से उसका क्या उत्तर मिला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

अल्प सूचना प्रश्न

हल्दिया तेल शोधन कारखाना

13. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकतर अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों को हल्दिया तेल शोधन परियोजना में इस कारण दिलचस्पी नहीं रही कि भारत ने तेल शोधन कारखाने को कच्चे तेल के सम्भरण के लिये उन में से किसी के साथ दीर्घकालीन करार करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका हल्दिया तेल शोधन परियोजना के भविष्य तथा उसकी प्रगति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा किन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं। कई अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने प्रस्ताव पेश किये हैं या पेशकश भेजने वाली है।

(ख) यह आशा है कि हल्दिया शोधनशाला परियोजना कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान 26 अप्रैल, 1965 के "दी इकानमिक टाइम्स" की ओर दिलाना हूं जिसमें इस समाचार को बहुत महत्व दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने इस लिये कभी हिचकिचाहट की थी क्योंकि उनको कच्चे तेल का सम्भरण करने के लिये, तथा उस का शोधन करने के लिये अनुमति नहीं दी जा रही थी और यदि हां, तो यह समस्या कैसे हल हुई है ; तथा क्या हमारे और इन अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के बीच हुए ठेकों में किसी भी प्रकार कोई हेरफर किया जा रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : क्योंकि यह सारा प्रश्न तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि इसका उत्तर कैसे दूं । जो भी समाचार "दी इकानमिक टाइम्स" या "दी फिनानशल टाइम्स" या किसी अन्य समाचार-पत्र में प्रकाशित होते हैं उसके लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जिसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण समाचार-पत्र है ।

श्री हुमायून् कबिर : जिस बात को करना मेरा कर्त्तव्य है मैं केवल उसी के लिये उत्तरदायी हूं । मैं अन्य लोगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता हूं या उनको ऐसी वस्तु लिखने से नहीं रोक सकता हूं जो वे लिखनी चाहें । हिचकिचाहट या लौटा लेने का कभी कोई प्रश्न नहीं उठा है । हमें प्रस्ताव मिले हैं और अब भी मिल रहे हैं, तथा कुछ अन्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने वास्तव में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये अधिक समय की मांग की है । इसलिये इस प्रश्न का सम्पूर्ण आधार ही गलत है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह ठीक है कि जो कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित होता है उसके लिये मंत्री महोदय उत्तरदायी नहीं हैं परन्तु, मेरे विचार से, ऐसे महत्वपूर्ण समाचारों के लेखों का खण्डन करने का उत्तरदायित्व उनका ही है जो इतनी गलतफहमी पैदा करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुवैत प्राधिकारियों के साथ, उनसे हुए हमारे समझौते के सम्बन्ध में, पुनः बातचीत आरम्भ की गई है ?

श्री हुमायून् कबिर : जहां तक समाचारों को खण्डन करने का प्रश्न है, यह मेरा काम नहीं है कि मैं विश्व के किसी भी समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रत्येक समाचार का खण्डन करूं । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि कुवैत ने भी रुचि दिखाई है तथा अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं । सभी प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् हम ऐसी कम्पनी का चयन करेंगे जो देश के हित में सब से अच्छी दिखाई दे ।

श्री क० दे० मालवीय : क्या यह सच नहीं है कि ऐसे लेख या सन्देश राष्ट्र के हित के विरुद्ध कच्चे तेल को अधिक समय तक देने के लिये तेल कम्पनियों के दृष्टिकोण को अपनाने के लिये सरकार पर दबाव डालने के विशिष्ट उदाहरण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में माननीय सदस्य स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं ।

श्री खाडिलकर : क्या यह सच नहीं है कि फोइनिक्स के सहयोग से चलने वाली कम्पनी सेक्कोनी मोबिल से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा वे कम से कम मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल का सम्भरण करने के लिये तैयार हैं और, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की छानबीन कर ली है ?

श्री हुमायून् कबिर : निश्चय ही यह प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है तथा जिस पार्टी का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियों में से एक है । परन्तु इस से जो मूल प्रश्न पूछा गया था उस का खण्डन हो जाता है । इस प्रस्ताव की भी अन्य प्रस्तावों के साथ साथ छानबीन हो रही है ।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार का ध्यान देश के उस प्रमुख समाचार पत्र के लेख की ओर दिलाया गया है जिस में यह छपा है कि इस बात को देखते हुए कि चूंकि हमें कच्चे तेल का आयात करना होता है इसलिये इस समय हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर बहुत दबाव पड़ता है और, यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों से समझौता करते समय क्या सरकार ने अपनी विदेशी मुद्रा पर दबाव के विशिष्ट तथ्य को ध्यान में रखा है तथा जहां तक सम्भव हो इस दबाव को कम से कम करने के लिये उनसे कहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह तो स्पष्ट ही है कि जहां तक सम्भव हो सरकार दबाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगी परन्तु यह भी उतना ही स्पष्ट है कि बेकार में किसी को भी कोई चीज नहीं दी जा सकती । हमें कच्चा तेल अवश्य चाहिये तथा इसलिये हमें कुछ मूल्य तो देना ही पड़ेगा और हम यथासम्भव अच्छी से अच्छी शर्तों के लिये कहेंगे।

डा० रानेन सेन : रूमानिया के तेल मंत्री ने हल्दिया तेल शोधन कारखाने का निर्माण करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है तथा उस प्रस्ताव को फिर से बदला गया है । सरकारी उच्चाधिकारियों ने भी कहा है कि जो प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं उनमें से रूमानिया का प्रस्ताव सब से उत्तम है । इस लिये इस सम्बन्ध में क्या मैं भारत सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

श्री हुमायून् कबिर : रूमानिया के इस प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु जहां तक सर्वोत्तम प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं अपनी राय तब तक व्यक्त नहीं करना चाहता जब तक उन सभी पर ठीक प्रकार से छानबीन न की जाये।

Shri Raghunath Singh: Oil will be imported for Haldia Refinery but the draught there is only 34 feet. May I, therefore, know whether for the improvement of the draught there and also for the progress of the port, necessary arrangement will be made so that even big tankers may reach there.

श्री हुमायून् कबिर : हमारा सम्बन्ध केवल 'ड्राफ्ट' के प्रश्न से ही है और हम ने इस मामले के बारे में पत्तन आयुक्त तथा परिवहन मंत्रालय से बातचीत की है ।

श्री जोकीम आल्वा : इन कम्पनियों के सम्बन्ध में समस्या का निचोड़ क्या है ? क्या यह समस्या पश्चिम देशों की तेल कम्पनियों द्वारा रूसी तेल के शोधन करने तथा रुपये में भुगतान करने की हिचकिचाहट के कारण उत्पन्न हुई है या यह इस लिये उत्पन्न हुई है क्योंकि ब्रिटेन को, गत वर्ष उन से लिये गये 37 करोड़ 50 लाख पौंड तथा 74

(ख) यह आशा है कि हल्दिया शोधनशाला परियोजना कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान 26 अप्रैल, 1965 के "दी इकानमिक टाइम्स" की ओर दिलाना हूं जिसमें इस समाचार को बहुत महत्व दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों ने इस लिये कभी हिचकिचाहट की थी क्योंकि उनको कच्चे तेल का सम्भरण करने के लिये, तथा उस का शोधन करने के लिये अनुमति नहीं दी जा रही थी और यदि हां, तो यह समस्या कैसे हल हुई है ; तथा क्या हमारे और इन अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के बीच हुए ठेकों में किसी भी प्रकार कोई हेरफर किया जा रहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : क्योंकि यह सारा प्रश्न तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि इसका उत्तर कैसे दूं । जो भी समाचार "दी इकानमिक टाइम्स" या "दी फिनानशल टाइम्स" या किसी अन्य समाचार-पत्र में प्रकाशित होते हैं उसके लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जिसमें यह समाचार प्रकाशित हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण समाचार-पत्र है ।

श्री हुमायून् कबिर : जिस बात को करना मेरा कर्त्तव्य है मैं केवल उसी के लिये उत्तरदायी हूं। मैं अन्य लोगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता हूं या उनको ऐसी वस्तु लिखने से नहीं रोक सकता हूं जो वे लिखनी चाहें । हिचकिचाहट या लौटा लेने का कभी कोई प्रश्न नहीं उठा है। हमें प्रस्ताव मिले हैं और अब भी मिल रहे हैं, तथा कुछ अन्य बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने वास्तव में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिये अधिक समय की मांग की है । इसलिये इस प्रश्न का सम्पूर्ण आधार ही गलत है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह ठीक है कि जो कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित होता है उसके लिये मंत्री महोदय उत्तरदायी नहीं हैं परन्तु, मेरे विचार से, ऐसे महत्वपूर्ण समाचारों के लेखों का खण्डन करने का उत्तरदायित्व उनका ही है जो इतनी गलतफहमी पैदा करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कुवैत प्राधिकारियों के साथ, उनसे हुए हमारे समझौते के सम्बन्ध में, पुनः बातचीत आरम्भ की गई है ?

श्री हुमायून् कबिर : जहां तक समाचारों को खण्डन करने का प्रश्न है, यह मेरा काम नहीं है कि मैं विश्व के किसी भी समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रत्येक समाचार का खण्डन करूं। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं यह कह सकता हूं कि कुवैत ने भी रुचि दिखाई है तथा अन्य प्रस्ताव भी मिले हैं। सभी प्रस्तावों पर विचार करने के पश्चात् हम ऐसी कम्पनी का चयन करेंगे जो देश के हित में सब से अच्छी दिखाई दे।

श्री क० दे० मालवीय : क्या यह सच नहीं है कि ऐसे लेख या सन्देश राष्ट्र के हित के विरुद्ध कच्चे तेल को अधिक समय तक देने के लिये तेल कम्पनियों के दृष्टिकोण को अपनाने के लिये सरकार पर दबाव डालने के विशिष्ट उदाहरण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में माननीय सदस्य स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं।

श्री खाडिलकर : क्या यह सच नहीं है कि फोइनिक्स के सहयोग से चलने वाली कम्पनी सेक्कोनी मोबिल से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा वे कम से कम मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के कच्चे तेल का सम्भरण करने के लिये तैयार हैं और, यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की छानबीन कर ली है ?

श्री हुमायून् कबिर : निश्चय ही यह प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है तथा जिस पार्टी का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है वह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियों में से एक है । परन्तु इस से जो मूल प्रश्न पूछा गया था उस का खण्डन हो जाता है । इस प्रस्ताव की भी अन्य प्रस्तावों के साथ साथ छानबीन हो रही है ।

श्री हेम बरूआ : क्या सरकार का ध्यान देश के उस प्रमुख समाचार पत्र के लेख की ओर दिलाया गया है जिस में यह छपा है कि इस बात को देखते हुए कि चूंकि हमें कच्चे तेल का आयात करना होता है इसलिये इस समय हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पर बहुत दवाब पड़ता है और, यदि हां, तो विदेशी कम्पनियों से समझौता करते समय क्या सरकार ने अपनी विदेशी मुद्रा पर दबाव के विशिष्ट तथ्य को ध्यान में रखा है तथा जहां तक सम्भव हो इस दबाव को कम से कम करने के लिये उनसे कहा है ?

श्री हुमायून् कबिर : यह तो स्पष्ट ही है कि जहां तक सम्भव हो सरकार दबाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगी परन्तु यह भी उतना ही स्पष्ट है कि बेकार में किसी को भी कोई चीज नहीं दी जा सकती । हमें कच्चा तेल अवश्य चाहिये तथा इसलिये हमें कुछ मूल्य तो देना ही पड़ेगा और हम यथासम्भव अच्छी से अच्छी शर्तों के लिये कहेंगे।

डा० रानेन सेन : रूमानिया के तेल मंत्री ने हल्दिया तेल शोधन कारखाने का निर्माण करने के लिये भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है तथा उस प्रस्ताव को फिर से बदला गया है । सरकारी उच्चाधिकारियों ने भी कहा है कि जो प्रस्ताव अब तक प्राप्त हुए हैं उनमें से रूमानिया का प्रस्ताव सब से उत्तम है । इस लिये इस सम्बन्ध में क्या मैं भारत सरकार की प्रतिक्रिया जान सकता हूं ?

श्री हुमायून् कबिर : रूमानिया के इस प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। परन्तु जहां तक सर्वोत्तम प्रस्ताव का सम्बन्ध है मैं अपनी राय तब तक व्यक्त नहीं करना चाहता जब तक उन सभी पर ठीक प्रकार से छानबीन न की जाये।

Shri Raghunath Singh: Oil will be imported for Haldia Refinery but the draught there is only 34 feet. May I, therefore, know whether for the improvement of the draught there and also for the progress of the port, necessary arrangement will be made so that even big tankers may reach there.

श्री हुमायून् कबिर : हमारा सम्बन्ध केवल 'ड्राफ्ट' के प्रश्न से ही है और हम ने इस मामले के बारे में पत्तन आयुक्त तथा परिवहन मंत्रालय से बातचीत की है ।

श्री जोकीम आल्वा : इन कम्पनियों के सम्बन्ध में समस्या का निचोड़ क्या है ? क्या यह समस्या पश्चिम देशों की तेल कम्पनियों द्वारा रूसी तेल के शोधन करने तथा रुपये में भुगतान करने की हिचकिचाहट के कारण उत्पन्न हुई है या यह इस लिये उत्पन्न हुई है क्योंकि ब्रिटेन को, गत वर्ष उन से लिये गये 37 करोड़ 50 लाख पौंड तथा 74

करोड़ 50 लाख पौंड की बाकी कमी के कारण वास्तविक कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तविकता क्या है ?

श्री हुमायून् कबिर : मेरे माननीय मित्र ने इतनी अधिक सूचना दे दी है जिसका सम्बन्ध इस प्रश्न से बिल्कुल नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

नागा विद्रोही

*1169. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी गदाइलो के दल के नागा विद्रोहियों के एक गिरोह ने 26 दिसम्बर, 1964 को कछार पहाड़ियों में दलाधन गांव पर आक्रमण किया और कई मकानों में आग लगा दी; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं । यह भी बता दिया जाता है कि नागा विद्रोही रानी गदालिओं के दल से सम्बन्धित नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारतीय खान स्कूल, धनबाद

*1176. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान स्कूल, धनवाद पुनः खुल गया है और सामान्य रूप में कार्य कर रहा है ;

(ख) जिन घटनाओं के कारण स्कूल बन्द हुआ था, क्या उनकी जांच पूरी हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जांच जारी है ।

हूवर टाइप आयोग बनाना

*1178. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री उटिया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री किशन पटनायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था की व्यापक जांच करने के लिए एक हुवर-टाइप आयोग बनाने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके निर्देश-पद क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अजन्ता तथा एलोरा के चित्र

*1179. श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री कण्डप्पन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनेस्को के विशेषज्ञों के एक दल ने भूतत्वीय विभाग के अजन्ता तथा एलोरा के चित्रों के पुन:स्थापन सम्बन्धी कार्य के बारे में हाल में एक प्रतिवेदन दिया है ;

(ख) क्या वे इसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) यूनेस्को से सरकारी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों का गिरोह

*1180. **श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य** मंत्री दिल्ली में पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह के बारे में 3 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) अब जांच पूरी हो गई है।

(ख) अपराधियों में से दो पर राजकीय गह्य (रहस्य) अधिनियम 1923 के अधीन मकद्दमा चलाया जा रहा है। अन्य 9 को भारत सुरक्षा नियम, 1962 के अधीन नज़र बन्द किया गया है।

कच्छ में ट्रांसमिटरों का पकड़ा जाना

*1181. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि कच्छ में पाकिस्तानी जासूसों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कुछ ट्रांसमिटर पकड़े गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन ट्रांसमिटरों का प्रयोग करने वाले जासूसों के गिरो को पकड़ने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कूच बिहार में जाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

*1182 **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला कूच-बिहार (पश्चिम बंगाल) के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में की गई गोलीबारी के कारण 18 गांवों के लगभग 10,000 लोगों को अपने मकानों व सामान से हाथ धोना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 19 से 21 मार्च, 1965 तक की अवधि में जब कि पाकिस्तानी फौजों और हमारी सीमा पुलिस के बीच मैक्लीन-गंज क्षेत्र में गोली चल रही थी, पाकिस्तानी नागरिकों की एक भारी संख्या जिसे पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के व्यक्तियों और अन्सारों की सहायता प्राप्त थी, अनेक स्थानों पर

भारतीय क्षेत्र में घुस आई और लूट तथा आगज़नी की। इसके फलस्वरूप 12 गांवों में लगभग 15,000 भारतीय नागरिक बेघरबार हो गये।

पीड़ित व्यक्तियों की तकलीफों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एकदम आपातकालीन उपाय अपनाये जिनमें अस्थायी सहायता शिविर खोलना, तम्बू बांटना, सहायता राशियां बांटना, कपड़े, कम्बल, बीमारों और बच्चों के लिये दूध बांटना और जहां निष्कासित जन एकत्रित हो गये थे वहां टयूब-वेल लगाना शामिल थे। राज्य सरकार ने इन लोगों की सहायता तथा पुनर्वास के लिए एक उदार योजना भी मंजूर की है।

केन्द्रीय भवन निर्माण, अनुसन्धान संस्था, रुड़की

***1183. श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था, रुड़की ने भवन निर्माण का एक उन्नत तथा बचतपूर्ण तरीका निकाला है ;

(ख) क्या भवन निर्माण उद्योग द्वारा इस तरीके के अपनाये जाने के हेतु इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या केन्द्र तथा राज्यों में लोक निर्माण विभागों ने इस संस्था के कोई तरीके अपनाये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की ने भवन निर्माण के कई उन्नत और कम खर्चीले तरीके निकाले हैं, जिनमें मुख्य ये हैं :—

1. नीचे से छिद्दी बल्लियों की नीवें,
2. मिट्टी की खोज पर अधारित नींव का आकार,
3. कम कीमत की छतें
4. शैल छतें,
5. ध्वनिक आकार (आकाउस्टिक डिज़ाइन) ,
6. पूर्व निर्मित पूर्व प्रविलित कैंचियां ,
7. सीमेंट के बदले पुज्जोलैनिक का भस्मी के रूप में उपयोग,
8. विस्फोट भट्टी लावा सीमेंट का उत्पादन,
9. हल्के वज़न के सीमेंट पत्थरों का उपयोग ,
10. ईंटों और खपरेलो की किस्मों में सुधार
11. खोखली दीवारें ,
12. आर. सी. सी. लिन्टल,
13. दरवाजों और खिड़कियों के लिए आर० सी० सी० ढांचे।

अपने कुछ कार्यों में, केन्द्रीय और राज्यों के लोक निर्माण विभागों, रेल प्राधिकारियों, **पत्तन प्रबन्ध समितियों**, एम० ई० एस० आदि ने ऊपर **लिखी** बहुत सी कार्यविधियों को **अपना**

लिया है। राष्ट्रीय भवन संस्था की प्रायोगिक आवास निधारण समिति द्वारा भी छः कार्याविधियों को स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) संस्थान ने कार्याविधियों और इसके द्वारा विकसित तकनीकी ज्ञान (नो- हाउ) को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :--

(1) भवन डाइजैस्टों की एक माला संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है जो केन्द्रीय तथा इसी प्रकार राज्य सरकारों के लोक निर्माण विभागों, एम० ई० एस०, सरकारी तथा गैर-सरकारी उपक्रमों के इंजीनियरों और आर्किटेक्टों में विस्तार से वितरित कर दी गई है।

(2) जनसाधारण की जानकारी के लिए तकनीकों के बारे में जानकारी देने वाले लोकप्रिय लेख, पत्रिकाओं और समाचारपत्रों में प्रकाशित किये गये हैं।

(3) प्रायोगिक निर्माण के प्रदर्शन द्वारा संस्थान में विकसित तकनीकों के विस्तार के लिए एक विस्तार सेल स्थापित कर दिया गया है। भोपाल और कलकत्ता में वास्तविक निर्माण प्रायोजनाओं में कार्याविधियों के परिपालन के लिए क्षेत्र विस्तार सेल स्थापित कर दिए गए हैं।

केरल में मद्य निषेध

*1134. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार की मद्य-निषध नीति को युक्ति संगत बनाने का कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह कब तक लागू की जायेगी ?

गृह-कर्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) राज्य सरकार मद्य-निषध नीति को युक्तिसंगत बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, किन्तु उसने इस काम के लिए अभी तक कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई है।

नागा विद्रोहियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला

*1185. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बृजवासी लाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :

1185. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 अप्रैल, 1965 को नागा विद्रोहियों ने बर्मा से लगे मनीपुर के चंदल सब-डिवीजन के पुलिस स्टेशन पर हमला किया था ;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : : (क) से (ग). मनीपुर प्रशासन के अनुसार 16 अप्रैल, 1965 की रात को चंदल पुलिस ने लगभग 400 गज़ की दूरी पर दो गोलियों के चलने की आवाज़ सुनी। तब उन्होंने 5 बार गोली चलाई। और कुछ भी नहीं हुआ।

चीनी साहित्य का पकड़ा जाना

*1186. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बड़ौदा में एक गुजराती समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार ने पाकिस्तानी एजेन्टों की मार्फत चीन सरकार द्वारा भेजा गया साम्यवादी साहित्य पकड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां, किन्तु यह समाचार बड़ौदा के एक गुजराती समाचार पत्र में प्रकाशित न हो कर अहमदाबाद से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। हां, यह समाचार बड़ौदा से प्राप्त हुआ था।

(ख) जिन लोगों के कब्जे में आपत्तिजनक साहित्य पाया गया था उन्हें गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा किया गया। जांच जारी है।

Choking Gas Incident in Sapru House

Shri Brij Raj Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Omkar Singh:

*1187. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Ajit Pratap Singh:
Shri Y. D. Singh:
Shri Lahri Singh:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Raghunath Singh:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Bade:
Shri P. C. Borooah:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 22nd April, 1965 some miscreants stealthily broke a tube containing choking gas in a meeting being held at Sapru House;

(b) if so, whether the police have investigated the incident; and

(c) the particulars of the incident?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) to (c). A public meeting organised by the *Blitz* National Forum and attended by 600 to 700 persons was held in Sapru House, New Delhi, on the evening of the 22nd April, 1965.

At about 7.30 P.M. when one of the speakers was addressing the meeting, some of the members of the audience sitting at the back of the hall became restive. A number of them left the hall quickly. It was found that they could not stand the foul smell emanating from one of the corners of the hall which was closed from all sides.

A Policeman (in plain clothes), who was present at the spot on duty, detected a small broken glass ampoule about 4" long containing some stinking fluid (found to be impure Skatole by chemical analysis). The glass container was removed at about 7.40 P.M. and the Tilak Marg Police Station informed of the incident. The Station House Officer reached the Sapru House immediately for enquiries. Senior officers including two Deputy Inspector Generals of Police also reached the spot shortly afterwards.

The offence relating to the above incident is a non-cognizable one but the District Magistrate has authorised investigation by the police under Section 155(2) of the Code of Criminal Procedure. A case under Section 278 of the Indian Penal Code (making atmosphere noxious to health) has been registered and the investigation is in progress.

Pak Transmitter in Saharanpur

1188. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Vishram Prasad:

Shri Bade:
Shri Daji:
Shri Narendra Singh Mahida:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Pakistani transmitter was seized in District Saharanpur during this week:

(b) whether it is also a fact that Police arrested the person possessing the said transmitter and then let him off; and

(c) if so, the full particulars of the incident?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Administrative set-up of Delhi

*1189. Shri Naval Prabhakar:
Shri Raghunath Singh:
Shrimati Renuka Barkataki:
Shri Indrajit Gupta:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a final decision on the future administrative set-up of Delhi;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) whether Government propose to bring a legislation on this subject?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Misra): (a) to (c). The matter is still under consideration.

रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से तेल

*1190. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा की वर्तमान कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल परिष्करणशालाओं को रुपये में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से माल मंगवाने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है; और

(ग) इस बारे में इन कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी कर्मचारी आचरण नियम

*1191. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों के प्रेस तथा प्रचार के साथ आचार नियंत्रित करने के लिए क्या क्या नियम तथा निदेश हैं और क्या उन नियमों तथा निदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : केन्द्रीय प्रशासन सेवाएं (आचार) नियमावली, 1964 के नियम, 8, 9 और 11 तथा कार्यालय प्रक्रिया नियम संग्रह के अनुच्छेद 156 (1) और 158 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रेस तथा प्रचार के बारे में आचार का नियंत्रण करने वाले नियम तथा निदेश दिये गये हैं। अखिल भारतीय सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों के इस बारे में आचार के सम्बन्ध में नियम तथा निदेश अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली, 1964 के नियम, 5, 6 और 8 में दिये गये हैं। सम्बन्धित आचार नियमों तथा कार्यालय प्रक्रिया नियम संग्रह के उद्धरण सदन के सभा-पटल पर रख दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 4348/65]**

Everest Expedition

*1192. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an Indian mountaineering team is trying to climb Everest these days;

(b) if so, the names of the leader and the members of the team; and

(c) the facilities provided by Government to this team?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) Yes, Sir. The team is now struggling at South Col against heavy odds and I am sure every member of the House will wish them success and safe return.

(b) Names of the leader and the members of the team are given below:—

1. Lt. Cdr. M. S. Kohli. **Leader**
2. Major N. Kumar. **Deputy Leader**
3. Shri Gurdial Singh.
4. Shri C. P. Vohra.
5. Major Mulk Raj.
6. Shri Sonam Gyatso.
7. Shri Sonam Wangyal.
8. Capt. H. S. Ahluwalia.
9. Capt. H. A. Bahuguna.
10. Capt. A. S. Cheema.
11. Shri Nawang Gombu.

12. Capt. H. C. Joshi.
13. Capt. A. K. Chakravorty.
14. Dr. D. V. Telang.
15. Shri G. S. Bhangu.
16. Shri H. S. S. Rawat.
17. Major B. P. Singh.
18. Instr. Ang. Kami.
19. Hav. Balakrishnan.

(c) The following facilities have been provided by Government to this team:

(i) A sum of Rs. 6·00 lakhs was paid to the Indian Mountaineering Foundation to meet expenditure on the Everest Expedition 1965;

(ii) Service personnel as well as other civil Government servants who are members of the party have been treated as on duty for the period of expedition;

(iii) Equipment such as crampons, boot covers, wind proof suits, mittens, ice axes, ruck sack, sleeping bags, tents, kit bags, cara-biners, pittons etc., have been manufactured by the Ordnance Factories;

(iv) Tele-communication equipment, batteries and certain medicines have been given on loan to the Expedition by Army.

(v) Daily weather forecasts are being provided by the Meterrological Department and are broadcast from the All India Radio.

(vi) The Ministry of Food and Agriculture have donated from the Delhi Milk Scheme skim milk, ghee and butter worth about rupees four thousand.

अखिल भारतीय न्याय सेवा

*1193. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री तुला राम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोया : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अखिल भारतीय न्याय सेवा स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है ।

कच्छ में छिद्रण कार्य

*1195. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कच्छ क्षेत्र में तेल छिद्रण तथा गैस की खोज का काम स्थगित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). जी नहीं। व्यधन कार्यक्रम को तैयार करने के पहले अतिरिक्त भूगर्भीय और भूभौतिकी सर्वेक्षणों को आवश्यक समझा गया है ।

राजनीतिक सत्ताधारी व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतें

*1196. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजनीतिक सत्ता वाले व्यक्तियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्थायी निकाय स्थापित करने का है ;

(ख) प्रस्ताव का स्वरूप क्या है तथा इस समय वह किस अवस्था में है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में एक संसदीय जांच आयुक्त नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). गृह मंत्रालय की मांगों पर हुई बहस का उत्तर देते हुए 27 अप्रैल, 1965 को गृह-मंत्री ने इस समस्या के प्रति सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया था ।

(ग) संसदीय जांच आयुक्त नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही ।

आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के बीच सीमा विवाद

*1197. { श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री म० रं० कृष्ण :
श्री कपूर सिंह : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 गांवों के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्यों के बीच मतभेद है; और

(ख) यदि हां, तो विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हथी) : (क) जी , हां ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने बताया है कि इस मामले पर हाल ही में उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था और यह मंजूर किया गया था कि जब तक आपस में इस मामले का फसला नहीं हो जाता तब तक स्थिति को जसी है वैसी ही बने रहने दिया जाय ।

अध्यापक प्रशिक्षण कालेज, उड़ीसा

3047. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963–64 और 1964–65 में उड़ीसा में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्षवार धनराशि कितनी है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1963–64 के दौरान 54,646 रुपये और 1964–65 के दौरान 1,32,630 रुपये ।

शिक्षा संबंधी यात्राओं के लिए अनुदान

3048. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में तथा उससे बाहर छात्रों की शिक्षा सम्बन्धी यात्रा पर ले जाने के लिए 1963–64 तथा 1964–65 में उड़ीसा सरकार को कितनी रकम की सहायता मंजूर की गई और 1965–66 में इस प्रयोजन के लिये कितनी रकम मंजूर करने का विचार है; और

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने 1963–64 तथा 1964–65 में इस सहायता का पूर्ण रूप से उपयोग किया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क)

1963–64 और 1964–65

कोई अनुदान नहीं दिया गया था ।

1965–66

सूचना न मिलने के कारण अभी तक कोई रकम नियत नहीं की गई है । सूचना मांगी गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

समाज शिक्षा साहित्य

3049. **श्री रामचन्द्र मलिक :**
श्री रामचन्द्र उलाका
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1963–64 तथा 1964–65 में समाज शिक्षा साहित्य तथा नव साक्षर व्यक्तियों के लिये साहित्य के क्षेत्र में उड़ीसा राज्य के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक बिक्रेताओं को क्या सहायता दी गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : नव साक्षरों के लिए पुस्तकों पाण्डुलिपियों की पुरस्कार प्रतियोगिता की परियोजना के अन्तर्गत, 1963–64 के दौरान उड़ीसा में प्रकाशकों को 4,575 रुपये की रकम दी गई थी । यह रकम एक पुरस्कृत पुस्तक तथा उड़िया में अतिरिक्त पुरस्कृत पुस्तकों के तीन अनुवादों की 1500 प्रतियों की खरीद के लिए थी । 1964–65 में उड़ीया की दो पुरस्कृत पुस्तकों की खरीद के लिए 1,950 रुपये की रकम दी गई थी ।

Cultural Activities Abroad

3050. Shri Veerappa: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred on cultural activities in foreign countries during 1964-65; and

(b) the amount allocated for 1965-66 for this purpose?

The Minister of Cultural Affairs in the Ministry of Education (Shri Hajarnavis): (a) A sum of Rs. 40 lakhs was provided in the budget of the Ministry of Education for cultural activities for the year 1964-65. The exact amount of expenditure will be known after the information has been received from Indian Embassies abroad.

(b) Rs. 38,35,000|- in the Ministry of Education's budget.

"बृहत कोचीन विकास योजना"

3051. **श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में चलखुड़ी से ओमवाथुपूजा तक के क्षेत्र का विकास करने के लिये "बृहट कोचीन विकास योजना" नामक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसे कानूनी मान्यता देने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्य सरकार का विचार कोचीन के इर्द-गिर्द 450 वर्ग मील के विकास के लिये "बृहत कोचीन विकास योजना" नामक एक योजना बनाने का है। इस क्षेत्र में चलक्कुडी और मुवत्तुपूजा भी शामिल है।

(ख) योजना का ब्यौरा एक सलाहकार समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकार का विचार इस योजना को कानूनी मान्यता देने का है।

त्रिवेन्द्रम सेंट्रल जेल में नजरबन्द व्यक्तियों से व्यवहार

3052. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल जेल में नजरबन्द साम्यवादियों की उचित चिकित्सा नहीं की जाती है और चिन्ताजनक मामलों में विशेषज्ञों द्वारा इलाज नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कण्णनूर सेंट्रल जेल

3053. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कण्णनूर सेन्ट्रल जेल (केरल) में पानी की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारी उपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते।

कण्णनूर में क्रीड़ांगण

3054. **श्री अ० क० गोपालन:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कण्णनूर केरल में क्रीड़ांगण बनाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस पर अब तक कितना व्यय किया गया है ; और

(ग) वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग). केरल सरकार से आवश्यक सूचना मंगवाई गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी। फिर भी भारत सरकार ने इस प्रायोजना के लिये कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

Ernakulam Stadium

3055. Shri A. K. Gopalan: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the progress made in the construction of Ernakulam Stadium;

(b) the amount spent so far on the project; and

(c) when it is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) Filling and levelling of the site of the stadium has been completed.

(b) Rs. 1,01,754.54, including Rs. 75,100.00 being the cost of acquisition of the land.

(c) The project is likely to be completed within three years.

मद्रास उच्च न्यायालय

3056. **श्री धर्मलिंगम :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मद्रास उच्च-न्यायालय ने प्रति वर्ष कितने मुकदमें निपटाये ; और

(ख) न्यायालय में 31 मार्च, 1965 के कितने मुकद्दमे अनिर्णित पड़े थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क)

1962—26776

1963—29604

1964—30604

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Western Himalayan Mountaineering College, Manali

3057. Shri Hem Raj: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 942 on the 10th March, 1965 and state:

(a) whether the Central Government have taken any final decision to take over the Western Himalayan Mountaineering College, Manali, under their own control; and

(b) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). The matter is being processed further.

क्रीड़ांगणों का निर्माण

3058. **श्री राम हरख यादव :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में क्रीड़ांगणों के निर्माण के लिये विशेष निधि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि की व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) स्टेडियम किन स्थानों पर बनाये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) देश में स्टेडियमों के निर्माण के लिये कोई विशेष रकम स्वीकृत नहीं की गई है। फिर भी, इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक वर्ष बजट की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) 1965–66 वित्त वर्ष के लिये 2,25,000.00 रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) 1965–66 के दौरान अभी तक डंडापत, क्योंझर (उड़ीसा), गाजीपुर (उ० प्र०), किला रायपुर (पंजाब) और नागपुर (महाराष्ट्र) में स्टेडियमों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है ।

भारतीय कोल्ट्स क्रीकेट टीम

3059. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोल्ट्स क्रिकेट टीम को ब्रिटेन जाने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा मंजूर कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक

3060. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या शिक्षा मंत्री प्रत्येक राज्य में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वर्तमान वेतन-क्रम व अन्य उपलब्धियों तथा उनको प्राप्त सुविधायें दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Girls' Education in Maharashtra

3061. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the funds allotted to the Government of Maharashtra for education of girls and women during 1963-64 and 1964-65;

(b) the amount actually spent by Maharashtra Government during the said periods; and

(c) the amount proposed to be allotted for the purpose for 1965-66?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) Rs. 127.90 lakhs and Rs. 310.90 lakhs were allotted to the Government of Maharashtra during 1963-64 and 1964-65 respectively for General Education which includes the education of girls and women also. No funds were allotted to the Government of Maharashtra separately for special schemes relating to the education of girls and women during these years.

(b) A portion of the Central allocation for General Education has been spent on the education of girls and women. But it is not possible to give separate account of the amount actually spent on girls' education out of this allocation.

(c) Apart from the amount allotted for general education which includes the education of girls and women Rs. 2 lakhs have been allotted for advance action programme for acceleration of girls' education for 1965-66.

Primary School Buildings in Maharashtra

3062. Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the amount of grants or loans advanced to the Government of Maharashtra during 1962-63, 1963-64 and 1964-65 for the construction of primary school buildings and quarters for women teachers in the rural areas;

(b) the amount actually spent during the respective years; and

(c) the amount proposed to be sanctioned for the purpose for 1965-66?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) No amount was sanctioned during the years 1962-63 and 1964-65. A sum of Rs. 10 lakhs was sanctioned as loan during the year 1963-64.

(b) Informations is not readily available.

(c) The matter is receiving consideration.

महाराष्ट्र में विज्ञान मन्दिर

3063. श्री दे० शि० पाटिल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में महाराष्ट्र राज्य में कितने और कहां-कहां विज्ञान मंदिर खोले गये ;

(ख) महाराष्ट्र सरकार को इस कार्य के लिये कितना अनुदान दिया गया ; और

(ग) 1965–66 में इसके लिये कितनी राशि का अनुदान देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 1964–65 के दौरान महाराष्ट्र में कोई नया विज्ञान मंदिर नहीं खोला गया ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सहकारी उपभोक्ता स्टोर

3064. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता स्टोर की एक शाखा खोलने के लिये पंडारा रोड कालोनी, नई दिल्ली में मई, 1963 में एक फ्लैट खाली करवाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शाखा अभी तक नहीं खोली गई है और फ्लैट खाली ही पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उस क्षेत्र में स्टोर की शाखा के कब तक खुलने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). यह शाखा अभी नहीं खोली गई क्योंकि जो फ्लैट उसके लिये दिया गया था वह बहुत छोटा था और किराना, उपभोक्ता सामग्री और वस्त्रों आदि का काम करने वाली एक शाखा के लिये अनुपयुक्त पाया गया। संस्था को पंडारा रोड क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर और अधिक जगह की आवश्यकता थी। इस लिये उस फ्लैट को छोड़ दिया गया जो मिला था। ज्योंही काफी जगह मिल जाएगी, एक शाखा स्टोर चालू कर दिया जायेगा।

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर खाली भूमि

3065. **श्री राम हरख यादव :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर खाली भूमि की दो मील की पट्टी बनाने की योजना को अब वस्तुतः छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). अभी तक मामले की जांच की जा रही है।

"पुज्जोलाना" संबंधी परिसम्वाद

3066. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने "पुज्जोलाना" संबंधी परिसंवाद का उद्‌घाटन करते हुए अनुसंधान कर्ताओं को यह सुझाव दिया था कि वे किसी ऐसे पदार्थ का पता लगायें जिसे सीमेंट के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सके; और

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने इस सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन : (क) 18 दिसम्बर, 1964 को केन्द्रीय सड़क अनुसंधान, संस्थान नई दिल्ली में पुज्जोलाना सम्बन्धी संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए श्री मोहम्मद अली करीम चागला, शिक्षा मंत्री, ने उस कार्य का हुवाला दिया था, जो 'सक्रिय सुर्खी' के विकास पर संस्थान में किया गया था और इस बात पर जोर दिया था कि सरकारी विभागों को सीमेंट के बदले में इस सामग्री का उपयोग करना चाहिये और यह भी कहा था कि आगे भी इस पर अनुसंधान कार्य किया जाना चाहिये ।

(ख) जी, हां ।

Civil Suits against Ex-Rulers

3067 { **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of applications under consideration of Government for filing civil suits against ex-rulers of Indian States;

(b) the details of applications which have not been accepted for filing suits and the reasons for their rejection;

(c) whether the Ministry of Law consulted while accepting or rejecting the applications; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) 4 on 1st May, 1965.

(b) A statement showing the particulars of cases in which consent was not given during the period from 1st January, 1964 to 30th April 1965 is laid on the Table. **[Placed in Library. See No. LT-4349/65]**. As a general rule consent is not given in the following cases:

(i) when it pertains to actions of the Rulers of former Indian States during the period prior to merger;

(ii) when it relates to matters covered by guarantees give to Rulers by the Agreements made with them; and

(iii) when it is obvious that the claim is frivolous or vexatious.

(c) and (d). The Ministry of Law is consulted in all cases unless the position is sufficiently clear to dispense with such consultation.

मलयाली समाचारपत्र द्वारा गुप्त पत्र का प्रकटीकरण

3068. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री मलयाली समाचार पत्रों द्वारा गुप्त पत्र के प्रकटीकरण के बारे में 23 दिसम्बर, 1964 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1774 के उत्तरके सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब इस बीच जांच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू की गई जांच अभी तक चल रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेहरू स्मारक

3069. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री डॉ० चं० शर्मा :
श्री ह० चं० सोय :

क्या शिक्षा मंत्री 23 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में नेहरू स्मारक बनाने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनबीस): स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू की स्मृति में सरकार ने भूतपूर्व प्रधान मंत्री के निवास स्थान, अर्थात् तीन मूर्ति में, एक स्मारक स्थापित करने का निर्णय किया है, जिसमें एक व्यक्तिगत-वस्तु संग्रहालय और एक पुस्तकालय होगा। भारत के राष्ट्रपति ने 14 नवम्बर, 1964 को संग्रहालय का उद्घाटन किया था । पुस्तकालय के ब्योरे, जिसमें नेहरू जी के कागज और भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम से संबंधित अन्य अभिलेखीय सामग्री शामिल होगी, तैयार किए जा रहे हैं ।

दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी का अध्ययन

3070. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या शिक्षा मंत्री 23 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1152 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सभी स्कूलों में मांग के अनुसार पंजाबी के अध्यापन के लिये आवश्यक प्रबन्ध कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) जिन स्कूलों में व्यवस्था कर दी गई है उनकी एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--4350/65]** ।

Higher Secondary Education in Delhi

3071. Shri D. N. Tiwary: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the higher secondary education in Delhi is controlled by two authorities, *viz* Delhi Administration and Delhi Corporation;

(b) whether the educational standards maintained by both the authorities are different;

(c) whether the final examinations are conducted by both the authorities separately; and

(d) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) to (d). The Higher Secondary Education in Delhi is entirely under the purview of the Director of Education, Delhi Administration. However, the Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee are also running 9 and 3 Higher Secondary Schools respectively. The Central Board of Secondary Education is the controlling authority for the conduct of the final examination in all these schools and is also responsible for recognition of educational qualification of teachers and for maintenance of uniform standards of Education.

पूर्व क्षेत्रीय परिषद् की बैठक

3072. श्री प्र० चं० बरूग्रा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्रीमती रवीन्द्र वर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी 1965 में कलकत्ता में पूर्व क्षेत्रीय परिषद् को नवीं बैठक में क्या मुख्य विचार प्रकट किये गये तथा क्या निर्णय किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र): पूर्व क्षेत्रीय परिषद् की पिछली (नवीं) बैठक कलकत्ते में 28 ग्रौर 29 जनवरी, 1965 को हुई थी । इस बैठक की कार्यवाही का विवरण, जिसमें व्यक्त किये गये विचार ग्रौर निर्णय शामिल हैं, ग्रंतिम रूप प्राप्त होते ही सदन के पुस्तकालय में रख दिया जायगा ।

कास्टिक सोडे का भाव

3073. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना:

क्या पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्टिक सोडे के भाव ग्रभी हाल में बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; ग्रौर

(ग) इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रलगेशन): (क) ग्रौर (ख): दिसम्बर, 1963 से कास्टिक सोडे पर नियंत्रण हट जाने के फौरन बाद ग्रधिकांश रूप में कास्टिक सोडे के विक्रय मूल्यों में वृद्धि हुई । हाल में भी वृद्धि के दो मामले मालूम हुए हैं । इन में से एक नए कारखाने से सम्बन्धित है जिसमें ग्रभी उत्पादन शुरू हुग्रा है । दूसरा राज्य व्यापार निगम है ; जिसने ग्रायातित कास्टिक सोडा का ग्रधिक मूल्य निश्चित किया है । नये कारखाने ने ऐसा करने का यह कारण बताया है कि उसे निवेश में ग्रधिक पूंजी प्रभार सहन करना पड़ता है । ग्रायात किये गये माल के बारे में वृद्धि का कारण 1965-66 के बजट प्रस्तावों के ग्रन्तर्गत ग्रतिरिक्त ग्रायात-निर्यात कर की मात्रा है ।

(ग) स्थिति निगरानी में है और पहले कदम के तौर पर उद्योग के साथ परामर्श शुरू किया गया है ।

हिन्दी का प्रचार

3074. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री शिवमूर्त्ति स्वामी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के अध्ययन तथा प्रचार के लिये 1964–65 में अहिन्दी-भाषी राज्यों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) इन राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन). (क) 1964–65 में अहिन्दी-भाषी राज्यों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी गई :–

राज्य का नाम	हिन्दी शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिए	हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश .	1,01,117	16,08,600
2. आसाम .	..	1,76,706
3. गुजरात	1,62,374	4,53,564
4. केरल	1,79,500	46,10,631
5. मद्रास	27,870	58,64,740
6. महाराष्ट्र . .	78,000	..
7. मैसूर	67,800	59,53,159
8. उड़ीसा . .	..	1,40,554
9. पश्चिम बंगाल	44,000	4,68,732

टिप्पण :—

1964-65 में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये दी गयी अनुदानों में वह राशि भी सम्मिलित है जो राज्य सरकारों को उन के द्वारा वर्ष 1961-62, 1962-63 और 1963-64 में किये गये खर्च के बकाया के रूप में देय है ।

(ख) अतिरिक्त हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिये तथा हिन्दी शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कालेज खोलने के लिये अहिन्दी-भाषी राज्यों को अनुदान देने के अलावा अहिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रचार के लिये निम्नलिखित उपाय भी किये गये हैं :—

(एक) 1964-65 में अहिन्दी-भाषी राज्यों में विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को 8.27 लाख रुपये अनुदानें, अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाने के लिये हिन्दी कक्षाएं खोलने, हिन्दी शिक्षकों और हिन्दी प्रचारकों को प्रशिक्षण देने, हिन्दी पुस्तकालयों को स्थापित करने, हिन्दी में वाकपटुता, प्रतियोगिता, वाद-विवाद करने, प्रदर्शनी और डरामे, हिन्दी के शिक्षकों और विद्वानों की गोष्ठियों के करने तथा हिन्दी की पत्रिकाओं आदि के प्रकाशनों आदि के लिये दिये गये थे।

(दो) लगभग 1.50 लाख रुपये की पुस्तकें अहिन्दी-भाषी राज्य सरकारों को स्कूलों, कालेजों तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों में मुफ्त बांटने के लिये दी गई थीं।

(तीन) अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में विभिन्न स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं द्वारा की गई हिन्दी परीक्षाओं को सरकारी नौकरियों के लिये मान्यता दी गई है।

(चार) अहिन्दी भाषी राज्यों में स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं और राज्य सरकारों के काम का समन्वय करने के लिये दो कार्यालय—एक मद्रास में तथा दूसरा कलकत्ता में-खोले गये हैं।

प्रशासनिक सुधार

3075. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रशासनिक सुधार करने के लिए कोई पद्धति बनाने के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों की हाल ही में एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन ने क्या सिफारिशें की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तरल नाइट्रोजन आक्सिजन संयंत्र

3076. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'यूनेस्को' की सहायता से बम्बई के निकट पोवाई में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था में हाल ही में एक तरल नाइट्रोजन आक्सिजन संयंत्र लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) इस संयंत्र के लिए 'यूनेस्को' से कैसी सहायता प्राप्त हुई ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) संयंत्र (प्लांट) प्रसार इंजन और एक एकदिशकरण स्तम्भ के साथ उच्च दाब साइकल पर कार्य करता है। एक बार में यह या तो द्रव नाइट्रोजन या द्रव आक्सिजन तैयार कर सकता है। इसके कम्प्रैसर (सम्पीडित्र) में प्रति घन्टा 80 घन मीटर की क्षमता है। इस संयंत्र (प्लांट) में 'कास्टीफिकेशन' की भी व्यवस्था है, जो 150 या उससे अधिक के तामपमानों के डिलीवरी दबाव पर द्रव को गैस में बदल देता है।

(ग) यूनेस्को ने एक संयंत्र (प्लांट) जिसकी लागत लगभग 1,06,530 रुपये है, और इसे खड़ा करने के लिए एक तकनीशन की सेवाओं की भी व्यवस्था की है।

Corruption charges against an I.A.S. Official.

3077. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether he has received a complaint of cheating and corruption against a high I.A.S. official of Himachal Pradesh;

(b) whether it is also a fact that Sadachar Samiti has found some substance in this complaint; and

(c) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes; Sir.

(b) Sadachar Samiti has forwarded the complaint to Home Ministry for such action as might be considered necessary stating that the fact in the complaint appeared to be prima facie true.

(c) The matter is being examined.

विश्वविद्यालयों में उपाधि पाठ्यक्रम

3078. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी विश्वविद्यालयों से द्विवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो किन किन विश्वविद्यालयों में द्विवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम अभी भी जारी है ; और

(ग) देश के सभी विश्वविद्यालयों में एक से त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम संभवत: कब से आरम्भ किये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ और बम्बई विश्वविद्यालयों में दो वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम चल रहा है :

738 (Ai) LS—5.

(ग) विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं हैं इसलिए इस विषय में कोई निर्णय करना सम्बन्धित विश्वविद्यालयों पर ही निर्भर करता है ।

स्वर्गीय श्री कैरों की अस्थियों का समर्पण

3079. **श्री रामपुरे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कैरों के पुत्रों ने अपने पिता की पदावधि में प्राप्त की गई सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार को समर्पित करने की पेशकश की है ।

(ख) यदि हां, तो उस सम्पत्ति का मूल्य क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) स्वर्गीय श्री कैरों के पुत्रों ने प्रधान मंत्री को पत्र लिख कर उस अवधि में कमाई हुई सम्पत्ति, जब उनके पिता मुख्य मंत्री थे, देश तथा उस दल को देने की पेशकश की है जिससे उनके पिता का सम्बन्ध था ।

(ख) और (ग). यह पत्र पंजाब सरकार को भेजा गया है जो इस पेशकश में निहित कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है ।

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

3080. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कनकसबै :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विकास कार्यक्रमों पर विचार करने के लिये जून, 1965 में राज्य शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में किन किन विशेष विषयों पर चर्चा की जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां ।

(ख) सम्मेलन मुख्यतः, अभी तक प्राप्त अनुभव और तैयार की गई योजनाओं के आधार पर चौथी पंचवर्षीय आयोजना के लिए शिक्षा सम्बन्धी विकास कार्य-क्रमों पर विचार करेगा । इस अवसर पर, भाग लेने वाले शिक्षा मंत्रियों की रुचि के अनुसार, शिक्षा-सम्बन्धी अन्य समस्याओं पर भी विचार किया जा सकेगा ।

इतिहास का अध्यापन

3081. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय संग्रहालय ने प्राचीन आकृतियों की प्रतिकृतियां बना कर इतिहास के अध्यापन का एक नया तरीका निकाला है, जिनसे भारतीय सभ्यता की विभिन्न अवस्थाओं की गाथा का स्पष्ट बोध होता है ;

(ख) यदि हां, तो शिक्षा संस्थाओं ने इन प्रतिकृतियों का कहां तक उपयोग किया है ;

(ग) क्या विदेशों ने इन प्रतिकृतियों की कोई मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक किस प्रकार की तथा कितनी मांगें आई हैं, और

(ङ) इन प्रतिकृतियों की मांग को पूरा करने के लिये कहां तक प्रयास किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय संग्रहालय के द्वारा युगों के अनुसार हड़प्पन कला और भारतीय मूर्तिकला की प्लास्टर प्रतिकृतियों के दो सेट बनाये गए हैं और अब तक देश की 163 शैक्षणिक संस्थाओं को दिए गए हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रतिकृतियों के सेटो के लिए 5 शैक्षणिक संस्थाओं से और कला की विभिन्न वस्तुओं के प्लास्टर सांचों के लिए 181 व्यक्तियों की मांगें आई हैं । मांगों को पूरा कर दिया गया है ।

(ङ) पुनर्निर्माण में यथार्थता का ध्यान रखते हुए मांगों को यथाशीघ्र पूरा किया जाता है ।

अधिकारियों का केन्द्रीय पुल

3082. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री के इस सुझाव पर विचार किया है कि आर्थिक मंत्रालयों के पदों पर काम करने के लिए अधिकारियों का एक केन्द्रीय पूल बनाया जाय जिसमें मुख्यतः भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी लिये जायें;

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासन सेवा संगठन ने इस सुझाव का विरोध किया है; और

(घ) क्या मंत्रिमण्डल की उप-समिति ने राज्यों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) स्वर्गीय प्रधान मंत्री की टिप्पणी के आधार पर एक आर्थिक पूल बनाने का एक प्रस्ताव सभी मुख्य मंत्रियों को भेजा गया था । एक के सिवाय सभी के उत्तर प्राप्त हो गये हैं ।

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा (केन्द्रीय) संघ के प्रतिनिधि गृह मंत्री से मिले थे और उन्होंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया था ।

(घ) मामला विचाराधीन है ।

वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये धन

3083. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अतिरिक्त धन देने की प्रार्थना अस्वीकार करने से अनुसंधान क्रियाकलाप की गति धीमी पड़ गई है तथा अनेक स्वावलम्बकारी (टेक-आफ़) परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा औद्योगीकरण के कार्यक्रमों पर निर्णायक प्रभाव डालने के प्रयास में, संसाधनों से बाधा पहुंची है;

(ग) क्या अनुसंधान संस्थाओं के निदेशक उनके द्वारा आरम्भ की गई मूल परियोजनाओं के लिये अधिक राशि के आवंटन के लिये वित्त मंत्री से मिले थे; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) विवरण सही नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नेशनल कैमिकल लेबोरेटरी, पूना, नेशनल मैटलर्जीकल लेबोरेटरी, जमशेदपुर, इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी, और सेन्ट्रल मैकेनीकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर औद्योगिक प्रगति में जो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं उसे ध्यान में रखते हुए इन प्रयोगशालाओं संस्थानों के निदेशकों को शिक्षा मंत्री द्वारा की गई एक मीटिंग में बुलाया गया था जिसमें वित्त मंत्री भी आये थे।

(घ) विशिष्ट प्रायोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधि के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Manufacture of Saridon

3084. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the names of patented proprietory drugs used in the manufacture of Saridon and the average foreign exchange expenditure incurred on their imports each year;

(b) the annual consumption of Roche Company's Saridon in the country;

(c) whether other similar sedative drugs are manufactured which do not require the use of patented proprietory drugs and involve very little foreign exchange expenditure; and

(d) whether any proposal to ban the manufacture of Saridon is being considered by Government?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan): (a) The names of the non-pharmacopoeial drugs contained in Saridon tablets are as follows:

(i) Phenyl-dimethyl-isopropyl pyrazolone.

(ii) Diethyl-dioxo-tetrahydropyridine.

The actual value of their imports is not available.

(b) Information is not available regarding the consumption of Saridon tablets but the total production of these tablets during 1962 and 1963 is 85,762,000 and 85,259,350 tablets respectively.

(c) Saridon is not a sedative drug but an analgesic preparation and as far as Government are aware, no drug preparation is at present manufactured having a similar composition as Saridon. Preparations containing other analgesic drugs are however being produced. The composition of such preparations varies from manufacturer to manufacturer.

(d) No.

Development of Industries in Dandakaranya

3085. Shri Vishwa Nath Pandey: Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Denmark have expressed a desire to give considerable financial assistance and technical know how to India for the development of industries in Dandakaranya area; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Rehabilitation (Shri Tyagi): (a) and (b). The Government of Denmark had indicated their interest in providing some financial and technical assistance in respect of certain selected schemes in the Dandakaranya area. The Danish Government had accordingly deputed one of their officers in February/March last to make a preliminary study of the likely schemes which could be assisted. Further reactions of the Danish Government regarding the scope and nature of the proposed assistance are awaited.

Changing of Names of Cities

3086. **Shri Yudhvir Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Lahri Singh:

Will the Minister of **Home Affairs be pleased** to state:

(a) whether Government have decided to change names of various cities of the country like Dalmianagar, Birlanagar which are named after non-official persons; and

(b) if so, the date from which the said decision would be implemented?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

इन्टरनेशनल कन्फेड्रेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन के प्रतिवेदन में मानचित्र

3088. { **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्टरनेशनल कन्फेड्रेशन आफ ट्रेड यूनियन्स ने अपने प्रतिवेदन में एक मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें काश्मीर को भारत से पृथक एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कन्फेड्रेशन द्वारा की गई इस गम्भीर त्रुटि में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) पता चला है कि इण्टरनेशनल कन्फेड्रेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन के सातवें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रतिवेदन में भारत का कोई ऐसा मानचित्र नहीं है जिसमें काश्मीर को एक पृथक राज्य के रूप में दिखाया गया हो। हां, सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान कुछ प्रतिनिधियों ने कन्फेड्रेशन द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं में ऐसे चित्रों के छापे जाने की आलोचना की और कहा जाता है कि एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन (इन्टरनेशनल कन्फेड्रेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन) के प्रधान ने खेद प्रकट किया और कहा कि अक्तूबर, 1963 के बाद उस मानचित्र को इन्टरनेशनल कन्फेड्रेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियन अथवा एशियाई क्षेत्रीय संगठन के किसी भी प्रकाशन में प्रकाशित नहीं किया गया।

(ख) एशियाई क्षेत्रीय संगठन के प्रधान द्वारा खेद प्रकाशन को देखते हुए और क्योंकि 1963 के बाद ऐसे कोई मानचित्र प्रकाशित नहीं हुए भारत सरकार का इस बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है।

केन्द्रीय मैकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्था

3089. { **श्री दोनेन भट्टाचार्य :**
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर की केन्द्रीय मकेनिकल इंजीनियरी अनुसंधान संस्था ने कारखानों के शेड का एक नया डिजायन तैयार किया है जिससे कारखानों की पूंजी लागत कम हो जायेगी;

(ख) क्या उक्त संस्था ने मशीनों का भी विकास किया है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त बातों का हमारे उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) यह उम्मीद की जाती है कि फैक्टरी शैड के नये डिज़ाइन के इस्तेमाल से इस्पात में काफ़ी बचत होगी और चौथी योजना की अवधि के दौरान देशी मशीनों के विकास से पर्याप्त विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

College of Arts, Delhi

3090. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Yudhvir Singh:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the former Head of the Arts Department in the College of Arts, Delhi took away with him some college property while relinquishing his office about three years ago;

(b) whether the said property included some stone statues;

(c) whether it is also a fact that a five-foot tall stone statue made with college material was sold by the said Head of the Department for about Rs. 8,000; and

(d) if so, the action taken by Government against the said person for taking away college property and statues with him and selling them?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(e) No, Sir.

(d) Does not arise.

Delhi Administration

3091. Shri Yudhvir Singh:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Jagdev Singh Siddhanti:
Shri Rameshwaranand:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Bureau of Investigation carried out investigations against 14 Gazetted Officers and 120 other employees of Delhi Administration; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) (a) and (b): No, sir. Only one case involving one Gazetted Officer of the Delhi Administration was taken up by the D.S.P.E. Division of the Central Bureau of Investigation during the year 1964. The case has since been dropped.

Anti-Indian activities by Roche Company

3092. Shri Kishen Patnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have received any complaints regarding the anti-Indian activities of the General Manager of Roche Company;

(b) whether Government's attention has been drawn to the news items on the subject appearing in 'Daily Maratha' published from Bombay; and

(c) whether any efforts are being made to keep full information about his activities?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) Yes, Sir. But the Government have no reason to believe that there is any truth in these complaints.

(b) Yes, Sir,

(c) The Government have their own arrangements to keep full information about persons indulging in anti-national activities.

प्रानोहिता पनबिजली योजना का सर्वेक्षण

3093. **श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सर्वेक्षण विभाग ने 1965–66 के क्षेत्र-कार्य मौसम में प्रानो-हिता पनबिजली योजना के जलाशय क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है; और

(ख) क्या महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश सरकारों को क्लियरेन्स मिल गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

थाना में रसायनिक कारखाना

3094. **श्री बसवन्त :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री कनकसबै :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के निकट थाना में एक बड़ा गैर-सरकारी रसायनिक कारखाना खोलने के लिये अमरीका ने दो बार ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं तथा उनकी कुल रकम कितनी है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक, वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमरीका) और अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमरीकी एजेन्सी ने सैद्धान्तिक रूप में मैसर्ज हेर डिल्लिया केमिकल्ज़ लि०, बम्बई को क्रमशः 3. 34 मिलियन डालर का ऋण, जो 1. 59 करोड़ रुपये के बराबर है और 26,484,000 रुपये का ऋण देना स्वीकार किया है।

(ख) ऋण करार पर, जिसमें शर्तें शामिल होंगी, बातचीत हो रही है ।

(ग) ऐसे ऋणों के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है ।

कैरों हत्या का उद्देश्य

3095. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दलजीत सिंह :
श्री इकबाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने सरकार से प्रार्थना की है कि कैरों हत्याकाण्ड के पीछे छिपे उद्देश्य की जांच करने का काम केन्द्रीय गुप्त वार्ता विभाग को सौंप दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में यदि कुछ प्रगति हुई है तो क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है ।

मैसूर राज्य के अधिकारी

3096. **श्री मोहसिन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक प्रादेश याचिका पर यह टिप्पणी की है कि मैसूर सरकार के अधिकारियों की केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई वरिष्ठता अस्थायी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मैसूर राज्य के असन्तुष्ट अधिकारियों की सूची के प्रकाशन से वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ने पर, अपीलों की सुनवाई के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(घ) क्या ऐसी अपीलों को दर्ज करने तथा उन्हें निबटाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) मैसूर उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि वन-विभाग मैसूर की अंतर्राज्यीय वरिष्ठता सूची का अभिप्राय एक अंतिम रूप से तैयार सूची है किन्तु वास्तव में यह एक अन्तिम सूची है । इस निर्णय के निहित अर्थों की विधि मंत्रालय और राज्य सरकार के परामर्श से जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अधीन पीड़ित राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिये

क्रमश: केन्द्र तथा राज्य में सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। आम तौर पर अधिकारियों को अभ्यावेदन देने के लिये अन्तिम वर्गीकरण सूचियों के प्रकाशन की तिथि से एक महीने की अवधि दी जाती है।

Hindi Examinations

3097. Shri Rananjai Singh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether his Ministry recently circularised all the Ministries that Government employees who pass the examinations equivalent to Matric, being conducted by institutions engaged in the propagation of Hindi in non-Hindi speaking areas will not be exempted from passing Pragya examination;

(b) whether it is a fact that a few years ago Hindi examinations conducted by these institutions were recognised by the Ministry of Education as equivalent to Matric, Inter., and B.A.;

(c) whether grants for the propagation of Hindi are given to many of these institutions and if so, whether the propagation of Hindi will be affected by withdrawal of recognition; and

(d) if so, whether there is any proposal to withdraw the orders for cancellation of recognition?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) It has been provided in O.M. No. 13/13/64-H dated 3rd December 1964 that employees who have passed Hindi examinations conducted by voluntary organisations which are recognised as equivalent to Hindi standard of matriculation examination will not be exempted under the Hindi Teaching Scheme from in-service training in Hindi.

(b) The Ministry of Education have recognised Hindi examinations conducted by certain voluntary organisations as equivalent to various examinations conducted by Schoool Boards and Universities.

(c) Various voluntary organisations are given grants for propagation of Hindi. The Hindi examinations conducted by these organitions continue to be recognised as before for purposes of recruitment to Government services/posts and for exemption from certain departmental tests in Hindi. By virute of the orders referred to under (a) above, non-Hindi-speaking non-gazetted employees who have passed the lower examinations conducted by voluntary organisations have become eligible for appearing at the Pragya examination held under the Hindi Teaching Scheme and thereby also for the grant of cash awards and advance increment payable under the Scheme. It is not expected therefore that these orders will affect the propagation of Hindi adversely.

(d) Certain representations received from various voluntary Hindi organisations are under examination.

इंडियन फाउण्डेशन आफ पूना

3098. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री मुरली मनोहर : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इण्डियन फाउण्डेशन आफ पूना को अध्ययन के लिये अवर स्नातकों को अमेरिका भेजने की अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में अध्ययन के लिये कितने विद्यार्थी अमरीका गये ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख) अमरीकन फील्ड सर्विस, न्यू यार्क के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन पूना द्वारा संचालित विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत 17–18 वर्ष आयु वर्ग के भारतीय बच्चे अमरीका के हाई स्कूलों में अध्ययन के लिए 1962–63 से, एक वर्ष के लिए भेजे गये थे । भारत सरकार ने हाल ही में इस विनिमय कार्यक्रम की भली भांति जांच की और इसके फलस्वरूप इस कार्यक्रम को बन्द करने का निर्णय किया गया; क्योंकि यह अनुभव किया गया कि अपरिपक्व बच्चों को उनके अपने सामाजिक जीवन से बिल्कुल भिन्न सामाजिक जीवन में रहने के लिए भेजना उनके अपने हित में न होगा ।

(ग) दो वर्षों अर्थात 1962–63 और 1963–64 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 91 विद्यार्थी ।

भारत के सीमावर्ती गांव में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

3099. { **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तानी उपद्रवी लोग कूच-बिहार जिले के भारतीय सीमान्त गांव मोहिशमारे में घुस आये और कुछ व्यक्तियों को घायल करके कुछ ढोर ले गये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 10 अप्रैल, 1965 को कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रिक कूच-बिहार जिले के मोहिशमारे गांव में घुस आये और एक भारतीय नागरिक के दो पशु ले गए जब कि वह अपनी ज़मीन पर हल चला रहा था ।

(ख) एक मामला शुरू किया गया है ।

Attack by Pakistanis on Kanjarkot Post

3100. Shri Madhu Limaye:
Shri Kishen Patnayak:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the statement made by him in Lok Sabha on the 9th April, 1965 and state:

(a) whether the expression "attack by Pakistanis on an Indian Post in the Kanjarkot area" implies an attack on the Kanjarkot Fort; and

(b) if not, the distance at which the post in question is situated from the said Fort?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b) The expression "attack by Pakistanis on an Indian post in the Kanjarkot area" refers to Sardar Post which is approximately 3 miles south-west of the Kanjarkot.

शरणार्थियों का पुनर्वास

3101. **श्री प्र० चं० बरुग्रा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रासाम तथा नेफा में पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को बसाने के लिये एक विशेष ग्रधिकारी नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी ठीक-ठीक शक्तियां तथा कार्य क्या हैं ; ग्रौर

(ग) ग्रधिकारी को कार्यान्वित करने के लिये दी गई पुनर्वास योजनाग्रों की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां, एक ग्रधिकारी जिसे सम्पर्क ग्रधिकारी नामित किया गया है, शिलांग, ग्रासाम में नियुक्त कर दिया गया है ।

(ख) ग्रधिकारी पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से सम्बन्धित सहायता तथा पुनर्वास ग्रादि के मामलों के बारे में ग्रासाम, त्रिपुरा, मनीपुर तथा नेफा प्रशासन के पुनर्वास विभागों से सम्पर्क रखेगा ।

(ग) प्रत्यक्ष रूप से पुनर्वास योजनाग्रों को कार्यान्वित करने में ग्रधिकारी की ज़िम्मेदारी नहीं होगी । योजनायें सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा ग्रमल में लाई जायेंगी ग्रौर ग्रधिकारी केवल योजनाग्रों की रूप रेखा तैयार करने में ही सहयोग देगा ।

भारत-ग्रमरीका के बीच ग्रध्यापकों का ग्रादान प्रदान

3102. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रमरीकी सरकार ने दोनों देशों के बीच ग्रध्यापकों के ग्रादान प्रदान का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; ग्रौर

(ग) भारत से ग्रध्यापकों का पहला दल कब जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रौर (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कोककर कोयला

3103. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था जीलगोरा ने अकोककर कोयले को कोककर कोयले में बदलने का एक तरीका निकाला है ;

(ख) क्या सरकार ने आगे अनुसन्धान करने तथा इस प्रयोजन के लिये एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के लिये कोई विशेष अनुदान दिया है ; और

(ग) इस तरीके का व्यापारिक उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) संस्थान, (1) धुलाई और संमिश्रण और (2) ब्रिकेटिंग के जरिए अकोककर कोयले को कोक में बदलने के लिये उसके उपयोग पर कार्य कर रहा है । संस्थान ने कोककर में प्रयोग के लिये निम्नस्तरीय कोयले का स्तर ऊंचा करने और उपयुक्त अनुपात में मन्द कोककर कोयले से संमिश्रित अकोककर कोयले अथवा लिग्नाइट के कार्बनीकरण का भी कार्य किया है ।

(ख) संस्थान में ब्रिकेटिंग संविरचना परीक्षण के लिए पायलट प्लांट की पर्याप्त सुविधाएं हैं । इसमें व्यापक संमिश्रित परीक्षणों के कार्य के लिये भी सुविधाएं विद्यमान हैं । इसके अलावा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के संयुक्त तत्वावधान में जमशेदपुर के परीक्षण संयंत्र में कोयले के संमिश्रण पर अनुसन्धान किया जा रहा है ।

(ग) देश के सभी इस्पात कारखानों को सलाह दी गई है कि वे संमिश्रित कोक का प्रयोग करें ।

दिल्ली में हत्या की घटनायें

3104. **श्री कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में 1 अप्रैल, 1964 से 31 मार्च, 1965 तक हुई कितनी हत्याओं के समाचार मिले ;

(ख) कितने मामलों का पता चला ; और

(ग) क्या आधुनिक तरीकों को अपना कर दिल्ली पुलिस के खुफिया पुलिस अनुभाग में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 63.

(ख) 43.

(ग) जी हां ।

नौकरी करने वाली महिलाओं संबंधी सर्वेक्षण

3105. { **श्री कोया :**
श्री कनकसबै :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क ने सरकारी नौकरियों में लगी हुई महिलाओं के रोज़गार तथा मध्य वर्ग की महिलाओं के नौकरी करने पर उनके परिवारों की प्रतिक्रिया के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क, दिल्ली ने 'अंशकालिक रोजगार के प्रति महिलाओं की प्रतिक्रिया' पर एक आम सर्वेक्षण आयोजित किया था । इन महिलाओं द्वारा नौकरी करने के सम्बन्ध में मध्य वर्ग के परिवारों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित आंकड़ों से पता चला कि उन में से अधिकतर महिलाओं द्वारा नौकरी करने के पक्ष में थे ।

(ख) सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर महिलायें अंशकालिक नौकरी के पक्ष में नहीं थीं । आम तौर पर पूरे समय की नौकरी को पसन्द किया गया ।

केरल लोक सेवा आयोग

3106. **श्री कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल लोक सेवा आयोग के दो सदस्य अप्रैल, 1965 के आरम्भ में सेवानिवृत्त हुये हैं ;

(ख) क्या उनकी जगह दूसरे सदस्य नियुक्त किये जा चुके हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता में दंगे

3107. **श्री कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ते के दंगों में बेघर हुए लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई ; और

(ग) क्या सभी बेघर लोगों को फिर से बसाया जा चुका है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) एक करोड़ रुपया, खाते मध्य के आधार पर, सहायता कार्यों के खर्च के लिये जिनमें उपद्रवग्रस्तों की सहायता भी शामिल है ; और

(ग) लगभग सभी ।

भावनगर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का यूनिट

3108. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र में भावनगर में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का एक नया यूनिट स्थापित करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शिक्षा संबंधी क्रियाकलाप

3109. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बृजवासी लाल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें कृषि तथा चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा भी सम्मिलित है, सभी शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियों को एक छत्र के नीचे लाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस पर अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) विषय विचाराधीन है ।

पंडित नेहरू की बरसी

3110. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार श्री जवाहरलाल नेहरू की पहली बरसी के अवसर पर बहुत से सार्वजनिक समारोहों का आयोजन कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हरजनवीस): (क) और (ख) स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू की पहली बरसी मनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय 27 मई, 1965 को समाजवाद,

लोकतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता पर एक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है । इन विषयों के विशिष्ट विद्वान संगोष्ठी में भाग लेने के लिये आमंत्रित किए गए हैं ।

गुजरात में पाकिस्तानियों द्वारा निश्चित अवधि से अधिक समय तक रहना

3111. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात राज्य में गत एक महीने से अब तक राज्य में निश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहरने के लिये कितने पाकिस्तानी पकड़े गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होते ही सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

राष्ट्रीय जीव-विज्ञान अनुसंधान संस्था

3112. **श्री हेम राज :** क्या **शिक्षा** मंत्री 31 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय जीव-विज्ञान प्रयोगशाला को पालमपुर (पंजाब) में स्थापित करने का निर्णय बदला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था, पटियाला

3113. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री मुरली मनोहर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय खेल-कूद संस्था, पटियाला को क्या सफलतायें मिलीं ;

(ख) संस्था ने अब तक कितने योग्यता प्राप्त शिक्षक तैयार किये हैं ; और

(ग) इस समय प्रशिक्षण के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितने कितने शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) और (ख) राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान, पटियाला से, विभिन्न खेलों में अब तक 548 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षक के रूप में योग्यता प्राप्त कर चुके हैं । इसके अलावा, संस्थान की राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अधीन, विभिन्न राज्यों में बहुत से क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । ऐसे 28 केन्द्र स्थापित हो चुके हैं । राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान ने राज्यों के लिए उनके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त 73 प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के विरुद्ध 66 प्रशिक्षित प्रशिक्षक निःशुल्क नियत किए हैं ।

(ग) संस्थान में इस समय 203 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

विषय	तीन वर्षीय पाठ्यक्रम	एक वर्षीय पाठ्यक्रम	कुल
एथलेटिक्स	14	29	43
जिमनास्टिक्स	8	—	8
तैराकी	4	—	4
बेडमिंटन	—	13	13
बास्केट बाल	—	20	20
क्रिकेट	—	9	9
फुटबाल	—	20	20
हाकी	—	28	28
लान टेनिस	—	5	5
टेबुलटेनिस	—	4	4
वालीबाल	—	31	31
कुश्ती	—	18	18

New Wine Shops in Delhi

3114. { **Shri Prakash Vir Shastri:**
{ **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the wine shops in Delhi and New Delhi which were restricted to major markets only, are now being opened in lanes, mohallas and on small roads;

(b) whether it is also a fact that recently a wine shop was opened on Roshanara Road, which was opposed by the public of that area; and

(c) whether it is Government's policy to discourage the opening of wine shops?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) No, Sir.

(b) No new licence for a liquor shop on Roshanara Road has been sanctioned. One of the existing L-2 licence shops was permitted to be shifted from Connaught Place to Roshanara Road. Some representations were received against the location of this shop on the Roshanara Road after it had been shifted. The Delhi Administration is now taking steps to withdraw the licence in respect of the new premises.

(c) Government's policy is to discourage the opening of new liquor shops.

Statues made by Delhi Polytechnic

3115. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2246 on the 14th April, 1965 and state:

(a) the type of material used for making of statues and the amount spent on it (year-wise) in Delhi Polytechnic from 1962 to 1965;

(b) the names of the States where the statues made by the said college were sold and their number;

(c) whether it is also a fact that some statues were stolen from the said college; and

(d) if so, the details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) (i) Following materials are used in making statues:

Teak Wood; Aluminium Ingot; Bronze and Brass Scrap; Stone; Plaster of Paris; Modelling Clay and Cement.

(ii) The year-wise expenditure on the procurement of various items is given below:

1961-62	Rs. 726.82
1962-63	Rs. 688.37
1963-64	Rs. 414.24
1964-65	Rs. 668.38

(b) No statue belonging to the College of Art, Delhi has been sold by the College in any State.

(c) and (d). Yes, Sir. One statue about 4'-6" high and made of cement was stolen from the College of Art. Report was lodged with police. The statue has been recovered by the police from Connaught place and is in their custody. Investigations are now in progress.

एक तिब्बती की गिरफ्तारी

3116. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अप्रैल, 1965 को भारत-नेपाल सीमा पर रक्सोल के निकट चेगुबीर नामक एक तिब्बती गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस के यहां आने का क्या कारण था ; और

(ग) उस से क्या क्या वस्तुयें बरामद हुईं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) चगु बीर नामक एक व्यक्ति, जो तिब्बत में एक नैपाली पिता और तिब्बती माता से उत्पन्न हुआ था और नैपाली होने का दावा करता था, रक्सौल में अप्रैल, 1965 को 13 (न कि 18) तारीख को गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) पता चला है कि वह कलिम्पोंग में अपनी मां की मृत्यु की 45वीं बरसी मनाने और बाद में काठमांडू स्थित अपनी दुकान के लिये कुछ सामान खरीदने के लिये कलकत्ता जा रहा था ।

(ग) उसके पास से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद हुईं :—

(1) 31,180 रुपये भारतीय मुद्रा में और 581 रुपये नैपाली मुद्रा में ।

(2) नैपाली सरकार द्वारा जारी किया गया एक मोटर साइकिल चलाने का लायसेंस ।

(3) जो सामान उसे कलकत्ते से खरीदने थे उनकी सूची और जो सामान उसने कलकत्ता से अपनी पिछली यात्राओं में खरीदे थे उनका ब्यौरा।

गनोल में शरणार्थी शिविर

3117. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गनोल (गारो पहाड़ियां) शिविर आग से जल जाने के कारण वहां के बहुत से शरणार्थी बेघर हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या आग लगने के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) शरणार्थियों को तुरन्त सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पुर्नवास मंत्री (श्री त्यागी): (क) से (ग). 9 अप्रैल, 1965 को गनोल शिविर में पौंने चार बजे सायंकाल आग लग गई थी। शिविर कार्यालय, अस्पताल को मिला कर लगभग एक चौथाई घर बरबाद हो गये। मानव जीवन की वहां कोई हानि नहीं हुई। राज्य सरकार को बरबाद हुये घरों को फिर से निर्माण करने का अधिकार दे दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आग निकट की पहाड़ियों से आरम्भ हुई थी। आग लगने के सही कारण तथा कुल हानि के बारे में राज्य सरकार से ब्योरेवार रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अध्यापकों की कमी

3118. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अध्यापकों की कमी दूर करने का एक अविलम्ब कार्यक्रम (क्रैश प्रोग्राम) है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन): (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रथम वर्ष में अतिरिक्त अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए, विद्यमान अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में दाखिले की क्षमता को चालू वित्त वर्ष में बढाने के लिए सरकार ने अग्रिम कार्रवाई की है। राज्य आयोजना के लिए निर्धारित रकमों के अलावा, राज्य सरकारों को 175 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई है। इससे देश में लगभग 9000 अतिरिक्त प्रशिक्षण स्थान बढाए जा सकेंगे।

श्री अ० क० गोपालन के पत्र

3119. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री अ० क० गोपालन ने उनके द्वारा लोक-सभा के अध्यक्ष, केरल उच्च न्यायालय तथा उनके विधि परामर्शदाता को लिखे गये पत्रों के भेजने में रुकावट तथा अनुचित विलम्ब के बारे में शिकायत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों के बारे में जांच की गई है तथा उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). जी, हां। श्री ए० के० गोपालन द्वारा केरल के उच्च न्यायालय को दिये गए एक मूल अभ्यावेदन का विषय यही है।

(ग) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह जरूरी हिदायतें जारी कर दें ताकि ऐसे पत्र व्यवहार के बारे में देर की शिकायत का कोई कारण न रहने का पक्का इंतजाम हो जाये। केरल सरकार ने सूचना दी है कि इस बारे में दूर की जा सकने वाली देर से बचने के लिये सभी उपाय किये जा रहे हैं।

हल्दिया तेल शोधनशाला

3120. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री बूटा सिंह :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा आयल कम्पनी ने हल्दिया तेल शोधनशाला स्थापित करने में सहयोग देने की पेशकश की है ;

(ख) क्या दो महत्वपूर्ण तेल कम्पनियों—सी० एफ० पी० गल्फ तथा कुवैत नेशनल आयल कम्पनी—ने भी हल्दिया तेल शोधनशाला की स्थापना में भाग लेने के लिए काफी रुचि दिखाई है ;

(ग) यदि हां, तो निर्देश-पद क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने कोई पेशकश स्वीकार कर ली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) बर्मा आयल कम्पनी ने रुचि दिखाई है किन्तु अभी तक ठोस पेशकश नहीं की है।

(ख) जी हां।

(ग) मुख्य रूप से सरकार द्वारा 5-1-65 और 12-2-65 को जारी की गई प्रेस-ज्ञापनी के आधार पर।

(घ) जी नहीं।

दिल्ली में नामपटों पर कोलतार पोतना

3121. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सड़कों के तथा अन्य नामपटों पर अंग्रेजी के अक्षरों पर कोलतार पोत दिया गया है ;

(ख) इसके लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ; और

(ग) सरकार इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) ऐसी कोई घटना दिल्ली पुलिस के ध्यान में नहीं आई ।

(ख) और (ग): प्रश्न ही नहीं उठते।

College of Arts, Delhi

3122. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some such students are taking their examinations in the Delhi College of Arts as were given admission in the said College direct to the 7th year after they passed their Inter examination;

(b) whether it is also a fact that under the provisions of the College rules they should have been admitted to the 5th year after they passed their Inter examination;

(c) whether it is also a fact that even such students are taking the examination as have not passed Inter examination and even prior to this occasion some students not eligible to take the examinations under college rules had passed their examinations in the said College; and

(d) if so, the action being taken by Government to check such policy of discrimination being followed by the College?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) No, Sir. Only one candidate was admitted into the 7th year in 1964-65 who had not only passed the intermediate examination from the College of Arts and Crafts at Madras but had thereafter completed two years of the course. The candidate was admitted into the 7th year direct according to the rules after a proper test.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

बहिता हवाई अड्डे पर चीनियों की गिरफ्तारी

2124. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री दाजी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 अप्रैल, 1965 को पटना के बहिता हवाई अड्डे पर पुलिस ने तीन व्यक्तियों को यह शक होने पर कि वे चीनी जासूस हैं पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) यह सत्य है कि पटना के हवाई अड्डे पर तीन व्यक्तियों को इस शक में गिरफ्तार किया गया था कि वे चीनी राष्ट्रिक थें।

(ख) एकदम की गई पुलिस की जांच और पूछताछ से पता चला कि उनके खिलाफ़ शक की कोई बात नहीं थी। वे प्रामाणिक रूप से तिब्बती राष्ट्रिक थे। उन्हें पुलिस की निगरानी में रखा गया है।

सैक्शन अफसरों की चुनी हुई सूची

3125. **श्री वारियर :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बे समय के लिए अवर सचिवों के रूप में कार्य करने के लिए स्वीकार किये गए सैक्शन अफ़सरों की चुनी हुई सूची पर, जो 19 सितम्बर, 1964 को निकाली गई थी, कुछ तकनीकी अथवा प्रतिक्रिया संबंधी त्रुटियों के कारण सरकार अमल नहीं कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार अब कोई संशोधित सूची निकाल दी गई है ;

(ग) यदि उपयुक्त भाग (ख) का उत्तर ना में हो तो—

(एक) सात महीने के बाद भी संशोधित सूची न निकालने के क्या कारण हैं ; और

(दो) सरकार का किस निश्चित तारीख से पहले संशोधित सूची जारी करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ग) चयन सूची के निर्माण का नियंत्रण करने वाले विनियमों के अनुसार चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा एक सदस्य द्वारा की जानी चाहिये। पहले से ही निश्चित भारी काम में लगे रहने के कारण आयोग इस काम को अप्रैल तक शुरू नहीं कर सका। अब चयन सूची की बैठकें निश्चित कर दी गई हैं और बहुत जल्दी ही संशोधित चयन सूची के निकाल दिये जाने की आशा है।

गृह-निर्माण सहकारी संस्थायें

3126 **श्री बूटा सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी गृह-निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रशासन द्वारा लगाये गये अर्जन तथा अन्य प्रभार के रूप में प्रति गज प्रीमियम दे दी है ;

(ख) ऐसी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनसे प्रीमियम देने को कहा गया था लेकिन उन्होंने अभी तक इसका भुगतान नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ समितियों ने प्रशासन से उनसे प्रीमियम वसूल नहीं करने के लिए अनुरोध किया है तथा इसके लिए क्या कारण बताये हैं ; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). उन संस्थाओं की एक सूची संलग्न है जिन्होंने उन्हें दी गई भूमि का पूरा का पूरा प्रीमियम दे दिया है । दो संस्थाओं ने प्रीमियम का एक भाग ही दिया है और शेष को भी बाद में देना मंजूर कर लिया है । उनके नाम हैं आदर्श भवन सहकारी गृह निर्माण संस्था और गुजरानवाला सहकारी गृह निर्माण संस्था । दो अन्य संस्थाओं ने उनसे मांगा गया प्रीमियम जमा नहीं कराया है। उनके नाम हैं नारंग सहकारी गृह-निर्माण संस्था और चन्द्रनगर सहकारी गृह निर्माण संस्था। इन संस्थाओं ने श्री पी० जी० देव द्वारा नियम 197 के अधीन दिये गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में 23 मार्च, 1961 को लोक-सभा के सभा-पटल पर रखे गए विवरण [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०**--4351/65] । के अनुच्छेद 2 IV के अनुसार रियायती आधार पर भूमि की मांग की है । उनकी प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ?

(ग) और (घ). कुछ संस्थाओं ने प्रीमियम की रियायती दरों पर भूमि की मांग की है किन्तु उनकी प्रार्थना नामंजूर कर दी गई ।

गृह-निर्माण सहकारी संस्थायें

3127. { **श्री बूटा सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी गृह-निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके पास भूमि अर्जन अधिसूचना से पहले दिल्ली में अपनी भूमि थी !

(ख) क्या उनकी भूमि का भी अर्जन किया गया था ; यदि हां, तो क्या उनके लिये कोई विशेष शर्तें रखी गई थीं ; और

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें दिल्ली की उन गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम दिये गए हैं जिनका दावा था कि, दिल्ली प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिये 34,000 एकड़ भूमि के अर्जन सम्बन्धी सरकार के इरादे की घोषणा करने वाली अधिसूचना के जारी किये जाने की तिथि अर्थात् 13 नवम्बर, 1959 से पहले, उनके पास भूमि थी ।

(ख) और (ग). विभिन्न संस्थाओं की भूमि या तो अर्जित कर ली गई है या अधिग्रहण की प्रक्रिया के अन्तर्गत है । जब किसी संस्था की भूमि अर्जित की जाती है और उसका यह दावा मान लिया जाता है कि उसके पास 13 नवम्बर, 1959 से पहले भूमि थी,

तो 23 मार्च, 1961 को श्री पी० जी० देव द्वारा नियम, 197 के अधीन दिये गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रखे गए विवरण के अनुच्छेद 2.III और IV में दी गई शर्तों के अनुसार, उस संस्था को उसकी भूमि के बदले दूसरी भूमि दी जाती है। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 4352/65]।

सहकारी संस्थाओं को भूमि का आवंटन

3128. **श्री बूटा सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन गृह-निर्माण सहकारी संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको विकसित अविकसित भूमि का कब्जा दे दिया गया है ;

(ख) ऐसी समितियों के नाम क्या हैं जिन्हें भूमि आवटित तो कर दी गई है परन्तु कब्जा अभी तक नहीं दिया गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गृह-निमणि समितियों को मकान बनाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) इन संस्थाओं की सूची इस उत्तर के अनुबन्धन में दे दी गई है।

(ख) जो सूचना मांगी गई है वह अनुबन्धन II में है।

(ग) इस बारे में सरकार, की नीति नियम, 197 के अधीन श्री पी० जी० देव द्वारा दिये गए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में पहले ही 23 मार्च, 1961 को सदन के सभा-पटल पर रखे गए विवरण में बता दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 4353/65]। विशेष रूप से अनुच्छेद 2.III और IV की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

Low standard of textbooks

3129. **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of Education be pleased to state: (a) whether it has come to his notice that the standard of textbooks of schools and colleges in various parts of the country is quite low from the points of view of language and subject-matter; and

(b) if so, the measures Government propose to take to bring uniformity in the standard of books on various subjects in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan): (a) and (b). It is generally felt that the standard of textbooks particularly at the school level requires improvement. As Education is a State subject, the State Governments have been

taking steps in this direction such as nationalisation of text book production. According to the information available, all States except Gujarat and Maharashtra have arrangements to publish text books under the supervision of expert bodies who are responsible for reviewing them from time to time. Besides, the National Council of Educational Research and Training has a programme of getting standard school textbooks on various subjects written through panels of eminent educationists.

चालवाड़ा, केरल में सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं पर प्रहार

3130. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में केरल में पालघाट जिले के चालवाड़ा स्थान पर गुंडों ने कई प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं पर प्रहार किया ;

(ख) क्या पुलिस ने अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग). 12 अप्रैल, 1965 को रात को लगभग 10 बजे लाठियों से लैस एक गैर-कानूनी भीड़ ने चालवाड़ा में सर्वश्री पी० वी० कुनहुन्नी नायर, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा, अम्पिनी, काली, आई० सी० पी० नम्बूदिरी, के० वी० रमन कुट्टी, के० पी० चाथन, सी० कुन्हैयाप्पन, के० प्रभाकरन और याहू पर हमला किया और उन्हें चोटें पहुंचाई।

चैरप्लासरी थाने में भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 147, 148 और 324 के अंतर्गत अपराध संख्या 51/65 दर्ज किया गया है। अपराधी स्वजु, कुन्ही मौहम्मद और अबूबकर कोया को 14-4-65 को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन जमानत पर रिहा किया गया। अपराधी के० मरक्कर, मौहम्मद, कुन्हीबाप्पू, अलावी, सय्यदअली और अयद्रुंत्ती 15-4-65 को गिरफ्तार किये गए और उसी दिन जमानत पर रिहा किये गए। शोरनूर के मण्डल निरीक्षक, पुलिस की देखरेख में मामले की जांच की जा रही है।

केरल जल परिवहन निगम के कर्मचारी

3131. **श्री पोट्टेकाट्ट :**
श्री वारियर :
श्री अ० व० राघवन :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल जल परिवहन नियम के कर्मचारियों को मार्च, 1965 का वेतन निश्चित तारीख को नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). वेतन 8 अप्रैल, 1965 को दिया गया। यह थोड़ी सी देर इसलिये हुई कि केरल उच्च न्यायालय के इस आदेश के कारण कि निगम समाप्त कर दिया जाय, बैंक ने निगम के मुख्य प्रबन्धक के पक्ष में जमा-खाते से अधिक धन देने से इंकार कर दिया।

Import of Crude Oil

3132. Shri Rananjai Singh: Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the quantity of crude oil imported by each oil Company during 1964-65 and the countries from which imported;

(b) the quantity of petroleum products exported during 1964-65 and the countries to which exported; and

(c) the quantity of crude oil produced and refined in the country during 1964-65?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir):

In tonnes

(a) **Crude Oil Imports—1964-65.**

	Iran	*S. Arabia*	*Kuwait*	*Indonesia*	*Total*
Burmah-Shell	3267,574	..	31,708	..	3299,282
Esso Standard	..	2342,218	..	..	2342,218
Caltex	799,417	..	..	286,149	1085,566

(b) *Export of Petroleum Products*—1964-65

360,663 tonnes of Petroleum products (Motor Spirit, Naphtha and Paraffin Wax) were exported; (i) Motor Spirit was exported to Singapore, Indonesia and New Zealand, (ii) Naphtha to USA and New Zealand, and (iii) Paraffin Wax to U.K., Ireland, Holland, Peru, Ceylon, Malaysia and Australia.

(a) *Crude Oil Produced and refined*—1964-65

1. Crude oil produced .. 2,285,308 tonnes
2. Crude oil refined .. 9,083,293 tonnes

तैराकी शिक्षकों को प्रशिक्षण

3133. **श्री राम हरख यादव** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय राष्ट्रीय खेल कूद संस्था, पटियाला ने तैराकी शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये पाठ्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) पाठ्यक्रम के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ; और

(घ) पाठ्यक्रम के लिये कितने प्रशिक्षणार्थियों को दाखिल किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक 1963 में सात महीने का एक तदर्थ पाठ्यक्रम और 1964 में तीन वर्ष का एक नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है। नियमित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित अध्ययन शामिल हैं :—

व्यावहारिक (प्रेक्टिकल) : तैराकी शिक्षण की सही तकनीक सीखना और वास्तविक रूप से भाग लेना ।

सैद्धान्तिक (थ्योरी) : खेल के नियम और विनियम, स्थानापन्न, इतिहास और विकास ।

इसके अलावा निम्नलिखित विषय भी पढ़ाए जाते हैं :—

(1) शरीर रचना विज्ञान और फिजियालोजी;

(2) स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान;

(3) कसरत का क्रिया विज्ञान;

(4) किनेसिओलाजी;

(5) खिलाड़ियों की चोटों का इलाज और प्राथमिक चिकित्सा;

(6) मनोविज्ञान और प्रशिक्षण के तरीके; और

(7) शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त ।

(ग) प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्तिम सप्ताह में ।

(घ) पन्द्रह ।

पाकिस्तानियों द्वारा अतिचार

3134. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17 अप्रैल, 1965 को तिहट्टा (नाडिया) में पाकिस्तानी नागरिक भारतीय राज्य-क्षेत्र में अवैध रूप से घुस आये और 100 ढोर भगा ले गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फिर 18 अप्रैल, 1965 को पाकिस्तानी नतुआ गांव में घुस आये और ग्रामवासियों से झगड़े और कई भारतीयों को मार दिया;

(ग) यदि हां, तो दोनों घटनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय सुखलाल हाथी): (क) से (घ). 17-4-1965 को दिन के लगभग 11 बजे जिला कुश्तिया के थाना मेहरपुर के दरियापुर और सलूका में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों ने जो लाठियों और हथगोलों से लैस थे, सीमा स्तम्भ संख्या 113 के पास कड़ा छड़ा मठ पर भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश किया और जबर्दस्ती 111 पशु हांक ले गये। हथगोले फेंके जाने के फलस्वरूप एक भारतीय नागरिक की पीठ पर चोटें आईं ।

दोबारा 18–4–1965 को लगभग 11 बजे धारदार हथियारों से लैस 200/300 पाकिस्तानी नागरिक सीमा स्तम्भ 110 और 111 के बीच भारतीय क्षेत्र में छुवोखोला बाल में घुस आये जो भारतीय क्षेत्र के काफी अन्दर है, और भारतीय मछुओं पर आक्रमण करने के बाद उनके अस्थायी छप्पर से दो नाव तीन सन्दूक और 1000 रुपये नकद ले गये। उसी दिन लगभग 13.45 पर 300/

400 पाकिस्तानी नागरिक जो ख़तरनाक हथियारों से लैस थे और जिनकी सहायता पूर्वी पाकिस्तान रेंजस के आदमी कर रहे थे नबीनगर गांव में इकट्ठे हो गये । उनकी मनोदशा उत्तेजित थी । इससे सीमा के भारतीय क्षेत्र में काफी तनाव पैदा हो गया । कोई हताहत नहीं हुआ ।

इस तरह भारतीय सीमा के बार बार उल्लंघन और भारतीय सम्पत्ति की लूट और विनाश तथा भारतीय नागरिकों के पशुओं, नावों और नकदी की चोरी के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों से सख्त विरोध प्रकट किया गया है । पाकिस्तानी अधिकारियों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठायें और 111 पशु, दो नावें और अन्य सामग्री लौटायें तथा अपराधियों को शिक्षाप्रद दण्ड दें ।

पैट्रो-रसायन परियोजनायें

3135. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक तेल शोधनशाला से सम्बद्ध पैट्रो-रसायन परियोजनायें स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी परियोजनायें स्थापित की जायेंगी ; और

(ग) प्रथम परियोजना कहां स्थापित की जायेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). सरकार का आशय यह है कि जहां तक सम्भव हो, शोधनशालाओं के पास उपयुक्त पैट्रो-रसायन परियोजनाओं को स्थापित किया जाए । फिलहाल ऐसी परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरा विचाराधीन है ।

(ग) पहली पैट्रो-रसायन परियोजना गुजरात राज्य के कोयली क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में होगी । बम्बई क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र में परियोजनाओं का एक समूह पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है ।

Secondary Education by Post

3136. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Postal Secondary Education is proposed to be introduced; and

(b) if so, the outlines of the proposal?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shrimati Soundaram Ramachandran): (a) Yes, Sir.

(b) The Scheme of supervised Correspondence (i.e. Postal) instruction at the Secondary School stage is intended to cover a large number of pupils who pass class VIII and cannot join secondary classes for a variety of reasons. The Correspondence Courses will be organised through a separate department which is proposed to be set up in the Central Board of Secondary Education, New Delhi.

2. The syllabus for the course will be on the same lines as laid down for Board's examinations. The duration of instruction through Correspondence will be one year longer than the period for regular students in schools.

3. The students will take the same examination as other students in the ordinary schools and will be given the same certificate.

4. The scheme will include a well-organised programme during vacations providing for personal contact between the teacher and the taught.

Summer Science Camp in South India

3137. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a summer science camp is being set up in South India;

(b) if so, the number of foreign countries which gave assistance for this purpose and the names of agencies which are extending their cooperation in this respect; and

(c) the number of teachers taking part in it?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla): (a) to (c). There is no proposal to set up a Summer Science Camp, as such, in South India; the University Grants Commission and the National Council of Educational Research and Training have, however, a joint programme of organising Summer Institutes in Science subjects, in collaboration with the United States Agency for International Development, some of which will be located in South India. About 900 College and School teachers drawn from Institutions located in the Southern region will be participating in this programme.

भारतीयों को गुरिल्ला युद्ध-प्रणाली का प्रशिक्षण देने के चीनी षड़यंत्र

3138. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय गुप्त वार्ता विभाग ने चीन-समर्थक साम्यवादियों के घरों की तलाशियों में भारतीयों को गुरिल्ला युद्ध-प्रणाली का प्रशिक्षण देने के एक चीनी षड्यन्त्र का पता लगाया है तथा कुछ फिल्म व दस्तावेज भी पकड़े हैं जिनसे ऐसा षड्यन्त्र होने का प्रमाण मिलता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): सदन में इस सूचना को प्रगट करना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं होगा ।

केरल में अध्यापकों का स्थानान्तरण

3139. { **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में जिला शिक्षा अधिकारियों को अध्यापकों से बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह प्रार्थना की गई है कि 1964-65 में उन्हें अपने निवास स्थान के निकट स्थानान्तरित कर दिया जाये;

(ख) कितने आवेदन-पत्र मंजूर किये गये तथा कितने नामंजूर किये गये; और

(ग) क्या नामंजूर किये गये मामलों पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) से (ग). राज्य सरकार से सूचना उपलब्ध की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गांवों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण

3140. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1961 की जनगणना के सिलसिले में विभिन्न राज्यों में 580 गांवों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार गांवों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यह सर्वेक्षण कब किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) 1961 की जनगणना के साथ सहायक रूप से 580 गांवों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) चुने गए गांवों के राज्यवार नाम 1961 की जनगणना के प्रकाशनों के कार्यक्रम की संदर्शिका के पृष्ठ 97--124 तक परिशिष्ट 1 में दिये गए हैं। इस संदर्शिका की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी गई हैं और लोक सभा तथा राज्य सभा के सचिवालयों को भी दी गई हैं।

(ग) 1960 के बाद के हिस्से में।

राजस्थान का मुख्य मंत्री

3141. **श्री विश्वनाथ पांडेय** :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के कुछ संसद् सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों ने राजस्थान के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध एक ज्ञापन पेश किया है। जिसमें उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) कुछ लोगों द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांक 22 अप्रैल, 1965 का एक ज्ञापन, जिस में राजस्थान के मुख्य मन्त्री पर लगाये गये आरोपों की सूची भी लगी हुई थी, प्राप्त हो गया था तथा सरकार के विचाराधीन है।

तंजौर के निकट भूमि में कटाव

3142. **श्री कंडप्पन** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाड में तंजौर के निकट वेन्नारपेताई गांव में भूमि में बहुत बड़ा कटाव होता जा रहा है जिसके कारण आस पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत चिन्ता बनी हुई है ;

(ख) क्या इस घटना का अध्ययन करने के लिये कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) आतंकित ग्रामीणों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) थंजावुर जिले में वेन्नारपेटाई गांव में 800 मीटर लम्बी लगभग $2\frac{1}{2}$ सेंटीमीटर की चौड़ी दरारें ध्यान में आईं हैं।

(ख) एक भू-शास्त्र विशेषज्ञ ने क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) इस अवस्था में सहायता अथवा सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है।

उड़ीसा में नए विश्वविद्यालय

3143. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1965–66 तथा 1966–67 में राज्य में नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिला गजेटियर

3144. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को 1965–66 में जिला गजेटियरों के संकलन तथा प्रकाशन के लिये कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) उसका व्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) और (ख). 1965–66 में जिला गजेटियरों के संकलन तथा प्रकाशन में उड़ीसा सरकार द्वारा खर्च किये जाने वाली धनराशि का 40 प्रतिशत केन्द्रीय सहायक अनुदान उक्त सरकार को दिया जायेगा। प्रति पुस्तक के संकलन के लिए अधिकतम अनुदान 6,000 रुपये हैं।

आसाम–पूर्वी पाकिस्तान सीमा

3145. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री राम हरख यादव :
श्री पन्नालाल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी-पाकिस्तान अनसर (स्थानीय मिलिशिया) तथा पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स ने आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के ढबरी-गोलपाड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में भय पैदा करने का अभियान शुरू कर दिया है और उस क्षेत्र के लोगों में आतंक फैला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) 13 और 14 मार्च 1965 को अवैध प्रवेश करने वाले पाकिस्तानियों और अपराधियों ने, जिन की सहायता वर्दी पहने हुए कुछ सशस्त्र पाकिस्तानी कर रहे थे, भारतीय क्षेत्र में अवैध प्रवेश किया और जबर्दस्ती पशु, बर्तन, कपड़े और अन्य घरेलू इस्तेमाल की चीजें उठा कर ले गये। 14 मार्च 1965 को तीन भारतीय राष्ट्रिकों पर बुरी तरह हमला किया गया। क्षेत्र के लोगों में आतंक फैल गया क्योंकि पाकिस्तानी आक्रामकों की सहायता वर्दी पहने हुए सशस्त्र पाकिस्तानी कर रहे थे।

आसाम सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों को विरोध पत्र भेजा है। सीमा सुरक्षा दल और जिला एक्जीक्यूटिव फोर्स को मज़बूत किया गया है। स्थानीय नेताओं से भी अनुरोध किया गया है कि वे आतंक को मिटा कर लोगों के मनोबल को बनाए रखें।

दिल्ली विश्वविद्यालय

3146. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के एक संस्पर्शी ब्लाक का कुल क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय क्षेत्र में आम रास्ते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या जनसाधारण की असुविधा दूर करने के लिए विश्वविद्यालय को राजधानी के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र से किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) लगभग 447.5 एकड़।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

राजभाषा के रूप में उर्दू

3146क. **श्री कोया :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री किन्दर लाल :
श्री बृजबासी लाल :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब तथा राजस्थान में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देने के बारे में 104 संसद् सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

Scheduled Areas in Maharashtra

3146B: Shri D. S. Patil: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total population of the Adivasis residing outside the scheduled areas in Vidharbha region of Maharashtra State;

(b) whether it is a fact that the Government of Maharashtra had suggested certain area to be declared as scheduled area; and

(c) if so, which area has been declared as scheduled area by the Central Government?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra): (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

(b) & (c). The Government of Maharashtra had suggested to the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission to include certain areas, including some areas of Vidharbha region, in the list of Scheduled Areas (*vide* extracts laid on the Table, Appendix I). [Placed in Library. *See* No. LT 4354/65]. The Commission recommended that the question of scheduling of areas should be considered in the light of the 'alternative approach' suggested by them in Chapter 8 of their Report (extracts laid on the Table, Appendix II). [Placed in Library. *See* No. LT 4354/65]. The 'alternative approach' suggested by the Commission *viz.* that the tribal areas should be grouped under Tribal Development Blocks, has been accepted by the Government of India. The question of scheduling any new areas in Maharashtra does not, therefore, arise.

नरेला बस्ती का विस्तार

3146-ग. { **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**
श्री युद्धवीर सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नरेला बस्ती के विस्तार के लिये भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत 9500 एकड़ भूमि के अर्जन की अधिसूचना जारी की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अर्जित की जाने वाली भूमि में भारगढ़ तथा कुरानी गांवों समेत अन्य कई गांवों की खेती भूमि शामिल है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) 30 अक्तूबर, 1963 को दिल्ली प्रशासन द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या एफ० 1(43)/63--एल० एण्ड एच० की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रख दी गई है।

738 (Ai) LS--7.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का कल्याण

3146घ. { **श्रीमती रेणुका बड़कटकी :**
श्री कनकसबै :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने गृह-मंत्रालय से संघ सरकार के कर्मचारियों के लाभ के लिए एक व्यापक समाज कल्याण योजना पेश करने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो गृह मंत्रालय जिस योजना पर विचार कर रहा है उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और तैयार हो जाने पर योजना आयोग को भेज दिया जायगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम में अरुणाचल और सिलचर के बीच रेल की पटरी पर विस्फोट

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he make a statement thereon?

> "Reported explosion near Silchar Railway station in Assam blasting the railway track and resulting in the death of some persons and injury to others."

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): आसाम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 29 अप्रैल, 1965 को रात को 8.20 पर सिलचर और अरुणाचल के बीच सिलचर रेलवे स्टेशन से लगभग एक मील दूर, एक भयंकर विस्फोट हुआ । स्थानीय पुलिस, जो विस्फोट की आवाज सुन कर उस स्थान पर दौड़ कर पहुंच गई थी धरम नगर से सिलचर को जाने वाली एक गाड़ी को घटनास्थल से 150 गज से ज्यादह दूर रोकने में सफल रही और इस तरह उस दुर्घटना से बचा लिया ।

सूचना मिलने पर सिलचर के उपायुक्त जिला पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंच गए । इलाके की नाकाबन्दी की, और जांच के लिये आवश्यक एहतियाती कार्यवाही की । नज़दीक की एक स्थानीय फ़ौजी टुकड़ी से सशस्त्र गारद तथा सिलचर रेलवे स्टेशन से एक रेलवे सुरक्षा दल की यूनिट तुरन्त बाद ही मौके पर पहुंच गई ।

स्थायी रास्ते पर दो गड़हों को देख कर ऐसा प्रतीत होता था कि दो विस्फोट हुए थे जो शायद एक साथ ही हुए थे । गड़हों के ऊपर 8 फुट लम्बाई में पटरी बिलकुल उड़ गई थी, रास्ते के नीचे का आधार और तीन लकड़ी के सलीपर छितरा गए थे और रास्ते की सीध बिगड़ गई थी ।

रास्ते से लगभग 100 फुट दूर फेंकी हुई एक बुरी तरह चिथड़ी हुई लाश मिली। एक अन्य व्यक्ति जिसे खतरनाक चोटें आई थीं और बुरी तरह जल गया था बेहोशी की हालत में लगभग 15 फुट दूर रास्ते के पश्चिम में पड़ा मिला। उसे एकदम हस्पताल ले जाया गया जहां अपनी चोटों के कारण उस की मृत्यु हो गई।

इस बात की सम्भावना को बिलकुल ही छोड़ नहीं दिया गया कि यह आती हुई गाड़ी को उड़ाने का प्रयत्न था। जांच की जा रही है। जांच कार्य में सहायता देने तथा इस तरह की घटना को दोबारा होने से रोकने के लिये सभी आवश्यक उपाय किये गए हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Has it come to the notice of the Government that Pakistani spies are to be found mostly near borders areas of Assam, Tripura, Bengal and Uttar Pradesh and they are responsible for all such activities? Has some enquiry been conducted into this explosion to find out as to where this bomb was manufactured?

Shri Hathi: Some spies have been captured in Assam.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Is it a fact that according to the police enquiry report this explosion was caused by electric current; if not, the persons arrested so far in this connection and any information received from them?

Shri Hathi: No body has been arrested so far.

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know whether this explosion was caused by electric current.

Shri Hathi: It was not caused by electric current but by battery charge.

Shri Yashpal Singh (Kairana): The Pakistani embassy in Shillong is mostly engaged in espionage and sabotage activities. Do the Government think that these activities cannot be stopped till the embassy is closed?

Shri Hathi: I told that some spies have been arrested. External Affairs Ministry deals with the closing of embassies.

Shri Onkar Lal Berwa: When I asked, he told that nobody has been arrested and now he says that some persons have been arrested, what is the matter?

श्री हाथी : मैंने कहा था कि कुछ जासूस व्यक्ति पकड़े गये हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में नहीं।

श्री सुबोध हंसदा (झाड़ग्राम) : क्योंकि यह गुप्त तोड़ फोड़ का कार्य समझा जाता है, क्या सरकार ने आस पास की पुलिस को सचेत कर दिया है ?

श्री हाथी : जी हां।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : क्योंकि यह गुप्त तोड़ फोड़ का कार्य है, सरकार ने इन क्षेत्रों, विशेषतया रेल की लाइनों की सुरक्षा के लिये क्या ठोस कदम उठाये हैं जिससे कि ऐसी घटनायें दोबारा न हों।

श्री हाथी : एक तो कई बार गश्त लगाना लागू कर दिया गया है ।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : जिस बेहोश व्यक्ति को अस्पताल में ले जाया गया था, क्या उससे पूछताछ की गई है ?

श्री हाथी : अभी तक तो मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : जिस व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हुई थी क्या वह पहचान लिया गया है ? यदि हां, तो वह किस राष्ट्र का था ?

श्री हाथी : वह कचार ज़िले का रहने वाला था ।

Shri Prakash Vir Shastri: (Bijnor): Only day before yesterday a special military train was derailed near Garhmukteshwar in Meerut and the hon. Minister just now told of a similar incident. I want to know whether the Ministry has tried to find out whether there is some conspiracy behind all these accidents?

Shri Hathi: We think it is a case of sabotage and we are proceeding in the matter accordingly.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : विभिन्न स्थानों में बार-बार ऐसे विस्फोटों को देखते हुए, क्या सरकार स्वयं-सेवक सेना तैयार करने का विचार कर रही है? यदि सरकारी सेना इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो क्या सरकार ऐसे स्थानों की सुरक्षा के लिये होम गार्ड्स अथवा स्काऊटों की सहायता लेने का विचार नहीं कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : हम इस पहलू पर भी विचार कर रहे हैं । होम गार्ड्स की संख्या में वृद्धि की जा रही है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : इस बात को देखते हुए कि यह घटनाएं बार-बार हो रही हैं और तोड़ फोड़ करने वाले यह कार्य बिना किसी डर के कर रहे हैं और कभी पकड़े नहीं गये हैं, क्या सरकार लोगों में से इस भावना को हटाने का प्रयत्न कर रही है कि हमारा गुप्त वार्ता विभाग उतना कुशल नहीं जितना होना चाहिये ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : हम जागरूक हैं और हमने अभी तक 60 जासूस पकड़े हैं ।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : जब 1962 में चीनी आक्रमण हुआ तो पाकिस्तान के जासूसों ने आसाम में तीन बार रेल की पटरी को उड़ाने का प्रयत्न किया था । अब उस क्षेत्र में हम अपनी सेना ले जा रहे थे तो यह विस्फोट हुआ । इस सम्बन्ध में मैं सरकार का ध्यान स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित नेहरू द्वारा इस सभा में दिये गये आश्वासन की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार शिलांग में स्थित पाकिस्तान के सहायक उच्चायुक्त के कार्यालय को बन्द करने पर विचार करेगी क्योंकि सीमांत प्रदेश में तोड़ फोड़ की कार्यवाहियां यहीं से होती हैं? मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस आश्वासन के अनुसरण में क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं माननीय सदस्य और सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि इस राज्य में पाकिस्तानी जासूसों के अतिरिक्त, आसाम पुलिस और सचिवालय के कुछ उच्चाधिकारी और एक मंत्री की गतिविधियां सन्देहजनक हैं जिससे राज्य की सुरक्षा तब तक खतरे में रहेगी जब तक कि इन अधिकारियों को पद से हटाया नहीं जाता ? यदि हां, तो इस ओर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नन्दा : मैं इस का खण्डन करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने पुलिस के आई० जी० को स्थानान्तरित कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : पहले भी एक दो बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है । अन्यथा मैं इस प्रकार के अभियोग को यहां नहीं लगाने देता ।

श्री नन्दा : कुछ दिन हुए श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने गुजरात की पुलिस के आई० जी० के बारे में इसी प्रकार का प्रश्न उठाया था । उन्हें कुछ कारणवश आसाम से लाया गया था, अतः वहां पर वह उपयुक्त व्यक्ति नहीं थे । परन्तु मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूं कि इस अधिकारी का कार्य बहुत अच्छा रहा है । उसके बारे में सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है । यह उस अधिकारी के विरुद्ध बहुत अनुचित व्यवहार है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): You support Sheikh Abdullah also.

श्री नन्दा : हम शेख अब्दुल्ला के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं । जहां तक इन अभियोगों का सम्बन्ध है मैं इनका खण्डन करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की तो वे पछतायेंगे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): आसाम के मंत्रियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा ।

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : वह भी देशभक्त हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : हम भी देशभक्त हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रतियोगिता क्यों हो रही है । किसी सदस्य की देशभक्ति के बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यह हमने आरम्भ नहीं किया । श्री के० दे० मालवीय का बीच में कूदना बिलकुल गलत था । आपने उनको रोका क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार उत्तेजित हो जाते हैं और अध्यक्ष की बात भी नहीं सुनते । इस प्रकार की बाधायें यहां नहीं होनी चाहियें ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : जिन दो व्यक्तियों की इस विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, क्या उनकी पहचान कर ली गई है कि वह मीज़ो नामक आदिम जाति के थे जिनको आसाम में तोड़ फोड़ का कार्य करने के लिये पाकिस्तान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है?

श्री हाथी : एक व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकी क्योंकि उसके अंग बहुत क्षत विक्षत हो गये है । दूसरा व्यक्ति अभी जीवित है और वह मीज़ो आदिम जाति का नहीं है । वह काबुली नागा है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार): मीजो–पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिससे पाकिस्तानी जासूस इस ज़िले में न आ सकें ?

श्री हाथी : भारत में अनधिकार प्रवेश को रोकने के लिये हमने सीमा पर चौकियों की संख्या बढ़ा दी है ।

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhaur): Have the Government increased the number of guards on the railway line near Pakistan border, after the recent Silchar explosion?

Shri Hathi: We have increased the frequency of patrolling.

श्री प्र० चं० बरूआ (शिवसागर): इस वर्ष के आरम्भ से अब तक कितने तोड़ फोड़ और जासूसी के मामले पकड़े गये हैं, और आसाम, काश्मीर और कच्छ जैसे युद्धावश्यक स्थानों से ऐसे व्यक्तियों को हटाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

श्री हाथी : मुझे संख्या के बारे में ठीक पता नहीं ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बांकुरा) : इस तथ्य को देखते हुये कि दोनों व्यक्ति जो विस्फोट के स्थल के निकट मृत पाये गये ज़ेलियांग नागा थे, क्या सरकार ने इस बात की जांच करने का प्रयत्न किया है कि नागा विद्रोही पाकिस्तान की सांठ गांठ से इस क्षेत्र में सैन्य संचालन में बाधा डालने के लिये तोड़ फोड़ का कार्य आरम्भ कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि विस्फोट का सामान चीन से आया था अथवा पाकिस्तान से ?

श्री हाथी : मैंने कहा था कि एक व्यक्ति का शव इतना क्षत विक्षत हो गया था कि पहचाना नहीं गया, परन्तु दूसरा व्यक्ति नागा था ।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी : क्या सरकार को पता है कि विस्फोट का सामान पाकिस्तान से आया था अथवा चीन से ।

श्री हाथी : इसकी जांच की जा रही है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या माननीय मंत्री का ध्यान एक बंगाली समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जो व्यक्ति पकड़े गये थे उनमें एक साधू भी था जिसके पास कुछ कागज़ात थे, और यदि हां, तो क्या वह कोई पाकिस्तानी जासूस था ?

श्री हाथी : इन दोनों व्यक्तियों में से कोई भी साधु नहीं था । जो समाचार पत्रों में छपा है वह यह है कि एक व्यक्ति साधू के वेष में पकड़ा गया था, परन्तु उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

कछ सम्बन्धी वक्तव्य के बारे में

RE: STATEMENT ABOUT KUTCH

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि 6 बजे प्रधान मंत्री कच्छ के बारे में वक्तव्य देंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री वक्तव्य दें तो दो बातों को ध्यान रखें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे ऐसी कोई बात नहीं कह सकता।

श्री ओंकार लाल बेरवा : * * * * *

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPER LAID ON THE TABLE

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : श्रीमान्, मैं श्री मु० क० चागला की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 18 के अन्तर्गत वर्ष 1963–64 के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० 4346/65]।

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त का छठा प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं संविधान के अनुच्छेद 350 ख(2) के अन्तर्गत 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1963 की अवधि के लिये भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के छठे प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—4347/65]।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

छियासठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छियासठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

तीसरा प्रतिवेदन

श्री गो० न० दिक्षित (इटावा) : श्रीमान्, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का तीसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

वित्त विधेयक, 1965—जारी

FINANCE BILL, 1965—*contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्तीय वर्ष 1965-66 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय सुझावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर खण्डवार विकार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं इस खण्ड का विरोध करता हूं क्योंकि यह खण्ड वार्षिकी जमा योजना लागू करने को कानूनी बनाने के लिये है, और हम इसे अनिवार्य जमा योजना से भी बुरा समझते हैं। इससे वह धन जिसे अधिक उत्पादक कार्यों पर लगाया जाना है, सरकारी भण्डार में चला जाएगा जहां इसका कोई उपयोग नहीं होगा। इसलिये हम मांग करते हैं कि यह खण्ड अस्वीकार कर दिया जाए।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मुझे कुछ नहीं कहना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5

संशोधन किया गया

Amendment made.

पृष्ठ 6, पंक्ति 18 में से "paid by the company" ["समवाय द्वारा भुगतान किया गया"] शब्द हटा दिये जांय। (1)

[श्री त० ति० कृष्णमाचारी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 5 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5, as amended was added to the Bill.

खंड 6

Amendment made संशोधन किया गया

पृष्ठ 7 पर पंक्तियां 1 और 2 **के स्थान पर** निम्नलिखित रख दिया जाये :

"(iii) for clause (13), the following clause shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted, namely—"

["(iii) खण्ड (13) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड जोड़ दिया जाएगा और सदा ही जोड़ा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—"] (2)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 6, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खंड 8

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं आपके संशोधन संख्या 125 तथा 126 प्रस्तुत करता हूं।

श्री म० र० मसानी : मैं अपने संशोधन (संख्या 93 तथा 94) प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन सं० 125 उद्योगों को 20 प्रतिशत की छूट पुनः दिये जाने के बारे में है । यह दर घटाने का कोई कारण नहीं है दूसरे उद्योगों को अधिक छूट देने का अर्थ यह तो नहीं है कि इन उद्योगों को मिलने वाली छूट में कटौती कर दी जाए ?

संशोधन संख्या 126 में जिन पंक्तियों को हटाने का प्रस्ताव किया गया उसका मनोरथ उद्योगों तथा कार्यालयों को मशीनीकरण के लिये दिये गए प्रोत्साहन को बनाये रखना है । यदि यह खण्ड स्वीकार कर लिया गया तो यह अवनति की ओर जाने वाला होगा ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : विकास संबंधी छूट दान तो है नहीं कि सभी को दे दी जाए । यह तो उद्योग के महत्व और संयंत्र के मूल्य पर निर्भर करता है । इसकी घोषणा मैंने पिछले वर्ष ही कर दी थी और यह उपबन्ध हमारी योजना संबंधी नीति के अनुसार है जैसा चौथी योजना में वर्णन किया गया है । इसलिये अब इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता ।

श्री दांडेकर का दूसरा संशोधन जो कार्यालय के उपकरणों आदि पर छूट देने के बारे में है भी स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन सं० 93, 94, 125 तथा 126 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 93, 94, 125 तथा 126 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments Nos. 93, 94, 125 and 126 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

खंड 9

श्री नारायण दांडेकर : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन संख्या 127 तथा 128 प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन सं० 127 : पृष्ठ 8, पंक्ति 35—

विधेयक के इस खण्ड के लिये वित्त मंत्री बधायी के पात्र हैं। क्योंकि इस में बागान उद्योग को विकास छूट देने का उपबन्ध है । परन्तु पता नहीं इस संबंध में बनी विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया । मेरा पहला संशोधन इसी

गलती को सुधारने के लिये है। मेरा दूसरा संशोधन भी इसी समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये रखा गया है और जो तर्क छूट को 40 प्रतिशत तक सीमित रखने के लिये दिया गया है वह बिल्कुल निराधार है, इसलिये मेरे संशोधन स्वीकार कर लिये जाने चाहियें।

श्री प्र० चं० बरुआ : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन संख्या 196 तथा 197 प्रस्तुत करता हूं।

इस संशोधन का मनोरथ बागान लगाने में हुए व्यय के साथ ही उस व्यय को जोड़ना है जो बागान लगाने के समय तक हुआ हो और यह कुल व्यय विकास संबंधी छूट के लिये स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह उपबन्ध काफी सोच विचार के पश्चात् ही रखे गए हैं इसलिये यह संशोधन अनावश्यक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले संशोधन सं० 127 तथा 128 मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 127 तथा 128 मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 127 and 128 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 196 तथा 197 मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 196 तथा 197 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

Amendment Nos. 196 and 197 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 was added to the Bill.

खंड 11—(धारा 36 का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 13 पंक्ति 5, के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:—

"Provided further that the provisions of sub-section (2) of section 32 and of sub-section (2) of section 72 shall apply in relation to deductions allowable under this clause as

they apply in relation to deductions allowable in respect of depreciation:

Provided further that the provisions of clauses (ii), (iii) (iv) and (v) of sub-section (2) of section 35, of sub-section (3) of section 41 and of Explanation 1 to clause (1) of section 43 shall, so far as may be, apply in relation to an asset representing expenditure of a capital nature for the purposes of promoting family planning as they apply in relation to an asset representing expenditure of a capital nature on scientific research.".

["परन्तु यह और भी कि धारा 32 की उप-धारा (2) तथा धारा 72 की उपधारा (2) के उपबन्ध इस खण्ड के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे अवक्षयण के संबंध में दी जाने वाली कटौतियों पर लागू होते हैं :

परन्तु यह और भी कि धारा 35 की उप-धारा (i) के खण्ड (ii), (iii) (iv) और (v), धारा 41 की उप-धारा (3) तथा धारा 43 के खण्ड (1) के व्याख्या 1 के उपबन्ध, यथासम्भव परिवार आयोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिये पूंजी व्यय से संबंधित आस्तियों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगें जिस प्रकार वे वैज्ञानिक गवेषणा पर होने वाले पूंजी व्यय के संबंध में आस्तियों पर लागू होते हैं ।"] (3)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 129 से 132 पेश करता हूं । संशोधन सं० 130 साधारण है । मैं चाहता हूं कि प्रोत्साहन समवाय के स्थान पर व्यक्तियों को दिया जाए चाहे मालिक समवाय से संबंधित हो अथवा नहीं ।

मेरा दूसरा संशोधन सं० 131 और 132 है जो 'रायल्टी' के बारे में है मेरे विचार में 'रायल्टी' राजस्व व्यय के अन्तर्गत आता है । मैं समझता हूं कि माल की मात्रा के अनुसार ही रायल्टी दी जाती है और अवश्य ही यह ऐसा व्यय है जो लाभांकन से पूर्व लाभ का अनुमान लगाने में जोंड़ लिया जाता है । इसलिये मेरा निवेदन हैं कि यह संशोधन अवश्य ही स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । श्री सिधवी ने भी अपने आय-कर संशोधन विधयक में मेरे इसी मत का समर्थन किया है ।

श्री मौ० रु० मसानी : श्रीमान् मैं भी अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं । सरकार ने पहले आश्वासन दिया था कि 'रायल्टी' के रूप में दी गई धन-राशि की कटौती की जाएगी । वर्तमान वित्त मंत्री ने भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया था परन्तु इसी बीच राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विपरीत निर्णय दे दिये जाने पर फिर चुप साध ली गई । मेरे विचार में वित्त मंत्री को अब कानून बना कर इस शंका का निवारण करना चाहिये ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दांडेकर के विचारों का पूर्ण समर्थन करता हूं । आयकर (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहले वित्त मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरी तरह लागू किया जाये । आश्वासन के अतिरिक्त नीति के विचार से और कानूनी विवेचन के विचार से इस बात पर मतैक्य है कि इसे पूंजी व्यय न माना जाये, परन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण स्थिति बहुत कठिन हो गई है । जब मैंने अनौपचारिक परामर्श समिति में यह मामला उठाया था तो उत्तर यह दिया गया था कि मामला

उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है । अब समय आ गया है कि सरकार श्री दांडेकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन को स्वीकार कर के उस आश्वासन को लागू करे । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो खनन उद्योग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमन्, यह एक व्यापक धारा है और इसी कारण यह सम्भव नहीं है कि इस धारा के अन्तर्गत कोई भी संशोधन लाया जाये । इसमे केवल 'other deductions' कहा गया है और श्री दांडेकर इसे समझते हैं ।

परिवार आयोजन के सम्बन्ध में सरकार ने समवायों के खर्चे के लिए रियायत दी है । मैं इस के क्षेत्र का ऐसी संस्थाओं तक विस्तार करने से पूर्व इसका कार्य देखना चाहता हूं ।

आय-कर के प्रयोजन के लिए स्वामिस्व भुगतान की राशि को शामिल न करने का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके सम्बन्ध में निर्णय लेना होगा । सिद्धान्त रूप से स्थानीय निकायों को दिये जाने वाले करों के निगमन की अनुमति नहीं दी जाती है ।

आय-कर विभाग को पता लगाना होगा कि विभिन्न उद्योगों द्वारा दिया जाने वाला स्वामिस्व कितना है । इसके अतिरिक्त, जब डा० सिंघवी के आय-कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जायेगा, तब हम इस सम्बन्ध में अपना निश्चय कर सकगे । हम यह भी पता लगा सकेंगे कि इस पर कितना व्यय होगा । मुझे इस बात का भी पता लगाना है कि इससे कुल राजस्व में कितनी हानि होगी । इस समय मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह सम्भव है कि राजस्व की दृष्टि से इस के गम्भीर प्रभाव हों ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : उन लोगों को कम से कम अन्तरिम सहायता तो दी जानी चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब मैं निर्णय लूंगा तब सभी बातों को ध्यान में रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ 13, पंक्ति 5 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"Provided further that the provisions of sub-section (2) of section 32 and of sub-section (2) of section 72 shall apply in relation to deductions allowable under this clause as they apply in relation to deductions allowable in respect of depreciation:

Provided further that the provisions of clauses (ii), (iii) (iv) and (v) of sub-section (2) of section 35, of sub-section (3) of section 41 and of Explanation 1 to clause (1) of section 43 shall, so far as may be, apply in relation to an asset representing expenditure of a capital nature for the purposes of promoting family planning as they apply in relation to an asset representing expenditure of a capital nature on scientific research."

["परन्तु यह और भी कि धारा 32 की उप-धारा (2) तथा धारा 72 की उप-धारा (2) के उपबन्ध इस खंड के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के अवक्षयण वे सम्बन्ध में दी जाने वाली कटौतियों पर लागू होते हैं :

परन्तु यह और भी कि धारा 35 की उप-धारा (2) के खंड (ii), (iii), (iv) और (v), धारा 41 की उप-धारा (3) तथा धारा 43 के खंड (1) की व्याख्या 1 के उपबन्ध, यथासम्भव परिवार आयोजन को बढ़ावा देने के प्रयोजन के लिए पूंजी व्यय से सम्बन्धित आस्तियों के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे वैज्ञानिक गवेषणा पर होने वाले पूंजी व्यय के सम्बन्ध में आस्तियों पर लागू होते हैं "] (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : क्या अन्य सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए इकट्ठे रखे जायें ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं चाहता हूं कि संशोधन संख्या 130 और 131 इकट्ठे मतदान के लिए रखे जायें तथा संशोधन संख्या 129 और 132 इकट्ठे मतदान के लिए रखे जायें ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 130 तथा 131 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments Nos. 130 and 131 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 129 तथा 132 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendments Nos. 129 and 132 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 11, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खंड 12 तथा 13 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 12 and 13 were added to the Bill.

खंड 14—(धारा 43 का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मुझे एक संशोधन प्रस्तुत करना है ।

संशोधन किया गया :

Amendment made:

पृष्ठ 13, पंक्तियां 25 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

'14. In section 43 of the Income-tax Act,—

(a) for Explanation 6 to clause (1), the following Explanation shall be substituted, namely:—

"*Explanation* 6.—When any capital asset is transferred by a holding company to its subsidiary company or by a subsidiary company to its holding company, then, if the

conditions of clause (iv) or, as the case may be, of clause (v) of section 47 are satisfied, the actual cost of the transferred capital asset to the transferee company shall be taken to be the same as it would have been if the transferor company had continued to hold the capital asset for the purposes of its business.";

(b) for Explanation 2 to clause (6) the following Explanation shall be substituted, namely:—

"*Explanation* 2.—When any capital asset is transferred by a holding company to its subsidiary company or by a subsidiary company to its holding company, then, if the conditions of clause (iv) or, as the case may be, of clause (v) of section 47 are satisfied, the written down value of the transferred capital asset to the transferee company shall be taken to be the same as it would have been if the transferor company had continued to hold the capital asset for the purposes of its business." '.

["14. आय-कर अधिनियम की धारा 43 में,—

(क) खंड (1) की व्याख्या 6 के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्या रखी जाये, अर्थात्:—

"व्याख्या 6—जब किसी नियन्त्रक कम्पनी द्वारा नियंत्रित कम्पनी को अथवा नियंत्रित कम्पनी द्वारा नियंत्रक कम्पनी को आस्तियां हस्तांतरित की जायें तो, यदि खंड (iv) या, यथास्थिति, धारा 47 के खंड (v) की शर्तें पूरी हो जायें, हस्तान्तरित कम्पनी को हस्तान्तरित पूंजी आस्तियों का वास्तविक मूल्य वही समझा जायेगा जो तब होता जब हस्तांतरिक—कम्पनी अपने व्यापार के प्रयोजन के लिए पूंजी आस्तियां निरन्तर अपने पास रखती ।"

(ख) खंड (6) की व्याख्या 2 के स्थान पर निम्नलिखित व्याख्या रखी जाये, अर्थात्:—

व्याख्या 2—जब किसी नियन्त्रक कम्पनी द्वारा नियंत्रित कप्पनी को अथवा नियंत्रित कम्पनी द्वारा नियंत्रक कम्पनी को आस्तियां हस्तांतरित की जायें तो, यदि खंड (iv) या, यथास्थिति, धारा 47 के खंड (v) की शर्तें पुरी हो जायें, हस्तांतरित कम्पनी को हस्तातंरित पूंजी आस्तियों का लिखित मूल्य वही समझा जायेगा जो तब होता जब हस्तान्तरक कम्पनी अपने व्यापार के प्रयोजन के लिए पूंजी आस्तियां निरन्तर अपने पास रखती ।" "] (4) **[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14, as amended, was added to the Bill.

खंड 15 से 19 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 15 to 19 were added to the Bill.

खंड 20—नये अध्याय VIA का रखा जाना

श्री मी० रु० मसानी : श्रीमान्, मैं संशोधन संख्या 96 से 98 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 134 से 136, 140 और 141 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 142 प्रस्तुत नहीं की गई ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) पृष्ठ 16, पंक्ति 7 और 8 में,

"fifty per cent of the aggregate of the sums specified in sub-section (2)".

[उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि का पचास प्रतिशत"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"sixty per cent of the first five thousand rupees of the aggregate of the sums specified in sub-section (2) and fifty per cent of the balance, if any, of such aggregate."

["उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के प्रथम पांच हजार रुपये का साठ प्रतिशत और ऐसी कुल राशि के शेष का, यदि कोई हो, पचास प्रतिशत"] (5)

(दो) पृष्ठ 16, पंक्ति 36 और 37 में,

"to the extent provided in rule 7 of Part A of the Fourth Schedule".

["चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 7 में उपबन्धित सीमा तक"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

'in so far as the aggregate of such contributions does not exceed one-fifth of his salary in that previous year or eight thousand rupees, whichever is less.

Explanation.—In clause (d) of this sub-section and in clause (d) of sub-section (1) of section 87, 'salary' shall have the meaning assigned to it in clause (h) of rule 2 of Part A of the Fourth Schedule'.

["जब तक कि ऐसे अंशदानों की कुल राशि उस पिछले वर्ष में उसके वेतन के पांचवें हिस्से से, या आठ हज़ार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक न हो ।"

व्याख्या:— इस उप-धारा के खंड (घ) तथा धारा 87 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में "वेतन" शब्द का वही अर्थ होगा जो चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 2 के खंड (ज) में इसका अर्थ है"] (6)

(तीन) पृष्ठ 19, पंक्ति 2 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--

"(i) in case where the handicapped dependent has, for a period of one hundred and eighty-two days or more during the previous year, been admitted in a hospital or a nursing home or a medical institution or in such other institution as may be notified by the Central Government in the Official Gazette to be an institution for the care of handicapped persons, and fees and charges for his medical treatment (including nursing) are payable to such hospital or nursing home or medical or other institution, as the case may be, a sum of two thousand four hundred rupees or."

[(एक) ऐसे मामले में जहां कि अपंग आश्रित व्यक्ति पिछले वर्ष में एक सौ बयासी दिन या इससे अधिक अवधि के लिए हस्पताल या नर्सिंग होम या चिकित्सा संस्था या ऐसी अन्य संस्था में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपंग व्यक्तियों की देख भाल करने वाली संस्था के रूप में सरकारी गज़ट में अधिसूचित की गई हो, दाखिल किया गया है, तथा उसके उपचार (जिसमें नर्सिंग भी शामिल है) के लिए फीस तथा शुल्क, ऐसे अस्पताल या नर्सिंग होम या चिकित्सा या अन्य संस्था, जैसी भी स्थिति हो, को दिये जाने है, 2,400 रुपये की राशि, या ।"] (7)

(चार) पृष्ठ 19, पंक्तियां 26 से 33 हटा दी जायें । (8)

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 96 और 98 का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। भविष्य निधि तथा बीमे की किश्तों आदि के लिए दी जाने वाली राहत के आधार में परिवर्तन करके मंत्री महोदय ने वास्तव में राहत कम कर दी है और करदाताओं की एक बड़ी संख्या पर कर में वृद्धि कर दी है। यद्यपि कर के दर में वृद्धि नहीं हुई है तथापि कर के लिए दी जाने वाली राशि बढ़ गई है । 15,000 रुपये से कम आय वाले लोगों को, जो वार्षिकों जमा नहीं कराते और 30,000 या 35,000 रुपये से अधिक आय वाले लोगों को हानि होगी । वित्त मंत्री ने संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत किया है । दुर्भाग्य से यह संशोधन पर्याप्त नहीं है । इसलिए मैंने संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत किया है जिस से 60 प्रतिशत छुट सभी करदाताओं को दी जायेगी, चाहे उनकी आय कुछ भी हो । यदि मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो भी 50,000 या उससे अधिक आय वालों को अधिक कर देना पड़ेगा ।

संशोधन संख्या 98 बिल्कुल भिन्न पहलू को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया है । यदि कोई व्यक्ति विधिज्ञों, अधिकृत लेखापालों या वास्तुकारों जैसे किसी व्यवसायी सार्थ का सदस्य हो तो वह अपनी आय में से वार्षिकी ठेके के लिए किश्त दे सकता है और उसे कुछ राहत मिलती है। मेरे संशोधन का एक उद्देश्य यह है कि यह रियायत उन व्यवसायी व्यक्तियों पर लागू की जानी चाहिये जो किसी सार्थ में साझेदार न हों । इस बात का कोई औचित्य नहीं है कि उस व्यक्ति को, जो किसी सार्थ में साझेदार नहीं है परन्तु वही काम करता है, वार्धक्य और सुरक्षा सम्बन्धी राहत न मिले । ऐसे विभेद का किसी भी सिद्धान्त के अनुसार समर्थन नहीं किया जा सकता ।

मेरे संशोधन द्वारा दूसरी राहत यह मिलेगी कि व्यवासायिक प्रबन्ध परामर्शदाताओं को खंड में दिये गये अन्य व्यवसायों के साथ शामिल किया जायेगा । पिछले दशक के दौरान विधेयक में दिये गये व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ नये व्यवसाय पैदा हो गये हैं और उन में से एक सुस्थापित व्यवसाय प्रबन्ध परामर्शदाताओं का व्यवसाय है । मेरा सुझाव है कि जो थोड़ा राहत दिया गया है उस में प्रबन्ध परामर्शदाताओं के वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिये ।

738 (Ai) LS—8.

श्री नारायण दांडेकर : : श्री मसानी के संशोधनों के समर्थन में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि राहत को 30 प्रतिशत तक सीमित रखने की बजाय 60 प्रतिशत कर देनी चाहिये। यदि यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जायें तो सरकार को राजस्व में चाहे कुछ घाटा हो परन्तु उससे करदाताओं को काफी लाभ होगा।

श्री मसानी ने अपने ही काम में लगे हुए व्यक्तियों का उल्लेख किया है। मुझे इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता कि अपने ही काम में लगे हुए लोगों को यह लाभ क्यों दिया जाये। मैं व्यक्तिगत रूप से चार्टर्ड एकाउंटेंट का काम करता हूं और मुझे यह राहत नहीं मिलेगी परन्तु यदि मैं किसी फर्म का सदस्य होता तो मुझे यह राहत मिल जाती। इस बात का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि इसे उन लोगों तक ही सीमित रखा जाये जो किसी फर्म में साझेदार हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा किसी विकलांग आश्रित पर किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में दी जाने वाली राहत एक अच्छा उपबन्ध है परन्तु इस सम्बन्ध में एक शर्त यह लगा दी गई है कि यह योजना उसी व्यक्ति पर लागू होगी जो एक आश्रित से सम्बन्धित होगा। दूसरी शर्त यह लगा दी गई है कि उस अवधि में वह अस्पताल में होना चाहिये। परन्तु जिस बात से वास्तव में अन्तर पड़ता है वह यह है कि विकलांग व्यक्ति की आय में जितनी ही राहत दी जायेगी। यह पता लगाना होगा कि आश्रित की आय कितनी है और उस आय को यदि वह अस्पताल में है तो 2,400 रुपये से और यदि वह अस्पताल में नहीं है तो 600 रुपये में से निकाल देना होगा। इस के साथ इस खंड में एक और शर्त भी है कि उस से पहले वर्ष में विकलांग व्यक्ति की आय, यथास्थिति, 2,400 रुपये या 600 रुपये से नहीं बढ़नी चाहिये। यह शर्तें हटा दी जानी चाहियें क्योंकि इससे सारी बात हास्यास्पद हो जायेगी।

यदि बीमा किस्त आदि दी जाये तो विभिन्न राहतें मिलती हैं। इन सभी राहतों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा लगा दी गई है। परन्तु इस बात द्वारा सारी बात निरर्थक हो जाती है कि यह भुगतान सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अपनी उस आय में से किये जाने चाहियें जो कर-योग्य है और जिसका पता लग सके। यह विशिष्ट रूप से सिद्ध करना होगा कि बीमे की किस्त कर-योग्य आय से दी जाये। मेरा सुझाव यह है कि 'कर-योग्य आय में से' शब्द निकाल दिये जायें।

श्री प्रभात कार (हुगली) : मैं सरकार के संशोधन संख्या 5 का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम आय वाले वर्गों को कुछ सुविधा दी गई है यद्यपि यह अधिक आय वाले वर्गों की तुलना में बहुत कम है। इसलिए, यदि अधिक राहत दी जानी है तो यह केवल कम आय वाले वर्ग के लोगों को ही दी जानी चाहिये। मेरा सुझाव यह है कि 5,000 या 6,000 अथवा 7,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले लोगों पर आय-कर बिलकुल नहीं होना चाहिये।

यदि लेखे ठीक प्रकार रखे जायें तो यह आसानी से पता चल सकता है कि अदायगिया कहां से हो रही हैं। यह आवश्यक नहीं है कि तीन बैंक लेखे रखे जायें।

मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री यह बतायें कि उन व्यावसायिक व्यक्तियों में जो अधिकृत लेखापालों तथा न्यायवादियों की फर्म के सदस्य हैं और साधारण न्यायवादी अथवा अधिकृत लेखापाल में क्या अन्तर है। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये।

श्री मुरारका (झुंझनू) : मंत्री जी ने प्रस्ताव किया है कि यदि कोई रोगी अस्पताल में दाखिल हुआ हो तो 2,400 रुपये और अन्यथा 600 रुपये उस व्यक्ति की जिस पर वह रोगी आश्रित है कर-योग्य आय में से घटा दिये जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में हम यह जानना चाहते हैं कि व्यय-कर सम्बन्धी स्थिति क्या होगी। चूंकि इस उपबन्ध से आश्रितों के उपचार पर होने वाला व्यय व्यय मद के अन्तर्गत आ गया है, इसलिये यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है कि व्यय-कर में भी ऐसी रियायत दी जानी चाहिये क्योंकि व्यय-कर की दर आय-कर की दर से बहुत अधिक है।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि व्यावसायिक रियायतों के बारे में कोई विभेद नहीं होना चाहिये चाहे कोई व्यवसायी किसी फर्म का सदस्य हो या अकेला व्यक्ति हो या किसी समवाय का सदस्य।

श्री हिम्मतसिंहका : श्री प्रभात कार ने कहा है कि पृथक् पृथक् लेखे नहीं रखे जाने चाहियें। ऐसा करने से ऐसी राशि पर भी कर लिया जा सकेगा जिस पर कर नहीं लिया जाना चाहिये जैसे सहायता आदि के रूप में दिया गया धन। इसलिये ऐसी बाधाएं हटाई जानी चाहियें जिससे लोगों को ये लाभ प्राप्त हो सकें।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जब हम कहते हैं कि कर योग्य आय में से अमुक अमुक राशि कम की जा सकती है तो इसका अर्थ यह होता है कि कर-योग्य आय होनी चाहिये, अन्यथा कोई कमी नहीं की जा सकती। यदि किसी व्यक्ति की ऐसी आय है जो कर-योग्य नहीं है तो उसे हम कोई राहत नहीं दे सकते। निश्चय ही आयकर अधिकारियों को इस बारे में स्पष्टीकरण सम्बन्धी हिदायतें जारी की जायेंगी।

बीमा किस्तों, भविष्य निधि आदि कटौती वाले खर्चों के सम्बन्ध में जांच करने से पता लगा कि अल्प आय वर्ग को करों में कमी का पूरा-पूरा लाभ नहीं पहुंचता। आयव्ययक पर सामान्य चर्चा के समय मैंने कहा था कि इस बात की जांच की जायेगी कि क्या 5,000 रुपये तक इसे बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दिया जाये। लेकिन मुझे बताया गया है कि अल्प आय श्रेणी को दिया जाने वाला लाभ स्वतः ही उच्च आय श्रेणी को प्राप्त होगा। यदि प्रथम 5000 रुपये पर यह 60 प्रतिशत होगा तो उससे ऊपर की आय पर यह 50 प्रतिशत होगा। 5000 रु० की आय पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत का लाभ उच्च आय श्रेणी को पहुंचेगा और यह आगे आगे जमा होता चला जायेगा। इसे 60 प्रतिशत करने से सरकार को लगभग $2\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये का घाटा होगा। 15,000 रुपये से कम आय वाले लोगों को कुछ राहत देने के बारे में हम बहुत सी बातों पर विचार कर रहे हैं। यहां तक कि 20,000 तक की आय वालों को कुछ न कुछ राहत दिये जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें पैसा बचाने के लिये प्रोत्साहन मिल सके। इसलियें मैं श्री प्रभात कार का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता।

जहां तक कलाकारों का सम्बन्ध है मैं यह नहीं कहता कि उन्हें रियायतें नहीं दी जानी चाहिये। हमारी कठिनाई यह है कि व्यक्तिगत रूप से उनकी पहचान करना बहुत कठिन है जबकि किसी संस्था की पहचान करना बहुत आसान काम है। परन्तु हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक पेंशन कोष बनाया जाये। उस कोष में दी जाने वाली राशि पर कोई आय कर नहीं लगेगा।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

इस समय मैं माननीय सदस्यों के संशोधन स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। मुझे आशा है कि वे इसके लिये मुझे क्षमा करेंगे।

श्री मुरारका : व्यय-कर के बारे में स्थिति क्या है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इसकी जांच की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

(एक) पृष्ठ 16, पंक्ति 7 और 8 में, "fifty per cent of the aggregate of the sums specified in sub- section (2)". ["उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि का पचास प्रतिशत"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये-

"sixty per cent of the first five thousand rupees of the aggregate of the sums specified in sub-section (2) and fifty per cent. of the balance if any, of such aggregate".

'["उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के प्रथम पांच हज़ार रुपये का साठ प्रतिशत और ऐसी कुल राशि के शेष का, यदि कोई हो, पचास प्रतिशत] (5)

(दो) पृष्ठ 16, पंक्ति 36 और 37, " to the extent provided in rule 7 of Part "A" of the Fourth Schedule." ["चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 7 में उपबन्धित सीमा तक "] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--

'in so far as the aggregate of such contributions does not exceed one-fifth of his salary in that previous year or eight thousand rupees, whichever is less.

Explanation.—In clause (d) of this sub-section and in clause (d) of sub-section (1) of section 87, "salary" shall have the meaning assigned to it in clause (h) of rule 2 of Part A of of the Fourth Schedule'.

["जहां तक कि ऐसे अंशदानों की कुल राशि उस पिछले वर्ष में उसके वेतन के पांचवें हिस्से से या आठ हज़ार रुपये हो, जो भी कम हो, अधिक न हो।

व्याख्या :--इस उप-धारा के खंड (घ) तथा धारा 87 की उपधारा (1) के खंड (घ) में "वेतन" शब्द का वही अर्थ होगा जो चौथी अनुसूची के भाग (क) के नियम 2 के खंड (ज) में इसका अर्थ है"] (6)

(तीन) पृष्ठ 19 पंक्ति 2 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :--

"(i) in case where the handicapped dependent has, for a period of one hundred and eighty-two days or more during the previous year, been admitted in a hospital or a nursing home or a medical institution or in such other institution as may be notified by the Central Government in the Official Gazette to be an institution for the care of handicapped persons, and fees and charges for his medical treatment (including nursing) are payable to such hospital or

nursing home or medical or other institution, as the case may be, a sum of two thousand four hundred rupees, or".

["(एक) ऐसे मामले में जहां कि अपंग आश्रित व्यक्ति पिछले वर्ष में 182 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अस्पताल या नर्सिंग होम या चिकित्सा संस्था या ऐसी अन्य संस्था में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपंग व्यक्तियों की देखभाल करने वाली संस्था के रूप में सरकारी गजट में अधिसूचित की गई हो, दाखिल किया गया है, तथा उसके उपचार (जिसमें नर्सिंग भी शामिल है) के लिए फीस तथा शुल्क, ऐसे अस्पताल या नर्सिग होम चिकित्सा या अन्य संस्था, जैसी भी स्थिति हो, को दिये जाने हैं, 2,400 रुपये की राशि, या।"](7)

(चार) पृष्ठ 19, पंक्तियां 26 से 33 हटा दी जायें।(8)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 96 **मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

Amendment No. 96 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 97 **मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

Amendment No. 97 was put and negtived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 98 **मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुए ।**

Amendment No. 98 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 134, 135, 136, 140 **और** 141 **मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

Amendment Nos. 134, 135, 136, 140 and 141 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 20, **संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

Clause 20, as amended was added to the Bill.

खण्ड 21

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 155, 156, और 157 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपना संशोधन संख्या 143 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : वर्तमान स्थिति यह है कि 31 मार्च, 1966 तक स्थापित किये गये उपक्रम ही पंचवर्षीय कर रियायत प्राप्त कर सकेंगे। यह अवधि 31 मार्च, 1971 तक बढ़ाई

[श्री नारायण दांडेकर]

जानी चाहिये। अन्यथा नये उपक्रमों की स्थापना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यही मेरे संशोधन का आशय है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस खण्ड में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह निर्णय करना तो मैं सभा पर ही छोड़ता हूं कि क्या ऐसी धारा के बारे में, जिसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई सारवान संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के संशोधन संगत नहीं हैं क्योंकि इस विधेयक द्वारा मुख्य धाराओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। केवल उन्हें पुनः संख्या दी गई है।

श्री नारायण दांडेकर : किसी औद्योगिक उपक्रम को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित की जाती है राहत देने के मामले में नया उपक्रम समझा जाना चाहिये। यही मेरे इस नये खण्ड को जोड़ने सम्बन्धी संशोधन का उद्देश्य है।

वर्तमान उपबन्ध से वास्तव में अधिकतर नये उपक्रम उनको मिलने वाली 6 प्रतिशत राहत का एक अथवा दो वर्ष तक ही लाभ उठा सकते हैं क्योंकि पहले तीन अथवा चार वर्षों में उन्हें नाममात्र ही मुनाफा होता है। इस दोष को दूर करने के लिये ही मैंने अपना संशोधन संख्या 157 पेश किया है।

श्री प्रभात कार : मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। ऐसा करने का पहला कारण यह है कि यह सभा के सामने नहीं है। दूसरे, यह कोई नया उपबन्ध नहीं है। इस प्रकार बार-बार अवधि बढ़ा कर इसे एक स्थायी सहायता का रूप नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं इन संशोधनों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा अधिनियम की मूल धारा में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 143, 155, 156 **और** 157 **मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

Amendment Nos. 143, 155, 156 and 157 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 21 **विधेयक में जोड़ दिया गया।**

Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22

संशोधन किये गये ।

Amendments made.

(एक) पृष्ठ 24, पंक्ति 11 में, "so included" ["इस प्रकार सम्मिलित"] के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"(other than any such income on which no income-tax is payable under the provisions of this Act)".

["(किसी ऐसी आय के अलावा जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई आयकर नहीं लिया जाता है)"] (9)

(दो) पृष्ठ 24, पंक्ति 25 में, "so included" ("इस प्रकार सम्मिलित") के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"(other than any such income on which no income-tax is payable under the provisions of this Act)".

["(किसी ऐसी आय के अलावा जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई आयकर नहीं लिया जाता है)"] (10)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 22, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 23 and 24 were added to the Bill.

खण्ड 25—(धारा 87 का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(एक) पृष्ठ 25, पंक्ति 9 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये —

'(i) in clause (d) of sub-section (1), for the words, figure and letter to "to the extent provided in rule 7 of Part A, of the Fourth Schedule", the words "in so far as the aggregate of such contributions does not exceed one fifth of his salary in that previous year or eight thousand rupees, whichever is less" shall be substituted;'.

['(एक) उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में "चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 7 में उपबन्धित सीमा तक" के स्थान पर "जहां तक कि ऐसे अंशदानों की कुल राशि

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उस पिछले वर्ष में उसके वेतन के पांचवें हिस्से से या आठ हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक न हो" रखा जायेगा ;' ।] (11)

(दो) पृष्ठ 25, पंक्ति 10 में, "(i)" ["(एक)"] के स्थान पर "(ii)" ["(दो)"] रख दिया जाये । (12)

(तीन) पृष्ठ 25, पंक्ति 13 में, "(ii)" ["(दो)"] के स्थान पर "(iii)" ["(तीन)"] रख दिया जाये । (13)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 25, पंक्ति 9 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ।

'(i) in clause (d) of sub-section (1), for the words, figure and letter to "to the extent provided in rule 7 of Part A, of the Fourth Schedule", the words "in so far as the aggregate of such contributions does not exceed one fifth of his salary in that previous year or eight thousand rupees, whichever is less" shall be substituted;'.

['(एक) उप-धारा (1) के खण्ड (घ) में "चौथी अनुसूची के भाग क के नियम 7 में उपबन्धित सीमा तक" के स्थान पर "जहां तक कि ऐसे अंशदानों की कुल राशि उस पिछले वर्ष में उसके वेतन के पांचवें हिस्से से या आठ हजार रुपये से, जो भी कम हो, अधिक न हो" रखा जायेगा ;' ।] (11)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 25, पंक्ति 10 में, "(i)" ["(एक)"] के स्थान पर "(ii)" [("दो")] रख दिया जाये । (12)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 25, पंक्ति 13 में, "(ii)" [("दो")] के स्थान पर "(iii)" ["(तीन)"] रख दिया जाये । (13)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड २५ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 26--(धारा 88 का संशोधन)

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 158 प्रस्तुत करता हूं ।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मेरे संशोधन का आशय यह है कि धर्मनिरपेक्षता की नीति को ध्यान में रखते हुए किसी गिर्जे, गुरुद्वारे तथा मन्दिर आदि को दिये जाने वाले चन्दे के बारे में कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिये और ये बढ़ाई गई सीमाएं सभी प्रकार के धर्मार्थ चन्दों पर लागू की जानी चाहियें ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इन उपबन्धों का कार्यक्षेत्र नहीं बढ़ाया जा सकता। यह परिभाषा जानबूझ कर की गई है क्योंकि हम प्रत्येक मन्दिर, गिर्जे, गुरुद्वारे आदि को इसका हकदार नहीं बनाना चाहते। बहुत से मामलों में धर्मार्थ संस्थाएं केवल. अपने ही लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये बनाई गई हैं। इसलिये यह भेद करना जरूरी है।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : मेरी राय में यह संशोधन बहुत जरूरी है। सरकार ऐसे मन्दिरों आदि की पंजी बना सकती है जिन्हें केवल धार्मिक भावना से प्रेरित होकर ही लोगों द्वारा चन्दा दिया जाता है। उन्हें इस उपबन्ध के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 158 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 158 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 26 was added to the Bill.

खण्ड 27 से 30 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 27 to 30 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : नया खण्ड 30क जोड़ने सम्बन्धी संशोधन पेश नहीं कया गया है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 से 35 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

[उपाध्यक्ष महोदय]

खण्ड 31 से 35 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 31 to 35 were added to the Bill.

खण्ड 36—(धारा 114 का संशोधन)

श्री मुरारका : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 28, पंक्ति 16 में, "ten" ["दस"] के स्थान पर "twelve and a half" ["साढ़े बारह"] रख दिया जाये । (201)

यह संशोधन बोनस शेयरों तथा पूंजी लाभ कर के बारे में है । यह बड़ा सरल है । समवाय बोनस शेयर पर $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत पूंजी लाभ कर देता है, इसलिये किसी अंशधारी द्वारा दिये जाने वाले पूंजी लाभ कर में से अंशों पर अंकित मूल्य के $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत के बराबर राशि उसे वापस की जानी चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे यह संशोधन स्वीकार्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 28, पंक्ति 16, में " ten " ["दस"] के स्थान पर "twelve and a half" ["साढ़े बारह"] रख दिया जाये । (201)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड, 36 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 36, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 36, as amended, was added to the Bill

खण्ड 37—(धारा 115 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना)

श्री मुरारका : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 28, पंक्ति 32 में, " ten " ["दस"] के स्थान पर "twelve and a half" ["साढ़े बारह"] रख दिया जाये । (202)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री को यह संशोधन स्वीकार है ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 28, पंक्ति 32 में, " ten " ["दस"] के स्थान पर "twelve and a half" ["साढ़े बारह"] रख दिया जाये । (202)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 37, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ३७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 37, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ३८ से ४३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 38 to 43 were added to the Bill

खण्ड ४४--(धारा १९२ का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 31, पंक्ति 17 और 18 के स्थान पर "(v) the **Explanation** shall be **Omitted**. ["(पांच) **व्याख्या** निकाल दी जायेगी"] रख दिया जाये । (14)

यह व्याख्या यहां से निकाल कर अगली धारा के साथ जोड़ दी गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 31, पंक्ति 17 और 18 के स्थान पर "(v) the **Explanation** shall be **Omitted**" ["(पांच) **व्याख्या** निकाल दी जायेगी ।"] रख दिया जाय । (14)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 44, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ४४, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 44, as amended, was added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 45 पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 31, पंक्ति 19 और 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"45. In section 193 of the Income-tax Act,—

(a) the words "and Super-tax" shall be omitted;

[उपाध्यक्ष महोदय]

(b) the following Explanation shall be inserted at the end, namely:—

"Explanation.—In this section, and in sections 194, 195 and 197, the expression "rates in force" means the rate or rates specified for the purpose of deduction by the Finance Act of the year in which such deduction is required to be made."

[45. आयकर अधिनियम की धारा 193 में,—

(क) "और अधि-कर" शब्द हटा दिये जायेंगे,

15. (ख) अन्त में निम्नलिखित व्याख्या जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

"**व्याख्या**—इस धारा में और धारा 194, 195 और 197 में "लागू दरें" का अर्थ उस वर्ष के वित अधिनियम द्वारा कटौती के प्रयोजन के लिए, जिसमें ऐसी कटौती करनी आवश्यक है, निर्धारित दर अथवा दरें हैं।"] (15)

[ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 45 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 45, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 45, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 46 से 61 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 46 to 61 were added to the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 62 पर कुछ संशोधन हैं जो प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

श्री मी० रु० मसानी : खण्ड 62 के वैधता (वैलिडिटी) के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 295 में यह कहा गया है कि :

"विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी करारोपण अथवा कर वसूली नहीं की जायेगी।"

यह खण्ड सभी व्यवहारिक प्रयोजनों के लिए सरकार को आगामी बारह महीने में किसी भी समय इस खण्ड में विभिन्न स्थानों पर उल्लिखित योजनाओं को तैयार करने की शक्ति प्रदान करता है। सरकार योजना बना कर उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था कर सकती है। ये योजनाएं वित्त विधेयक के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए थीं। यह खण्ड विधान तथा संसद् द्वारा आरोपित करों का उल्लंघन करता है। वास्तविकता यह है कि करारोपण की शक्ति केवल लोक-सभा में निहित हैं।

खण्ड 62 संविधान के अनुकूल नहीं है अतः इसे हटाया जाना चाहिए। क्योंकि यह संसद् को करारोपण के अधिकार से वंचित करके सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके

अतिरिक्त यह खण्ड वित्त मन्त्री को किसी व्यक्ति पर कर लगाने अथवा कर न लगाने के बारे में निर्णय लेने का विशिष्ट अधिकार देता है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : खण्ड 62 करारोपण से सम्बन्धित नहीं है । इसमें कर-समंजन (टैक्स-क्रेडिट) की व्यवस्था की गई है । प्रश्न योजना बनाने के सम्बन्ध में है । योजनाएं बनाये जाने के बाद उन्हें सभा-पटल पर रखा जायेगा । संसद् किसी योजना पर आपत्ति अथवा उसमें परिवर्तन कर सकती है जो सरकार को मान्य होगा । प्रश्न कर लगाने का नहीं अपितु आय छोड़ने का है ।

इस खण्ड में जो व्यवस्था की गई है उससे निर्यात करने वाले उद्योग लाभ उठायेंगे, उद्योगों के महत्वानुसार उनका वर्गीकरण किया जायेगा । इस सम्बन्ध में संविधान में कोई भी व्यवस्था नहीं है । यह युक्ति अवश्य दी जा सकती है कि इसे आय व्ययक के अंग के रूप में स्वीकृत कराया जा सकता है । किन्तु यह मामला अलग है । संसद् द्वारा इस खण्ड को स्वीकार किये जाने पर संविधान का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा यह महसूस करती है कि यह खण्ड संविधान के अधिकार के बाहर है तो वह इस खण्ड को उड़ा सकती है । किन्तु पीठासीन व्यक्ति इसका निर्णय नहीं करेगा । इस मामले पर न्यायालय निर्णय ले सकते हैं । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और सभा इस पर आगे विचार करेगी ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं अपने संशोधन संख्या 16 से 37 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 99 और 100 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 159 से 164 प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं अपने संशोधन संख्या 203 से 208 प्रस्तुत कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 205 संशोधन संख्या 99 के ही समान है और संख्या 207 संशोधन संख्या 100 का ही रूप है । शेष सभी संशोधन प्रस्तुत हुए ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(एक) पृष्ठ 35 पंक्तियों 1 और 2 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये**—

Explanation.—For the purpose of this section—

(1) "subscribed" includes acquisition of the shares forming part of an eligible issue of capital from a person who is specified as an underwriter in pursuance of clause 11 of Part I of schedule II to the Companies Act, 1956.

(hereinafter in this Section referred as the underwriter);

(ii) a payment shall be treated as having been made to the extent to which and;

व्याख्या—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(एक) "प्रार्थित" में समवाय अधिनियम 1956 के अनुसूची II के भाग I के खण्ड 11 के अनुसरण में बीमाकर्ता के रूप में उल्लिखित किसी व्यक्ति से उन अंशों का अर्जन शामिल है जो पूंजी का ग्राह्य निर्गम का भाग बनाते हैं ।

(इस धारा में इसके बाद से बीमाकर्ता के रूप में निर्दिष्ट किया गया) ;

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

(दो) किसी धनराशि का उस सीमा तक भुगतान किया गया समझा जायेगा जहां तक और"]
(16)

(दो) पृष्ठ 35 में, पंक्तियों 5 से 14 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये**—

"(4) A tax credit certificate for the amount specified in sub-section (3) shall be granted to an individual or Hindu undivided family—

(a) where payment by way of subscription has been made to the Company, in respect of the financial year in which payment has been made and each of the three financial years following that year; and

(b) where the acquisition has been made from the underwriter, in respect of the financial year in which the capital was so acquired and each one, if any, of the following financial year not falling beyond the third financial year from the end of the financial year in which the payment by way of subscription has been made to the company by the underwriter:

Provided that, in either case, the capital is held by or on behalf of the individual or on behalf of the Hindu undivided family, as the case may be, at the end of the relevant financial year."] (17).

"(4) उपधारा (3) में उल्लिखित धनराशि के लिए किसी व्यक्ति विशेष अथवा हिन्दू अविक्त परिवार को एक कर-समंजन प्रमाणपत्र मंजूर किया जायेगा—

(क) जहां समवाय को अभिदान के तौर पर उस वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जिसमें भुगतान किया जाता है तथा उसके बाद निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष में भुगतान किया गया है ; और

(ख) जहां बीमाकर्ता से उस वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में जिसमें इस प्रकार अर्जित की गई पूंजी का उपार्जन किया गया है और उस वित्तीय वर्ष से तीसरे वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रत्येक, यदि कोई हो वित्तीय वर्ष में बीमाकर्ता ने समवाय को अभिदान के तौर पर भुगतान किया है :

परन्तु, प्रत्येक स्थिति में, व्यक्ति विशेष की ओर से या द्वारा अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार की ओर से, यथास्थिति, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूंजी रखी गई हो।"]
(17)

(तीन) पृष्ठ 35, पंक्ति 27 के बाद यह **रखा जाये**—

"(5) If any individual by himself or on behalf of any individual or on behalf of any Hindu undivided family has acquired any shares forming part of an eligible issue of capital from the underwriter, he shall not be entitled to a tax credit certificate under this section, unless his name is entered as a shareholder in respect of such shares in the register of shareholders of the Company.".

["(5) यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अथवा किसी हिन्दू अविभक्त परिवार की ओर से बीमाकर्ता से उन अंशों का अर्जन किया जाता है जो पूंजी का ग्राह्य निर्गम का भाग बनाते हैं, तो वह इस धारा के अन्तर्गत तब तक कर समंजन प्रमाणपत्र का हकदार नहीं होगा जब तक कि समवाय के ऐसे अंशों से सम्बन्धित रजिस्टर में उसका नाम एक अंशधारी के रूप में दर्ज न किया गया हो।"] (18)

(चार) पृष्ठ 35, पंक्ति 28 में, "(5)" **के स्थान पर** "(6)" **रखा जाये**। (19)

(पांच) पृष्ठ 36, पंक्ति 1 में, "(6)" **के स्थान पर** "(7)" **रखा जाये**। (20)

(छै) पृष्ठ 36, पंक्ति 4 में "(7)" **के स्थान पर** "(8)" **रखा जाये** (21)

(सात) पृष्ठ 37, पंक्तियों 39 से 44, पृष्ठ 38, पंक्तियों 1 से 20 **के स्थान पर** निम्नलिखित **रखा जाये** :—

"280ZB. (1) Where any company engaged in the manufacture or production of any of the articles mentioned in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act. 1951 is, in respect of its profits and gains attributable to such manufacture or production,— 65 of 1951

(i) liable to pay any tax for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1965 (hereinafter referred to as the base year) and for any one or more of the five assessment years next following that year; or

(ii) not liable to pay any tax for the base year but becomes so liable for any succeeding year (hereinafter referred to as the succeeding base year) and also for any one or more of the assessment years following that year, not being an assessment year commencing on the 1st day of April, 1971, or any subsequent assessment year,

and the tax for any such succeeding year exceeds—

(a) in the case referred to in clause (i), the tax payable for the base year;

(b) in the case referred to in clause (ii), the tax payable for the succeeding base year, then the company shall be granted a tax credit certificate for an amount equal to twenty per cent. of such excess:

Provided that the amount of the tax credit certificate shall not for any assessment year exceed ten per cent. of such tax payable by the company for that year.".

["280-जेड बी (1) जहां कोई समवाय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन में लगा हो, तो उसे ऐसे निर्माण तथा उत्पादन से होने वाले लाभ तथा अभिलाभ के सम्बन्ध में,— 1951 का 65

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

(एक) 1 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष (इसके बाद से आधार वर्ष के रूप में निर्दिष्ट) के लिए और किसी एक वर्ष अथवा उसके बाद लगातार और 5 निर्धारण वर्षों के लिए कोई कर देना पड़ेगा; (अथवा)

(दो) आधार वर्ष के लिए कोई कर नहीं देना होगा किन्तु किसी आगामी वर्ष के लिए (इसके बाद से इसे आगामी आधार वर्ष कहा जायेगा) और उस वर्ग के बाद के किसी एक अथवा उससे अधिक निर्धारण वर्षों के लिए कर देय होगा लेकिन 1 अप्रैल, 1971 को आरम्भ होने वाला वर्ष या कोई अगला निर्धारण वर्ष नहीं शामिल होगा।

और प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए कर --

(क) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट मामले में आधार वर्ष के लिये देय कर,

(ख) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट मामले में आगामी आधार वर्ष के लिए देय कर

से अधिक हो जाये, तो उस अधिक धनराशि के 20 प्रतिशत के बराबर की धन राशि के लिए समवाय को कर समंजन प्रमाणपत्र दिया जायेगा;

परन्तु कर समंजन प्रमाणपत्र की रकम किसी भी निर्धारण वर्ष में उस वर्ष के लिए उस समवाय द्वारा देय कर के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।" (22)

(आठ) पृष्ठ 38, पंक्तियों 38 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित **रखा जाये**--

"period as may be specified in the scheme—

(i) for repayment of loans taken by the Company from any of the financial institutions notified in this behalf by the Central Government, or

(ii) for redemption of its debentures, or

(iii) for the acquisition of any capital asset in India including the construction of any building for the purposes of the business of the company".

"अवधि जैसी की योजना में निर्धारित की जायेगी--

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचित किसी वित्तीय संस्था से समवाय द्वारा लिए गये ऋणों के भुगतान के लिए, अथवा

(दो) ऋण-पत्रों के मोचन के लिए, अथवा

(तीन) समवाय के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, भारत में किसी पूंजी परि-सम्पत्, जिसमें किसी इमारत का निर्माण भी शामिल है, के अर्जन के लिए" (23)

(नौ) पृष्ठ 39, पंक्तियों 1 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित **रखा जाये**---

"**Explanation** I.—In this section, "tax" means income-tax payable under this Act and surtax, if any, payable under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964.

Explanation 2.—The amount of income tax in respect of the profits or gains attributable to the manufacture or production of the articles referred to in sub-section (1) shall be an amount bearing to the total amount of income-tax payable on the total income (such income-tax being computed in the manner specified hereunder) the same proportion as the amount of such profits or gains bears to the total income. The amount of income-tax payable by the company for any assessment year shall be computed after making allowance for any relief, rebate or deduction in respect of income-tax to which the company is entitled under the provisions of this Act or the annual Finance Act and after deducting from such amount of income-tax the amount of additional income-tax, if any, payable by the company under the provisions of section 104 and also the amount, if any, by which the rebate of income-tax admissible to the company under the provisions of the annual Finance Act, is under the provisions of the said Act, reduced with reference to the face value of any bonus shares or the amount of any bonus issued by the company to its shareholders during the previous year or any previous year prior to that year or with reference to any amount of dividends dec? lared or distributed by it during the previous year or any previous year prior to that year.

Explanation 3.—The amount of surtax in respect of the chargeable profits attributable to the manufacture or production of the articles referred to in sub-section (1) shall be an amount bearing to the total amount of surtax payable under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 the same proportion as the amount of such chargeable profits bears to the whole of the chargeable profits.".

व्याख्या 1—इस धारा में "कर" का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत
1964 का 7 देय आयकर तथा समवाय (लाभ) अधि-कर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत देय अधिकर से, यदि कोई हो, है ।

व्याख्या 2.—लाभ तथा अभिलाभ जो कि उपधारा (1) में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन से होगा उसकी राशि वह होगी जो कि कुल आय-कर पर देय होगी (इस प्रकार का आय-कर इसमें निर्दिष्ट तरीके के अनुसार माना जायेगा) और वह उस राशि के बराबर होगा जो कि इस प्रकार के लाभ तथा अभिलाभ के कुल आय के अनुपात में होंगे। किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा देय कर इस अधिनियम अथवा वार्षिक वित्त विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत उस कम्पनी को आयकर के सम्बन्ध में छूट, कटौती और कमी करने के बाद गिनी जायेगी तथा धारा 104 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा देय अतिरिक्त आयकर की रशि पर आयकर की राशि में से कटौती करने के बाद तथा वार्षिक वित्त विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी को आयकर में दी जाने वाली किसी छूट की राशि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बोनस अंश के अंकित मूल्य इस सम्बन्ध में घटाकर अथवा कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को

738 (Ai) LS—9.

गत वर्ष अथवा उसके पूर्व वर्ष के लिए जारी की गई बोनस की राशि अथवा घोषित लाभांश की राशि के बारे में अथवा इसके द्वारा गत वर्ष अथवा उस वर्ष के पूर्व के किसी वर्ष के बारे में दी गई राशि होगी।

व्याख्या 3.—उपधारा (1) में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन पर कर योग्य लाभों के सम्बन्ध में अधिकर की राशि समवाय (लाभ)
1964 का 7 अधिकार अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत देय अधिकर की कुल राशि पर दिये जाने वाले कर के बराबर होगी—वही अनुपात जो ऐसे कर योग्य लाभों और समस्त कर योग्य लाभों के बीच है।] (24)

(दस) पृष्ठ 39, पंक्ति 15 में "A person" ["किसी व्यक्ति"] कोई के स्थान पर "Subject to the provisions of this section, a person" ["इस धारा के उपबन्धों के अधीन, कोई व्यक्ति"] रखा जाये। (25)

(ग्यारह) पृष्ठ 39, पंक्ति 23 में "May" ["कर सकेगा"] के स्थान पर "Shall" ["करेगा"] रखा जाये। (26)

(बारह) पृष्ठ 39, पंक्ति 23 में "Sub section (1)" ["उप धारा (1)"] के बाद "including the destination of their export." ["उनके निर्यात के गंतव्य स्थान सहित"] जोड़ दिया जाये। (27)

(तेरह) पृष्ठ 39, पंक्ति 28 में "Merchandise" ["व्यापारी माल"] शब्दों के बाद "including the destination of their export" ["उनके निर्यात के गंतव्य स्थान सहित"] शब्द जोड़ दिये जायें। (28)

(चौदह) पृष्ठ 39, पंक्ति 35 के पश्चात् "(c) the need to earn foreign exchange;" ["(ग) विदेशी मुद्रा के अर्जन की आवश्यकता"] शब्द रख दिये जायें। (29)

(पन्द्रह) पृष्ठ 39, पंक्ति 36 में "(c)" ["(ग)"] के स्थान पर "(d)" ["(घ)"] रखा जाये। (30)

(सौलह) पृष्ठ 40, पंक्तियों 9 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"280ZD. (1) Subject to the provisions of this section, a person, who during any financial year commencing on the 1st day of April, 1965 or any subsequent financial year (not being a year commencing on the 1st day of April, 1970 or any financial year thereafter) manufactures or produces any goods, shall be granted a tax credit certificate for an amount calculated at a rate not exceeding twenty-five per cent. of the amount of the duty of excise payable by him on that quantum of the goods cleared by him during the relevant financial year which exceeds the quantum of the goods cleared by him during the base year, whether the clearance in either case is for home consumption or export.".

["280जेड-डी (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन, कोई व्यक्ति जो, 1 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में (जो 1 अप्रैल, 1970 अथवा तत्पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष से आरम्भ न हो, किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करता है, आधार वर्ष तथा सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में उसके द्वारा भुगतान किये गये माल के अन्तर की अधिक मात्रा पर, चाहे वह भुगतान प्रत्येक मामले में, घरेलू खपत के लिए हो अथवा निर्यात के लिए हो, उसके द्वारा देय उत्पादन शुल्क के 25 प्रतिशत अनधिक राशि के लिए उसे कर-समंजन प्रमाण पत्र दिया जायेगा।"] (31)

(सत्तरह) पृष्ठ 40, पंक्ति 18 में--

"May" ["कर सकेगा"] के स्थान पर "Shall" ["करेगा"] रखा जाये। (32)

(अठारह) पृष्ठ 40, पंक्ति 30 के पश्चात् निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :--

"(4) Where any undertaking begins, after the 1st day of April in the base year, to manufacture or produce any goods in respect of which a tax credit certificate may be granted under sub-section (1), the quantum of goods cleared in that year shall, for the purposes of that sub-section, be determined in such manner as may be provided in the scheme.".

["(4) यदि कोई उपक्रम आधार वर्ष में प्रथम अप्रैल के पश्चात् किन्हीं ऐसी वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन आरम्भ करता है जिनके संबंध में उपधारा (1) के अन्तर्गत एक कर समंजन प्रमाणपत्र दिया जा सके, तो उस उपधारा के प्रयोजनों के लिये उस वर्ष में उठाये गये माल की मात्रा ऐसे तरीके से निश्चित की जायेगी जैसे कि योजना में व्यवस्था हो।]" (33)

(उन्नीस) पृष्ठ 40, पंक्ति 31 में "(4)" के स्थान पर "(5)" रखा जाये। (34)

(बीस) पृष्ठ 41, पंक्तियों 13 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :--

"as may be specified in the scheme—

(i) for repayment of loans taken by the person from any of the financial institutions notified in this behalf by the Central Government, or

(ii) for the acquisition of any capital asset in India including the construction of any building, for the purposes of his business, or

(iii) where the person is a company, also for redemption of its debentures.".

[(एक) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी वित्तीय संस्था से उस व्यक्ति द्वारा लिए गये ऋणों की पुनः अदायगी के लिये, अथवा

(दो) उसके व्यापार के प्रयोजनों के लिये, किसी भी इमारत के निर्माण सहित भारत में किसी भी पूंजीगत सम्पत्ति के अर्जन के लिये, अथवा

(तीन) यदि वह व्यक्ति एक समवाय है तो उसके ऋण पत्रों के मोचन के लिये भी ।"] (35)

(इक्कीस) पृष्ठ 41, पंक्ति 17 में,
"(5)" के स्थान पर "(6)" रख दिया जाये । (36)

(बाईस) पृष्ठ 42, पंक्ति 13 में--

"280 Z D" [280 ज़ेड-डी] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :--

"280ZD and the destination of the export of such goods or merchandise for the purposes of section 280ZC".

[280 ज़ेड० डी० तथा धारा 280 ज़ेड० सी० के प्रयोजनों के लिये ऐसी वस्तुओं अथवा व्यापारिक माल के निर्यात के पहुंचने का स्थान ।] (37)

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): मैं संशोधन संख्या 99 और 100 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं संशोधन संख्या 159, 160, 161, 162, 163 और 164 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मैं संशोधन संख्या 203, 204, 206 और 208 प्रस्तुत करता हूं ।

इस खंड में संशोधन निम्न प्रयोजनों के लिये लाये गये हैं :—

निर्यात के सम्बन्ध में कर समंजन प्रमाण पत्र । कर समंजन प्रमाण पत्रों की मंजूरी के लिए विभिन्न दरें निर्धारित करने के लिये सरकार को अधिकार देने का प्रस्ताव है ।

भुगतान किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में कर ऋण प्रमाण पत्र: यह उपबन्ध करने का प्रस्ताव है कि कर समंजन प्रमाण पत्र की राशि की गणना, आधार वर्ष में उठाये गये माल की मात्रा के मुकाबले सम्बन्धित वर्ष में अधिक उठाये गये ऐसे माल पर देय केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में की जायेगी चाहे वह माल देश के भीतर उपभोग के लिये उठाया गया हो अथवा निर्यात के लिये उठाया गया हो ।

सार्वजनिक समवायों द्वारा जारी की जा सकने वाली पूंजी में व्यक्तियों तथा अविभक्त हिन्दू परिवारों द्वारा दिये गये चन्दों के सम्बन्ध में कर समंजन प्रमाणपत्र: उन व्यक्तियों अथवा अविभक्त हिन्दू परिवारों को भी कर समंजन प्रमाणपत्र देने का प्रस्ताव है जो पूंजी जारी करने के वर्ष के 4 वर्ष बाद तक किसी भी समय एक बीमा कर्ता से जारी की जा सकने वाली पूंजी के अंश खरीदते हैं ।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मेरे संशोधन संख्या 99 और 100 का उद्देश्य पृष्ठ 38 और 41 पर दिये गये परन्तुक को गिराना है ।

जब मैं बजट पर बोला था तो मैं ने कहा था कि इन कर समंजन योजनाओं का लाभ केवल उन समवायों को ही होरहा है जिन्होंने रुपया उधार लिया था और अन्य समवायों को इन योजनाओं से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है । यद्यपि इस संशोधन से इन योजनाओं से लाभ उठाने वाले लोगों की श्रेणी में वृद्धि हुई है, फिर भी यह संतोषजनक नहीं है ।

यदि कोई समवाय कर समंजन प्रमाणपत्रों के लाभ के लिये पात्र है तो विधेयक के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार उसे उस लाभ की राशि को या तो ऋण का पैसा चुकाने का अधिकार है या इमारत बनवाने का अधिकार है। ऐसी पाबन्दी लगाने उचित नहीं है। समवायों को उस लाभ को जैसे वे चाहें प्रयोग में लाने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसको इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं जैसे कि मजदूरों का वेतन बढ़ाना, विज्ञापन पर खर्च करना आदि।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैंने कई संशोधन प्रस्तुत किये हैं। पहला है संशोधन संख्या 159 जिसका उद्देश्य नई धारा 280 जेड, उपधारा (4), उपखंड (क) के परन्तुक को हटाना है। इस परन्तुक का प्रभाव कुछ विचित्र सा है कि यदि कोई व्यक्ति आवश्यक विनियोजन कर के कर रियायत पाने के लिये पात्र हो जाता है और बाद में उस विनियोजन के अंशों को बेच देता है तो उसे कर समंजन के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिये। वह लाभ उस को बराबर मिलना चाहिये न कि केवल उस समय तक ही जब तक कि उसके पास पावति पत्र रहें।

मेरे संशोधन संख्या 159, 160 और 161 नये विनियोजनों के लिये कर समंजन प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में हैं। विधेयक को प्रथम बार देखने से तो ऐसा पता चलता है कि यह एक बहुत ही अच्छी और प्रोत्साहक योजना है। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। इन कर समंजन प्रमाणपत्रों का लाभ तुरन्त नहीं दिया जाता है। अपितु इसके लिये 12 मास का समय रखा गया है। यह उचित नहीं है। किसी भी समय वर्तमान कर दायित्व के विरुद्ध समायोजन कर के कर समंजन प्रमाण-पत्रों का लाभ दिया जाना चाहिये। संशोधन संख्या 162 और 163 का संबंध उद्योगों को शहरी क्षेत्रों से अन्य स्थानों पर ले जाने के लिये करों में राहत देने से है। यह एक अच्छी बात है और ऐसी योजनायें फ्रांस में हैं। परन्तु यह मेरी समझ में नहीं आता कि यह राहत केवल सार्वजनिक कम्पनियों को ही क्यों दी जाती है। आज कलकत्ता और बम्बई के रिहायशी क्षत्रों में असंख्य छोटे छोटे उद्योग हैं। कानपुर और शोलापुर का भी यही हाल है।

अन्त में, मेरा संशोधन संख्या 164 पृष्ठ 36 पर इस प्रस्ताव के काफी बड़े भाग को हटाने से संबंध रखता है, अर्थात् पंक्तियां 19 से 32 जहां कि योजना उपक्रमों के हस्तान्तरण पर प्रतिबंध लगाती है, अर्थात् उपक्रम के स्थान बदलने के 5 वर्ष बाद तक उपक्रम के स्वामित्व के स्थानान्तरण पर ऐसा क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्य उद्देश्य उपक्रमों को शहरी क्षेत्रों से बाहर ले जाने का है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो अच्छा करता है। परन्तु, यदि वह उस उपक्रम को अन्य व्यक्ति से खरीदना चाहता है तो उसे कर समंजन प्रमाणपत्र के लाभ से वंचित कर दिया जाता है। यदि उपक्रम को एक बार अन्य स्थान पर ले जाया जा चुका है तो कर समंजन प्रमाणपत्रों का लाभ बराबर मिलते रहना चाहिये।

ये ही मेरे संशोधन हैं और मैं चाहता हूं कि इन पर गंभीरता से विचार किया जाये।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मेरे 6 संशोधन हैं। जहां तक संशोधन संख्या 203 का संबंध है मैं यह कहना चाता हूं। उन सार्वजनिक कम्पनियों को कर समंजन प्रमाणपत्र देने का प्रस्ताव है जो अपने कारखानों को बहुत अधिक भीड़ वाले क्षेत्रों से अन्य स्थानों पर ले जाते हैं। ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो सार्वजनिक कम्पनियों के नहीं हैं और जिन्हें भीड़ को दूर करने के लिये अन्य स्थानों पर ले जाने के लिये प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस कर समंजन योजना का लाभ गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाये जाने वाले कारखानों को भी दिया जाना चाहिये।

[श्री प्र० चं० बरुआ]

जहां तक मेरे दूसरे संशोधन, अर्थात संख्या 204 का संबंध है, यहां पर भी उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची में दी हुई वस्तुओं के निर्माण में व्यस्त कम्पनियों को कर समंजन प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव है । तीव्र औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि इस धारा के अन्तर्गत सभी उद्योगों को वे लाभ दिये जायें न कि केवल विशिष्ट उद्योगों को ही ।

मेरा तीसरा संशोधन है संख्या 205 । यहां पर विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण में व्यस्त समवायों को कर समंजन प्रमाणपत्र जारी करने का प्रस्ताव है, जबकि ये प्रमाणपत्र कुछ वस्तुओं के बढ़े हुए उत्पादन के लिये देय उत्पादन शुल्क के संबंध में दिये जायेंगे । प्रमाणपत्रों का लाभ प्राप्त करने के लिये समवायों को प्रमाणपत्रों की राशि के बराबर राशि ऋणों और ऋणपत्रों की पुनः अदायगी के लिये उपयोग में लानी होगी । इसके परिणामस्वरूप जो समवाय बिना ऋण अपना कारोबार चलाते हैं, अथवा वे जो पहले से ही ऋण का भुगतान कर चुके हैं, उनको इन प्रमाणपत्रों का लाभ नहीं मिल पायेगा । यह न्यायसंगत ही होगा यदि इन समवायों को यह लाभ दिया जाय ।

मेरा अगला संशोधन है संशोधन संख्या 206 । यहां पर भी धारा की उपधारा (2) के अन्तर्गत दी गई कुछ वस्तुओं के निर्यात के लिये कर समंजन प्रमाणपत्र देने का प्रस्ताव है । अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि सभी निर्यातों को कर समंजन प्रमाणपत्र दिये जायें न कि केवल कुछ ही विशिष्ट वस्तुओं को ।

अगला संशोधन है संख्या 207 । नया अध्याय बाईस ख प्रमाणपत्रों के देने से संबंध रखता है । परन्तु यहां पर आयकर अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । इन मामलों में कुछ कठिनाइयां और मतभेद पैदा हो सकते हैं जिनके लिये उपबन्ध की आवश्यकता है ।

मेरा अगला संशोधन है संख्या 208 । आधार वर्ष का चुना जाना बहुत ही निर्णायक प्रश्न है । 1964-65 को आधार वर्ष के रूप में चुना गया है और यह वर्ष प्रत्येक उद्योग को नहीं सुहाता । उदाहरणार्थ चाय का उत्पादन 1964-65 में सब बर्षों से अधिक था । इसलिये मेरा सुझाव है कि ऐसे मामलों में पिछले तीन वर्षों के उत्पादन की औसत ली जानी चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमन्, संशोधन कुछ ऐसे जटिलस्वरूप के हैं कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । मेरे माननीय मित्र श्री मसानी तो इस खंड को बिल्कुल नहीं चाहते थे । परन्तु जब इस खंड को रख दिया गया है तो वह कहते हैं कि इस खंड को और बड़ा किया जाये ताकि अधिक क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़े ।

स्वभावतः रियायतें देने के ममले में हमें बड़ा सावधान होना पड़ता है । यह मानने में मुझे आपत्ति नहीं है, कि इस खंड को उत्पादन बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने, शहरों में भीड़भाड़ को दूर करने और कारखानों को बाहर भेजने की दृष्टि से रखा गया है ।

हो सकता है कर समंजन प्रमाणपत्रों के उपयोग में कुछ कठिनाइयां पैदा हो जायें । सभी बातों के बारे में अभी से अनुमान लगा लेना कठिन है । इस मामले में प्रत्यक्ष कर बोर्ड को विवेक से काम लेना होगा । जब हम अतिरिक्त आय पर छूट देते हैं, आयकर जो कि एक समवाय अतिरिक्त आय के कारण देता है, चाहे अधिक उत्पदान के कारण अथवा अतिरिक्त पूंजीगत आस्तियों के कारण, तो स्वभावतः हम यह चाहते हैं कि वह धन उपयोगी दिशा में व्यय किया जाये ।

मैंने जो संशोधन सभा के सामने रखे हैं वे इसलिये हैं कि जिस व्यक्ति के पास संसाधन हैं वह उन्हें प्रयोग में ला सके । गैर-उत्पादक प्रयोजनों के लिये इसको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता । मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना है ।

कर समंजन प्रमाण पत्र देने के तरीके के बारे में यदि श्री दांडेकर के संशोधन के अनुसार पृष्ठ 36 पर 19 से 32 तक की पंक्तियां निकाल दी जायें तो फिर रह क्या जायेगा ? श्री वरुआ ने कहा है कि आयकर निर्धारण के बारे में अपील के लिये व्यवस्था होनी चाहिये । यहां कोई आयकर अधिकारी नहीं है । यहां इसका कोई संबंध नहीं है । आधार वर्ष चुनने के बारे में मैं समझता हूं कि यह अधिकारी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वह तो वही वर्ष चुनेगा जो उसे अत्यधिक लाभप्रद हो ।

तथापि मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हम एक प्रयोग कर रहे हैं और माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि इसके प्रवर्तन के पश्चात जो परिवर्तन आवश्यक होंगे हम उन पर विचार करेंगे । यदि कुछ कठिनाईयां हुई तो हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न करेंगे । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि इस प्रयोग को चलाने के लिये हमें एक वर्ष का समय दें ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 99, 100 तथा 159 से 164 तक मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 99, 100 and 159 to 164 were put and negatived.

संशोधन संख्या 203, 204, 206 **और** 208 **सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।**

Amendment Nos. 203, 204, 206 and 208 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकार के निम्नलिखित संशोधन संख्या 16 से 37 तक मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

(एक) पृष्ठ 35, पंक्तियों 1 और 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :-

'*Explanation*—For the purposes of this section—

(i) "subscribed" includes acquisition of the shares forming part of an eligible issue of capital from a person who is specified as an underwriter in pursuance of clause 11 of Part I of Schedule II to the Companies Act, 1956 (hereinafter in this section referred as the underwriter);

(ii) a payment shall be treated as having been made to the extent to which and".

["**व्याख्या**—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(एक) "प्राथित" में समवाय अधिनियम, 1956 की अनुसूचित II के भाग I के खण्ड 11 के अनुसरण में बीमाकर्ता के रूप में उल्लिखित किसी व्यक्ति से उन अंशों का अर्जन शामिल है जो पूंजी के ग्राह्य निर्गम का भाग बनाते हैं। (इस धारा में इसके बाद से बीमाकर्ता के रूप में निर्ष्टि किया गया) ;

[उपाध्यक्ष महोदय]

(दो) किसी धनराशि का उस सीमा तक भुगतान किया गया उमझा जायेगा जहां तक श्रौर"](16)

(दो) पृष्ठ 35, पंक्तियों 5 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(4) A tax credit certificate for the amount specified in sub-section (3) shall be granted to an individual or Hindu undivided family—

(a) where payment by way of subscription has been made to the company, in respect of the financial year in which payment has been made and each of the three financial years following that year; and

(b) where the acquisition has been made from the underwriter, in respect of the financial year in which the capital was so acquired and each one, if any, of the following financial year not falling beyond the third financial year from the end of the financial year in which the payment by way of subscription has been made to the company by the underwriter;

Provided that, in either case, the capital is held by or on behalf of the Hindu undivided family, as the case may be, at the end of the relevant financial year."

["(4) उपधारा (3) में उल्लिखित धनराशि के लिए किसी व्यक्ति विशेष अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार को एक कर-समंजन प्रमाणपत्र मंजूर किया जायेगा—

(क) जहां समवाय को अभिदान के तौर पर उस वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, जिसमें भुगतान किया जाता है तथा उसके बाद निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों के प्रत्येक वर्ष में भुगतान किया गया है ; और

(ख) जहां बीमाकर्ता से उस वित्तीय वर्ष के संबंध में जिसमें इस प्रकार अर्जित की गई पूंजी का उपार्जन किया गया है और उस वित्तीय वर्ष से तीसरे वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रत्येक, यदि कोई हो, वित्तीय वर्ष में बीमाकर्ता ने समवाय को अभिदान, के तौर पर भुगतान किया है :

परन्तु, प्रत्येक स्थिति में, व्यक्ति विशेष की ओर से या द्वारा अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार की ओर से, यथा स्थिति, सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूंजी रखी गई हो।"] (17)

(तीन) पृष्ठ 35, पंक्ति 27 के बाद यह शब्द रखा जाये—

"(5) If any individual by himself or on behalf of any other individual or on behalf of any Hindu undivided family has acquired any shares forming part of an eligible issue of capital from the underwriter, he shall not be entitled to a tax credit certificate under this section, unless his name is entered as a shareholder in respect of such shares in the register of shareholders of the company."

["(5) यदि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से अथवा किसी हिन्दू अविभक्त परिवार की ओर से बीमाकर्ता से

उन अंशों का अर्जन किया जाता है जो पूंजी का ग्राह्य निर्गम का भाग बनाते हैं, तो वह इस धारा के अन्तर्गत तब तक कर-समंजन प्रमाणपत्र का हकदार नहीं होगा जब तक कि समवाय के ऐसे अंशों से संबंधित रजिस्टर में उसका नाम एक अंशधारी के रूप में दर्ज न किया गया हो।"](18)

(चार) पृष्ठ 35, पंक्ति 28 में, "(5)" के स्थान पर "(6)" रखा जाये। (19)

(पांच) पृष्ठ 36, पंक्ति 1 में, "(6)" के स्थान पर "(7)" रखा जाये। (20)

(छः) पृष्ठ 36, पंक्ति 4 में, "(7)" के स्थान पर "(8)" रखा जाये । (21)

(सात) पृष्ठ 37, पंक्तियों 39 से 44, पृष्ठ 38, पक्तियों 1 से 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"280 ZB. (1) Where any company engaged in the manufacture or production of any of the articles mentioned in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 is, in respect 65 of 19 of its profits and gains attributable to such manufacture or production,—

(i) liable to pay any tax for the assessment year commencing on the 1st day of April, 1965 (hereinafter referred to as the base year) and for any one or more of the five assessment years next following that year; or

(ii) not liable to pay any tax for the base year but becomes so liable for any succeeding year (hereinafter referred to as the succeeding base year) and also for any one or more of the assessment years following that year, not being an assessment year commending on the 1st day of April, 1971, or any subsequent assessment year.

and that tax for any such succeeding year exceeds—

(a) in the case referred to in clause (i), the tax payable for the base year;

(b) in the case referred to in clause (ii), the tax payable for the succeeding base year, then the company shall be granted a tax credit certificate for an amount equal to twenty per cent. of such excess:

Provided that the amount of the tax credit certificate shall not for any assessment year exceed ten per cent. of such tax payable by the company for that year.".

["280 जेड०बी० (1) जहां कोई समवाय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में उल्लिखित किसी वस्तु के निर्माण अथवा उत्पादन में लगा हो, तो उसे ऐसे निर्माण तथा उत्पादन से होने वाले लाभ तथा अभिलाभ के संबंध में,— 1951 65

(एक) 1 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष (इसके बाद आधार वर्ष के रूप में निर्दिष्ट) के लिए और किसी एक वर्ष अथवा उसके बाद लगातार और 5 निर्धारण वर्षों के लिए कोई कर देना पड़ेगा; अथवा

[उपाध्यक्ष महोदय]

(दो) आधार वर्ष के लिए कोई कर नहीं देना होगा किन्तु किसी आगामी वर्ष के लिये (इसके बाद से इसे आगामी आधार वर्ष कहा जायेगा) और उस वर्ष के बाद के किसी एक अथवा उससे अधिक निर्धारण वर्षों के लिए कर देय होगा लेकिन 1 अप्रैल, 1971 को आरम्भ होने वाला वर्ष अथवा कोई अगला निर्धारण वर्ष नहीं शामिल होगा।

और प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए कर——

(क) खण्ड (एक) में निर्दिष्ट मामले में आधार वर्ष के लिये देय कर,

(ख) खण्ड (दो) में निर्दिष्ट मामले में आगामी आधार वर्ष के लिए देय कर—

से अधिक हो जाये, तो उस अधिक धनराशि के 20 प्रतिशत के बराबर की धनराशि के लिए समवाय को कर-समंजन प्रमाणपत्र दिया जायेगा ;

परन्तु कर-समंजन प्रमाणपत्र की रकम किसी भी निर्धारण वर्ष में उस वर्ष के लिए उस समवाय द्वारा देय कर के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी"] (22)

(आठ) पृष्ठ 38, पंक्तियों 38 से 41 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :——

"period as may be specified in the scheme—

(i) for repayment of loans taken by the company from any of the financial institutions notified in this behalf by the Central Government, or

(ii) for redemption of its debentures, or

(iii) for the acquisition of any capital asset in India, including the construction of any building, for the purposes of the business of the company.".

["अवधि जैसी कि योजना में निर्धारित की जायेगी——

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी वित्तीय संस्था से समवाय द्वारा लिए गये ऋणों की भुगतान के लिए, अथवा

(दो) ऋण-पत्रों के मोचन के लिए, अथवा

(तीन) समवाय के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए, भारत में किसी पूंजी परि-सम्पत, जिसमें किसी इमारत का निर्माण भी शामिल है, के अर्जन के लिए"] (23)

(नौ) पृष्ठ 39, पंक्तियों 1 से 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :——

"*Explanation* I.—In this section, "tax" means income-tax payable under this Act and surtax, if any, payable under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964.

Explanation 2.—The amount of income-tax in respect of the profits or gains attributable to the manufacture or production of the articles referred to in sub-section (1) shall be an

amount bearing to the total amount of income-tax payable on the total income (such income-tax being computed in the manner specified hereunder) the same proportion as the amount of such profits or gains bears to the total income. The amount of income-tax payable by the company for any assessment year shall be computed after making allowance for any relief, rebate or deduction in respect of income-tax to which the company is entitled under the provisions of this Act or the annual Finance Act and after deducting from such amount of income-tax the amount of additional income-tax, if any, payable by the Company under the provisions of section 104 and also the amount, if any, by which the rebate of income-tax admissible to the company under the provisions of the annual Finance Act is, under the provisions of the said Act, reduced with reference to the face value of any bonus shares or the amount of any bonus issued by the company to its shareholders during the previous year or any previous year prior to that year or with reference to any amount of dividends declared or distributed by it during the previous year or any previous year prior to that year.

Explanation 3.—The amount of surtax in respect of the chargeable profits attributable to the manufacture or production of the articles referred to in sub-section (1) shall be an amount bearing to the total amount of surtax payable under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 the same proportion as the amount of such chargeable profits bears to the whole of the chargeable profits.".

["व्याख्या 1—इस धारा में "कर" का अभिप्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत
1964 का 7 देय आयकर तथा समवाय (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत देय अधिकर से, यदि कोई हो, है।

व्याख्या 2—लाभ तथा अभिलाभ जो कि उपधारा (1) में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पदन से होगा उसकी राशि वह होगी जो कि कुल आय पर देय होगी—(इस प्रकार का आय-कर इसमें निर्दिष्ट तरीके के अनुसार माना जायेगा) और वह उस राशि के बराबर होगा जो कि इस प्रकार के लाभ तथा अभिलाभ के कुल आय के अनुपात में होंगे। किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा देय कर इस अधिनियम अथवा वार्षिक वित्त विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत उस कम्पनी को आयकर के सम्बन्ध में छूट, कटौती और कमी करने के बाद गिनी जायेगी तथा धारा 104 के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा देय अतिरिक्त आयकर की राशि पर आयकर की राशि में से कटौती करने के बाद तथा वार्षिक वित्त विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत कम्पनी को आयकर में दी जाने वाली किसी छूट की राशि उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत बोनस अंश के अंकित मूल्य इस संबंध में घटाकर अथवा कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों को गत वर्ष अथवा उसके पूर्व वर्ष के लिये जारी की गई बोनस की राशि अथवा घोषित लाभांश की राशि के बारे में अथवा इसके द्वारा गत वर्ष अथवा उस वर्ष के पूर्व के किसी वर्ष के बारे में दी गई राशि होगी।

[उपाध्यक्ष महोदय]

व्याख्या 3—उपधारा (1) में उल्लिखित वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन पर कर योग्य लाभों के संबंध में अधिकर की राशि समवाय (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत देय अधिकर की कुल राशि पर दिये जाने वाले कर के बराबर होगी—वही अनुपात जो ऐसे कर योग्य लाभों और समस्त कर योग्य लाभों के बीच है।"] (24)

(दस) पृष्ठ 39, पंक्ति 15 में " A person " ["किसी व्यक्ति"] के स्थान पर "Subject to the provisions of this Section, a person" ["इस धारा के उपबन्धों के अधीन कोई व्यक्ति"] रखा जाये। (25)

(ग्यारह) पृष्ठ 39, पंक्ति 23 में "may" ["कर सकेगा"] के स्थान पर " shall " ["करेगा"] रखा जाये। (26)

(बारह) पृष्ठ 39, पंक्ति 23 में "Sub-section (1)" ["उप-धारा (1)"] के बाद "(including the destination of their export)" ["(उनके निर्यात के गंतव्य स्थान सहित)"] जोड़ दिया जाये। (27)

(तेरह) पृष्ठ 39, पंक्ति 28 में " merchandise " ["व्यापारी माल"] शब्दों के बाद "(including the destination of their export)" ["(उनके निर्यात के गंतव्य स्थान सहित)"] शब्द जोड़ दिये जायें। (28)

(चौदह) पृष्ठ 39, पंक्ति 35 के पश्चात् "( ) the need to earn foreign exchange" ["(ग) विदेशी मुद्रा के अर्जन की आवश्यकता"] शब्द रख दिये जायें। (29)

(पंद्रह) पृष्ठ 39, पंक्ति 36 में "(c)" ["(ग)"] के स्थान पर "(d)" ["(घ)"] रखा जाये। (30)

(सोलह) पृष्ठ 40, पंक्तियों 9 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"280ZD. (1) Subject to the provisions of this section, a person, who during any financial year commencing on the 1st day of April, 1965 or any subsequent financial year (not being a year commencing on the 1st day of April, 1970 or any financial year thereafter) manufactures or produces any goods, shall be granted a tax credit certificate for an amount calculated at a rate not exceeding twenty-five per cent of the amount of the duty of excise payable by him on that quantum of the goods cleared by him during the relevant financial year which exceeds the quantum of the goods cleared by him during the base year, whether the clearance in either case is for home consumption or export."

["280 जेड० डी० (1) इस धारा के उपबन्धों के अधीन, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में (जो 1 अप्रैल, 1970 अथवा तत्पश्चात् किसी वित्तीय वर्ष से आरम्भ न हो) किन्हीं वस्तुओं का निर्माण करता है, आधार वर्ष तथा संबंधित वित्तीय वर्ष में उसके

द्वारा भुगतान किये गये माल के अन्तर की अधिक मात्रा पर, चाहे वह भुगतान, प्रत्येक मामले में, घरेलू खपत के लिए हो अथवा निर्यात के लिए हो, उसके द्वारा देय उत्पादन शुल्क के 25 प्रतिशत अनधिक राशि के लिए उसे कर-समंजन प्रमाणपत्र दिया जायेगा ।] (31)

(सतरह) पृष्ठ 40, पंक्ति 18 में

"may" ["कर सकेगा"] के स्थान पर "shall" ['करेगा'] रखा जाये । (32)

(अठारह) पृष्ठ 40, पंक्ति 30 के पश्चात निम्नलिखित शब्द जोड़े जायें :—

"(4) Where any undertaking begins, after the 1st day of April in the base year, to manufacture or produce any goods in respect of which a tax credit certificate may be granted under sub-section (1), the quantum of goods cleared in that year shall, for the purposes of that sub-section, be determined in such manner as may be provided in the scheme.".

["(4) यदि कोई उपक्रम आधार वर्ष में 1 अप्रैल के पश्चात किन्ही ऐसी वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन आरम्भ करता है, जिसके लिये उप-धारा (1) के अन्तर्गत कर-समंजन प्रमाण-पत्र दिया जा सके, तो उस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए उस वर्ष में उठाये गये माल की मात्रा ऐसे तरीके से निश्चित की जायेगी जैसी कि योजना में व्यवस्था हो ।"] (33)

(उन्नीस) पृष्ठ 40, पंक्ति 31 में

"(4)" के स्थान पर "(5)" रखा जाये । (34)

(बीस) पृष्ठ 41, पंक्तियों 13 से 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"as may be specified, in the scheme—

(i) for repayment of loans taken by the person from any of the financial institutions notified in this behalf by the Central Government, or

(ii) for the acquisition of any capital asset in India, including the construction of any building, for the purposes of his business, or

(iii) where the person is a company, also for redemption of its debentures.".

["जैसा कि योजना में निर्दिष्ट दिया जाये :—

(एक) इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी वित्तीय संस्था से उस व्यक्ति द्वारा लिये गए ऋणों की पुनः अदायगी के लिये अथवा

(दो) उसके व्यापार के प्रयोजनों के लिये, किसी भी इमारत के निर्माण सहित भारत में किसी भी पूंजीगत सम्पत्ति के अर्जन के लिये, अथवा

[उपाध्यक्ष महोदय]

(तीन) यदि वह व्यक्ति एक समवाय है, तो उसके ऋण-पत्रों के मोचन के लिये भी "] (35)

(इक्कीस) पृष्ठ 41, पंक्ति 17

"(5)" के स्थान पर "(6)" रख दिया जाये। (36)

(बाईस) पृष्ठ 42, पंक्ति 13, "280 ZD" ["280 जेड डी"] के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"280ZD and the destination of the export of such goods or merchandise for the purposes of section 280ZC".

["280 जेड डी तथा धारा 280 जेड सी के प्रयोजनों के लिये ऐसी वस्तुओं अथवा व्यापारिक माल के निर्यात के पहुंचने का स्थान"] (37)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 62, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ६२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 62, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ६३ से ६५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 63 to 65 were added to the Bill.

खण्ड ६६—(चौथी अनुसूची का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पृष्ठ 43, पंक्ति 9 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

'(ii) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. *Exemption for employee's contributions.*—An employee participating in a recognised provident fund shall, in respect of his own contributions to his individual account in the fund in the previous year, be entitled to a deduction in the computation of his total income of an amount determined in accordance with section 80A or, as the case may be, to a deduction from the amount of income-tax with which he is chargeable on his total income of an amount of income-tax determined in accordance with section 87." '.

['(दो) नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात :—

"7. **कर्मचारी अंशदानों के लिये छूट** :—एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाला कर्मचारी पिछले वर्ष में निधि में अपने व्यक्तिगत लेखे में अपने

अंशदानों के बारे में अपनी कुल आय की गणना में से धारा 80क के अनुसार निर्धारित की गई राशि की कमी करने अथवा, जैसा भी मामला हो, अपनी कुल आय पर उससे लिये जाने वाले आयकर की राशि में से धारा 87 के अनुसार निर्धारित किये गये आयकर की राशि की कमी करने का हकदार होगा। ""](38)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

कि पृष्ठ 43, पंक्ति 9 से 18 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :––

'(ii) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. *Exemption for employee's contributions.*—An employee participating in a recognised provident fund shall, in respect of his own contributions to his individual account in the fund in the previous year, be entitled to a deduction in the computation of his total income of an amount determined in accordance with section 80A or, as the case may be, to a deduction from the amount of income-tax with which he is chargeable on his total income of an amount of income-tax determined in accordance with section 87." '.

['नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात :––

"7. **कर्मचारी अंशदनों के लिये छूट** :––एक मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाला कर्मचारी पिछले वर्ष में निधि में अपने व्यक्तिगत लेखे में अपने अंशदानों के बारे में अपनी कुल आय की गणना में से धारा 80 क के अनुसार निर्धारित की गई राशि की कमी करने अथवा, जैसा भी मामला हो, अपनी कुल आय पर उससे लिये जाने वाले आयकर की राशि में से धारा 87 के अनुसार निर्धारित किये गये आयकर की राशि की कमी करने का हकदार होगा।" ']

(38)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 66, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड ६६, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 66, as amended, was added to the Bill.

खण्ड ६७––(नई अनुसूची का जोड़ा जाना)

संशोधन किये गये

Amendments made:

(एक) पृष्ठ 44, पंक्ति 9 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :––

"(3) Iron ore, bauxite, manganese ore, dolomite, limestone, mag-

[उपाध्यक्ष महोदय]

nesite and mineral oil.".

["(3) लौह अयस्क, बोक्साइट, मैंगनीज अयस्क, डोलोमाइट, चूना, मेगनेसाइट तथा खनिज तेल। "] (39)

(दो) पृष्ठ 44, पंक्ति 10, "(3)" के स्थान पर "(4)" रखा जाये। (40)

(तीन) पृष्ठ 44, पंक्ति 14, "(4)" के स्थान पर "(5)" रखा जाये। (41)

(चार) पृष्ठ 44, पंक्ति 15 के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाये--

"(6) Flame and drip proof motors.".

["(6) ज्वाला वारक तथा न चूने वाली मोटरें।"] (42)

(पांच) पृष्ठ 44, पंक्ति 16, "(5)" के स्थान पर "(7)" रखा जाये। (43)

(छै) पृष्ठ 44, पंक्ति 18 से 20 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--

"(8) Machine tools and precision tools (including their attachments and accessories, cutting tools and small tools), dies and jigs.

(9) Tractors, earth moving machinery and agricultural implements.

(10) Motor trucks and buses.".

["(8) मशीनी औजार तथा सूक्ष्म औजार (संलग्न तथा सहायक औजार, काटने के औजार तथा छोटे औजार सम्मिलित हैं), सांचे तथा जिग।

(9) ट्रेक्टर, मिट्टी हटाने वाली मशीनें तथा कृषि उपकरण।

(10) मोटर ट्रक तथा बसें।"] (44)

(सात) पृष्ठ 44, पंक्ति 21 में, "(8)" के स्थान पर "(11)" रखा जाये। (45)

(आठ) पृष्ठ 44, पंक्ति 23 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :-

"(12) Cement and refractories".

["(12) सीमेंट तथा रिफ्रेक्टरीज़" (46)

(नौ) पृष्ठ 44, पंक्ति 24 में "(10)" के स्थान पर "(13)" रखा जाये। (47)

(दस) पृष्ठ 44, पंक्ति 30 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--

"(14) Soda ash.

(15) Pesticides.

(16) Paper and pulp.".

[" (14) सोडा, राख।

(15) कीटनाशक दवाइयां।

(16) कागज तथा कागज़ का गूदा]" (48)

(ग्यारह) पृष्ठ 44, पंक्ति 31 में "(12)" के स्थान पर "(17)" रखा जाये। (49)

(बारह) पृष्ठ 44, पंक्ति 36 में, "(13)" के स्थान पर "(18)" रखा जाये। (50)

(तेरह) पृष्ठ 44, पंक्ति 39 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये--

"(19) Ships.
(20) Automobile ancillaries.
(21) Seamless tubes.
(22) Gears.
(23) Ball, roller and tapered bearings.".

["(19) जहाज़ ।
(20) मोटरगाड़ियों के पुर्जे ।
(21) बिना जोड़ की ट्यूब ।
(22) गीयर
(23) बाल, रोलर तथा टेपर्ड बीयरिंग ।"] (51)

(चौदह) पृष्ठ 45, पंक्ति 1 और 2, में "(15)", "(3)", "(4)", "(5)" और "(7)" के स्थान पर क्रमशः "(24)", "(4)", "(5)", "(7)" और "(9)" रखा जाये । (52)

(पन्द्रह) पृष्ठ 45, पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाये —

"(25) Cotton seed oil.".

["(25) बिनौले का तेल ।"] (53)

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 67, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड ६७, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 67, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 68—(आय की स्वेच्छा से घोषणा)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) पृष्ठ 45, पंक्ति 22, में "either" ["या"] शब्द निकाल दिया जाये । (54)

(दो) पृष्ठ 45, पंक्तियों 24 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये—

"(ii) furnishes adequate security for the payment thereof in accordance with sub-section (4) and undertakes to pay such income-tax within a period, not exceeding six months, from the date of the declaration as may be specified by him therein, or

(iii) on or before the 31st day of May, 1965, pays such amount as is not less than one-half of the amount of income-tax as computed at the said rate or furnishes adequate security for the payment thereof in accordance with sub-section (4),

738 (ai) LS—10.

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

and in either case assigns any shares in, or debentures of, a joint stock company or mortgages any immovable property in favour of the President of India by way of security for the payment of the balance, and undertakes to pay such balance within the period referred to in clause (ii)".

["(दो) उपधारा (4) के अनुसार उसका भुगतान करने के लिये पर्याप्त जमानत देता है और घोषणा की तारीख से, जो उस द्वारा उसमें उल्लिखित की गई हो, छै महीने के अन्दर ऐसे आयकर का भुगतान करने का वचन देता है, अथवा

(तीन) ऐसी राशि का भुगतान 31 मई तक करता है जोकि उक्त दर से निर्धारित किये गये आयकर की राशि के आधे से कम न हो अथवा उपधारा (4) के अनुसार उसका भुगतान करने के लिये पर्याप्त जमानत देता है और इन दोनों अवस्थाओं में शेष राशि का भुगतान करने के लिये जमानत के रूप में संयुक्त स्कन्ध समवाय के शेयर अथवा ऋणपत्र सौंपता है अथवा भारत के राष्ट्रपति के नाम किसी अचल सम्पत्ति को गिरवी रखता है और ऐसी शेष राशि का खण्ड (2) में उल्लिखित अवधि में भुगतान करने का वचन देता है ।"] (55)

(तीन) पृष्ठ 46, पंक्ति 16, "Central" ["केन्द्रीय"] के बाद "or State" ["या राज्य"] शब्द रखे जायें । (56)

श्री मुरारका: मैं अपने संशोधन संख्या 209, 210, 211 और 212 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका : मैं अपने संशोधन संख्या 145, 146 तथा 228 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन अब सभा के सामने हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इन संशोधनों का संबंध छिपे धन की घोषणा के मामले में विकल्प के प्रश्न से है और वह विकल्प यह है कि छिपा धन बताने वाले को सरकार को आधी राशि प्रतिभूतियों के रूप में देने की अनुमति होगी परन्तु तभी जब वह इस बारे में आय-कर आयुक्त को संतुष्ट कर दें ।

श्री मुरारका : छिपा धन बाहर निकालने संबंधी योजना अधिक स्वीकार्य तथा व्यावहारिक होनी चाहिये । मेरे संशोधनों का आशय भी यही है । सरकार 60 प्रतिशत राशि की बजाय 70 प्रतिशत राशि कर के रूप में वसूल कर सकती है । वह 20 प्रतिशत तत्काल ले सकती है और शेष 50 प्रतिशत आगामी पांच वर्षों में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ले सकती है । इस प्रकार पहले वर्ष में 20 प्रतिशत देकर कोई व्यक्ति शेष 80 प्रतिशत राशि को अपनी लेखा-पुस्तकों में दिखा सकेगा और उसे व्यापार में लगा सकेगा । परन्तु वर्तमान योजना के अनुसार उसे 40 प्रतिशत राशि अपनी लेखा पुस्तकों में दिखाने के लिये 60 प्रतिशत राशि सरकार को देनी होगी । इसलिये वर्तमान योजना से लोग छिपा धन बताने के लिये प्रेरित नहीं हो सकेंगे ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कर-अपवंचन तथा धन छिपाने की व्याधि विद्यमान है और इसी व्याधि के कारण न ही मूल्यों पर नियंत्रण कर सके हैं और न ही मौद्रिक प्रणाली को सुदृढ़ बना सके हैं । आय-कर के अतिरिक्त इस राशि पर सम्पत्तिकर भी हमें नहीं मिल रहा है । चाहे कैसे ही उपाय क्यों न करने पड़ें, छिपे धन को बाहर निकाला जाना चाहिये । इस छिपे धन को निकालने के दो तरीके हैं —एक नरम तथा दूसरा कड़ा । आपने इसे बाहर निकालने के

लिये सब से पहले कड़ा तरीका अर्थात् तलाशियां तथा छापों द्वारा छिपे धन को निकालने का प्रयत्न किया है परन्तु आपको इस में प्रत्याशित सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अब सरकार ने लोगों को अपने आप ऐसे धन की घोषणा करने का अवसर दिया है । यह एक सरल तरीका है । परन्तु इस से भी अभी तक इतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये थी । इसका कारण क्या है ? या तो लोगों के पास छिपा धन है ही नहीं, या वे इसको प्रकट नहीं करना चाहते अथवा वह इसको प्रकट तो करना चाहते हैं परन्तु तुरन्त राशि के भुगतान की आवश्यकता को पूरा करने में वह असमर्थ हैं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि यह धन उनके पास नकद रूप में हो । अतः उन के लिये सरकार को 60 प्रतिशत का तुरन्त भुगतान करना सम्भव नहीं है । इसलिये उन्हें अधिक समय दिया जाना चाहिये जिस में वह इस राशि को जमा करा सकें । इस अवधि को बढ़ाने के साथ साथ मैंने यह भी सुझाव दिया है कि सरकार 60 प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत वसूल करे ताकि सरकार को उस राशि पर ब्याज मिल सके। इस प्रकार सरकार को भी हानि नहीं होगी और जनता को भी असुविधा नहीं होगी । मैं जानता हूं कि मेरी यह योजना लोकप्रिय नहीं हो सकेगी । परन्तु जब सरकार ने उन लोगों को रियायत देने के लिये ऐसी योजना बनाई है तो उसको व्यवहारिक रूप देने के लिये मेरे सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये ताकि लोग छिपे धन को प्रकट कर सकें और सरकार अपनी मुद्रा सम्बन्धी नीति को प्रभावशाली तरीके से अपना सके।

सरकार की इस योजना से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या स्वेच्छा से धन प्रकट करने वालों को इस छिपे धन पर सम्पत्ति कर की भी छूट होगी। यदि उन को सम्पत्ति कर से छूट नहीं है, तो यह 60 प्रतिशत की दर बहुत अधिक है । दूसरी बात यह है कि छिपे धन के मामलों में विदेशी मुद्रा विनियमों का भी तो उल्लंघन किया गया होगा तो क्या स्वेच्छा से धन प्रकट करने वाले ऐसे व्यक्तियों पर विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग नहीं चलाया जायेगा। मैं नहीं चाहता कि उन से नरमी बरती जाये परन्तु जब हम ने एक योजना बनाई है तो वह पूर्ण, स्पष्ट और त्रुटिरहित होनी चाहिये, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें और छिपे धन को स्वेच्छा से प्रकट कर सकें । इस बारे में मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि आय-कर आयुक्त लोगों को करों का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा देते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया आय कर जांच आयोग ने भी अपनाई थी, और इस से मामलों को निपटाने में काफी सुविधा हो गई थी । अतः सरकार को मेरे इस सुझाव पर विचार करना चाहिये और लोगों को करों सम्बन्धी दायित्वों का भुगतान किस्तों में करने की सुविधा दी जानी चाहिये।

श्री हिम्मतसिंहका (गोंडा): श्री मुरारका ने स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है । मैंने संशोधन संख्या 55 में यह सुझाव किया है कि खण्ड 68 में जो 6 मास की अवधि का वर्णन है उसे बढ़ा कर 2 वर्ष कर दिया जाये ताकि लोगों को भुगतान करने में कठिनाई न हो। उन्हें कर सम्बन्धी दायित्व की $\frac{1}{2}$ राशि का भुगतान तुरन्त करने दिया जाये तथा शेष राशि का भुगतान सुविधाजनक किस्तों में इस शर्त पर करने दिया जाये कि वे ऐसा करने के लिए उचित गारंटी दें । मैं महसूस करता हूं कि यदि इस प्रकार समय बढ़ा दिया जायेगा तो शायद और अधिक लोग स्वेच्छा पूर्वक धन को प्रकट कर देंगे । जिस से तलाशियां करने तथा छापे मारने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करनेमें भ्रष्टाचार की जो गुंजाइश है वह भी नहीं रहेगी। इस से सभी सम्बन्धित पक्षों को लाभ होगा ।

श्री प्रभातकार (हुगली): छिपा धन हमारी अर्थव्यवस्था के लिये बहुत खतरनाक है इस से न ही हम मूल्यों पर और न ही हम ऋणों पर नियंत्रण कर पा रहे हैं। यह एक सुविदित तथ्य है कि बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों में वस्तुओं को खरीद कर एक तरफ रखने और फिर उन्हें स्वेच्छा से अपने मूल्यों पर बेचने के लिये हुंडियों में सौदे हो रहे हैं और रक्षित बैंक द्वारा ऋण पर नियंत्रण रखने के सभी प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं। अतः सरकार को इन लोगों से, जिन के पास छिपा धन है, धन निकालने के लिये कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। श्री मुरारका शायद यह आशा करते हैं कि यदि हम उन लोगों को कुछ और रियायतें दे देंगे तो वह इस काले धन को प्रकट कर देंगे। चूंकि उनको इस छिपे धन से काफी प्रतिलाभ हो रहा है अतः मेरे विचार में चाहे उन्हें कितनी भी रियायतें क्यों न दी जायें, वह इस काले धन को श्वेत बनाने के लिये कभी भी तैयार नहीं होंगे। अतः यह आवश्यक है कि इस दिशा में कुछ कड़े कदम उठाये जांय। समय की अवधि को बढ़ाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उन्हें जो 6 महीने का समय पहले दिया गया है वह पर्याप्त है। हो सकता है कि वित्त मंत्री की योजना संतोषजनक नहीं है। परन्तु श्री मुरारका द्वारा सुझाई गई योजना से भी सफलता नहीं मिलेगी। हमें कुछ कड़े उपाय करने ही पड़ेंगे जिस से यह लोग धन प्रकट करने पर मजबूर हो जांयें, जिन्होंने अपनी गतिविधियों द्वारा हमारी अर्थ-व्यवस्था, मुद्रा तथा महाजनी प्रणाली को पूर्ण रूप से अस्थ व्यस्थ कर दिया है।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर): छिपे धन को निकालने के बारे में माननीय वित्त मंत्री ने जो योजना हमारे सम्मुख प्रस्तुत की है उसका हमें पूरा समर्थन करना चाहिये। यदि हम इस योजना को बढ़ा देंगे अथवा इस योजना में इस प्रकार संशोधन करेंगे तो लोग समझेंगे कि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है। मेरे विचार में सारा देश इस मामले में चिंतित है और इसलिये सरकार को छिपे धन को यथासम्भव शीध्र बाहर निकालना चाहिये।

जहां तक श्री हिम्मतसिंहका के संशोधन का सम्बन्ध है, व्यक्तिगत रूप से मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यदि हम आयुक्त अथवा किसी सम्बद्ध अधिकारी को लोगों द्वारा भुगतान करने के बारे में समय को बढ़ाने का अधिकार दे देंगे तो इस से भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी। अतः मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह अपना संशोधन वापिस ले लें। माननीय वित्त मंत्री को अपनी योजना पर दृढ़ रहना चाहिये।

श्री अल्वारेस (पंजिम): मैं न ही श्री मुरारका के संशोधन से और न ही मूल खण्ड संख्या 68 से सहमत हूं। छिपे धन को निकालने के लिये अन्य तरीके अपनाये जा सकते हैं। विमुद्रीकरण के बारे में जो सुझाव था उसको न स्वीकार करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कारण नहीं बताये। 1948 में विमुद्रीकरण की नीति को अपनाया गया था। इसे अब पुनः क्यों नहीं अपनाया जाना चाहिये? मेरे विचार में बेईमान व्यवसायों तथा उद्योगपतियों को कोई रियायत देना देश तथा ईमानदार व्यवसायों तथा उद्योगपतियों के प्रति अन्याय होगा।

जहां तक श्री मुराका के संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उनकी इस धारणा से सहमत नहीं हूं कि यदि हम उनको कोई और रियायत देंगे तो अधिकांश लोग अपने छिपे धन के बारे में घोषणा कर देंगे। भुगतान करने के लिये अधिक समय दे देने से इन लोगों को अनुचित

लाभ होगा क्योंकि छिपे धन की इतनी भारी राशि से उन्हें काफी लाभ हो रहा है । अतः दोनों नैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से मूल खंड तथा श्री मुरारका जी के संशोधन का विरोध किया जाना चाहिये ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर): वित्त मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे । यदि मैं कहूं कि नैतिक सिद्धान्त की दृष्टि से यह सारा प्रस्ताव ही अमान्य है । मेरे विचार में उन्होंने यह प्रस्ताव कुछ व्यवहारिक कठिनाईयों के कारण प्रस्तुत किया है । इस योजना से कोई सफलता नहीं मिली है और जो कुछ श्री मुरारका तथा श्री हिम्मतसिंहका जी ने कहा है उस से ऐसा प्रतीत होता है कि इस से कोई सफलता नहीं मिलेगी । इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यदि श्री मुरारका तथा श्री हिम्मतसिंहका के संशोधनों को मान लिया जायेगा तो हमें इस योजना में सफलता मिलेगी । मेरे विचार में एक अवैध चीज को वैध बनाने में सभा को साथ नहीं देना चाहिये, क्योंकि वास्तव में यह सरकारी धनराशि का दुर्विनियोग करना ही है । कल को सरकार यह भी घोषणा कर सकती है कि यदि चोर अथवा डाकू जिन्होंने धन को लूटा है और जिन्होंने दुर्विनियोग (मिस-अप्रोपिऐशन) किया है, स्वेच्छा से यह धन दे देंगे तो उनको उसका 40 प्रतिशत अपने पास रखने का हक होगा, तो यह भी दुर्विनियोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। जब कि साधारण लोगों को आयकर न देने की हालत में इतना तंग किया जाता है तो इन लोगों से जो करों का भुगतान बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है ? वित्त मंत्री की व्यावहारिक कठिनाइयों की दृष्टि से सभा शायद इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी । मेरे विचार में कम से कम इस योजना को अब और नरम नहीं बनाया जाना चाहिये ।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यह योजना उन लोगों पर लागू होगी जो 27 फरवरी, 1965 से 31 मई, 1965 तक अपनी आय को घोषित करेंगे, परन्तु उन लोगों को, जिन्होंने इस इस विधेयक के सभा में लाये जाने से पूर्व अपनी स्वेच्छा से अपनी छिपी आय की घोषणा की होगी इस योजना से कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि ऐसे लोगों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ताकि वह भी इस योजना से लाभ उठा सकें ।

दूसरी बात यह है कि यह जो 60 प्रतिशत की दर रखी गई है यह उन लोगों के लिये तो ठीक है जो उच्च दर से आय कर देते हैं परन्तु उन लोगों को, जो निम्न दर से आयकर देते हैं, इस से हानि होगी। क्या इन लोगों को भुगतान की जाने वाली कर की दर में कुछ छूट नहीं दी जानी चाहिये । क्या इस बात पर विचार किया गया था ? मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर भी विचार करें।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : आदरणीय मित्र, डा० अणे की पहली बात के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में 27 फरवरी, को सोचा गया था और हम इस से पूर्व की अवधियों का पहले ही अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि कानून कभी कभी बुद्धिहीन होता है और इसे इस मामले में भी बुद्धिहीन ही होना पड़ेगा । इन व्यक्तियों के बारे में जो 60

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

प्रतिशत से कम दर से आयकर देते हैं जो उन्हें सामान्य कानून के अन्तर्गत छिपे धन की घोषणा करनी चाहिये और उस पर उतना ही कर देना चाहिये जितना उन्हें साधारणतया देना पड़ता । उन्हें इस घोषणा से लाभ उठाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करे क्योंकि मैं किसी अन्य संशोधन को मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री मुरारका : श्रीमन्, मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं ।

श्री हिम्मतसिंहका : श्रीमन्, मैं अपने संशोधन वापिस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन वापिस लेने के बारे में सभा की अनुमति ले ली है ?

संशोधन संख्या 209 से 212, 145, 146 और 228 सभा की अनुमति से वापिस लिये गये ।

Amendments Nos. 209 to 212, 145, 146 and 228 were, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 54, 55, और 56 सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है :

(एक) पृष्ठ 45, पंक्ति 22 में, "either" ("या") शब्द निकाल दिया जाये। (54) ।

(दो) पृष्ठ 45, पंक्तियों 24 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"(ii) furnishes adequate security for the payment thereof in accordance with sub-section (4) and undertakes to pay such income-tax within a period, not exceeding six months, from the date of the declaration as may be specified therein, or

(iii) on or before the 31st day of May, 1965, pays such amount as is not less than one-half of the amount of income-tax as compared at the said rate or furnishes adequate security for the payment thereof in accordance with sub-section (4), and in either case, assigns any shares in, or debentures of, a joint stock company or mortgages any immovable property in favour of the President of India by way of security for the payment of the balance, and undertakes to pay such balance within the period referred to in clause (ii)".

[(दो) उपधारा (4) के अनुसार उसका भुगतान करने के लिये पर्याप्त जमानत देता है और घोषणा की तारीख से, जो उस द्वारा उस में उल्लिखित की गई हो, 6 महीने के अन्दर अन्दर ऐसे आयकर का भुगतान करने का बचन देता है, अथवा ...]

["(तीन) ऐसी राशि का भुगतान 32 मई तक करता है जो कि उक्त दर से निर्धारित किये गये आय-कर की राशि के आधे से कम न हो अथवा उपधारा (4) के अनुसार उसका भुगतान करने के लिये पर्याप्त जमानत देता है और इन दोनों अवस्थाओं में शेष राशि का भुगतान करने के लिये

ज़मानत के रूप में संयुक्त स्कंध समवाय के शेयर अथवा प्रमाण-पत्र सौंपता है अथवा भारत के राष्ट्रपति के नाम किसी अचल सम्पति को गिरवी रखता है और ऐसी शेष राशि का खण्ड (2) में उल्लिखित अवधि में भुगतान करने का बचन देता है] " (55)।

(तीन) पृष्ठ 46, पंक्ति 16 में, "central" ["केन्द्रीय"] के बाद "or state" ["या राज्य "] शब्द रखे जायें । (56)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 68, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 68, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 68, as amended was added to the Bill.

खण्ड 69 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 69 was added to the Bill.

खण्ड 70--(1957 के अधिनियम 27 का संशोधन)

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :--

(एक) पृष्ठ 50, पंक्तियों 9 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :--

"(xx) the value of any equity shares held by the assessee in any company of the type referred to in clause (d) of section 45, where such shares form part of the initial issue of equity share capital made by the company after the 31st day of March, 1964, for a period of five successive assessment years commencing with the assessment year next following the date on which such company commences the operations for which it has been established."

["धारा 45 के खंड (घ) में उल्लिखित किस्म के किसी भी समवाय में, निर्धारिती द्वारा धारण किये गये किन्ही इक्विटी शेयरों का मूल्य जहां ऐसे शेयर 31 मार्च, 1964 के पश्चात् उस तारीख से, जिस दिन यह समवाय उस कार्य को आरम्भ करता है जिस के लिये इसकी स्थापना की गई हो, आगामी निर्धारण वर्ष से आरम्भ होकर 5 अनुक्रमिक निर्धारण वर्षों की अवधि के लिये जारी की गई आरम्भिक ईक्विटी शेयर पूंजी के भाग हों।"] (57)।

(दो) पृष्ठ 52, पंक्ति 18 में, "or" [अथवा] के पश्चात् "in either case" [दोनों अवस्थाओं में]" शब्द रखे जांय। (58)।

(तीन) पृष्ठ 52 पंक्ति 34 में,
"on" ["अथवा"] के पश्चात् "in each case"
"[प्रत्येक अवस्था में]" शब्द रखे जायें । (59)।

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 101 से 103 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपने संशोधन संख्या 165 तथा 167 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

श्री मी० रु० मसानी : श्रीमन्, मैं अपने संशोधन संख्या 103 के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह एक आश्चर्यजनक बात है कि ऐसे समय में, जब हमारे बड़े नगरों में मकानों की कमी है और इस कमी के कारण लोगों को विशेषतया मजदूर तथा निम्नमध्य वर्गों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बड़े नगरों में अचल सम्पत्ति पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर लगाने की क्या तुक है । इस से भवननिर्माण का कार्य बन्द पड़ जायेगा । लोगों को इस कार्य में प्रोत्साहन देने की बजाय निरुत्साहित नहीं किया जाना चाहिये। हमें अपने व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि नवयुवक सम्पत्ति को रहने के लिये मकान नहीं मिलता । हमें यह पहले ही पता है कि श्रमजीवी वर्ग बड़े शहरों में किन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। हमें गन्दी बस्तियों का भी पता है । इस स्थिति में हमें लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये कि वे बड़े बड़े नगरों में मकान बनायें । इस दण्डनीय कर से इस कार्य में बाधा पड़ेगी। जो लोग मकानों के स्वामी हैं उन पर पहले ही कर लगाया गया है । परन्तु अब बड़े शहरों में भू-सम्पत्ति पर अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है । यह कार्य समाज-विरोधी है तथा इस से लोगों को मकान आदि बनाने में प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । यह बात समझ में नहीं आती कि हितकारी काम के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर को लगाया जाये। इसलिये मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं ने संशोधन संख्या 165, 166, जो संशोधन संख्या 102 जैसा ही है तथा 167 प्रस्तुत किये हैं। जहां तक संशोधन संख्या 165 का सम्बन्ध है मैं इस में पंक्तियां 9 से 15 निकालने के बारे में प्रस्ताव कर रहा हूं और यह प्रस्ताव धारा 45 के खण्ड (घ) में उल्लिखित समवायों में अंशों के निवेश से सम्बन्ध रखता है । इस बात का कोई कारण नहीं है कि ऐसे लोगों को जिनके पास कि ऐसे अंश हैं, जो पहले जारी किये गये हैं, सम्पत्ति-कर से छूट न दी जाये। प्रश्न यह है कि पांच उत्तरोत्तर वर्षों तक यह छूट उपलब्ध होनी चाहिये। और कुछ निश्चित अवधि में नये उपक्रमों में लगाये गये धन को सम्पत्ति-कर में छूट मिलनी चाहिये ।

मेरे अगले संशोधन, संशोधन संख्या 166 तथा 167 का यह अभिप्राय है कि जहां तक हिन्दू अविभाजित परिवार का सम्बन्ध है जिस राशि पर सम्पत्ति कर लगना चाहिये, उसे दो लाख रुपये से बढ़ा कर तीन लाख रुपये कर दिया जाये तथा जहां तक किसी एक व्यक्ति का प्रश्न है इस से एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रूपया कर दिया जाये।

यह राशि क्रमशः 60,000 रुपये तथा 40,000 रुपये युद्ध-पूर्व की राशि के समान है। मेरे विचार में यदि आज किसी व्यक्ति के पास 40,000 रुपये हैं तो उसे अमीर नहीं कहा जा सकता। पिछले वर्ष तक एक अविभाजित हिन्दू परिवार के लिये सम्पत्ति-कर में छूट दिये जाने के लिये न्यूनतम सीमा चार लाख रुपये थी। मेरा यह सब कुछ कहने का अभिप्राय यह है कि मैं दाता बनकर किसी को कुछ उपहार नहीं देना चाहता परन्तु मैं चाहता हूं कि सम्पत्ति-कर में छूट देने के लिये वही राशि निर्धारित की जाये जो पहले थी।

श्री मुरारका : मैं इस उपबन्ध के बारे में एक या दो स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहला तो यह है कि सम्पत्ति-कर में यह छूट आरम्भ से ही दी गई थी। फिर वित्त अधि-नियम, 1962 द्वारा यह रियायत वापस ले ली गई और अब माननीय मंत्री 1 अप्रैल, 1963 के भूतलक्षी प्रभाव से यह रियायत फिर दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस अवधि में अंश खरीदे हैं, उन्हें इस विशेष छूट से क्यों वंचित रखा जा रहा है।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन के बारे में मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। वह कहते हैं कि यदि बाजार से भी अंश खरीदे गये हों तो भी यह रियायत दी जायेगी। इस योजना में यह नहीं दिया गया है कि ये अंश किस व्यक्ति से खरीदे जाने चाहियें। क्या एक अंशधारी दूसरे अंशधारी से ये अंश खरीद सकता है। फिर वित्त मंत्री का तीसरा संशोधन है जिस में यह कहा गया है कि यह रियायत उस तारीख से नहीं दी जायेगी जिस तारीख से कि अंश खरीदे गये हों परन्तु उस समय दी जायेगी जब समवाय उत्पादन आरम्भ करेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नई पूंजी को प्रोत्साहन देना था। परन्तु अब जब तक कि समवाय उत्पादन आरम्भ नहीं करता, यह रियायत नहीं दी जायेगी। उससे नई साम्यागत पूंजी-के बारे में आपका प्रोत्साहन देने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। केवल उन्हीं लोगों को लाभ होगा जो बाजार से अंश खरीदेंगे। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस की जांच करेंगे। ताकि लोगों को जब तक समवाय कोई उत्पादन आरम्भ नहीं करता, यदि लाभांश नहीं तो कम से कम, सम्पत्ति-कर में तो छूट मिल जाये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में "उत्पादन आरम्भ करने" इन शब्दों का अर्थ यही है कि समवाय किस तारीख से अपना कारोबार आरम्भ करता है। वास्तव में अभिप्राय यही है कि जब तक किसी व्यक्ति को सम्पत्ति से कोई आय न हो, उस समय तक उस पर कर नहीं लगना चाहिये। मैं ने भूतलक्षी प्रभाव से यह रियायत इसलिये दी है ताकि लोगों को अंश बेचने में सहायता मिले।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 101, 102 और 103 मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 101, 102 और 103 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये।

Amendments Nos. 101, 102 and 103 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री दाण्डेकर के संशोधन संख्या 165 तथा 167 मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 165 और 167 मतदान क लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

Amendment Nos. 165 and 167 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं

प्रश्न यह है :

(एक) पृष्ठ 50, पंक्तियां 9 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:--

"(xx) the value of any equity shares held by the assessee in any company of the type referred to in clause (d) of section 45, where such shares form part of the initial issue of equity share capital made by the company after the 31st day of March, 1964 for a period of five successive assessment years commencing with the assessment year next following the date on which such company commences the operations for which it has been established."

["धारा 45 के खण्ड (घ) में उल्लिखित किस्म के किसी भी समवाय में, निर्धारिती द्वारा धारण किये गये किन्हीं ईक्विटी शेयरों का मूल्य, जहां ऐसे शेयर 31 मार्च, 1964 के पश्चात् उस तारीख से, जिस दिन यह समवाय वह कार्य आरम्भ करता है, जिसके लिये इसकी स्थापना की गई है, आगामी निर्धारण वर्ष से आरम्भ हो कर पांच अनुक्रमिक निर्धारण वर्षों की अवधि के लिये जारी की गई आरम्भिक ईक्विटी शेयर पूंजी के भाग हों।"] (57)

(दो) पृष्ठ 52, पंक्ति 18 में "or" (अथवा) के पश्चात् "in either case" (दोनों अवस्थाओं में) शब्द रखे जायें। (58)

(तीन) पृष्ठ 52, पंक्ति 34 में

"or" (अथवा) के पश्चात् "in each case" (प्रत्येक अवस्था में) शब्द रखे जायें। (59)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 70, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 70, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 70, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 71 तथा 72 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 71 and 72 were added to the Bill.

खण्ड 73

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 73 के लिए एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया ।

Amendment made:

पृष्ठ 55, पंक्ति 7 में

"Unit Trust" (" एकक न्यास") के पश्चात् "of India"
("भारत का") शब्द रख दिये जायें । (60)

(श्री ति० त० कृष्णमाचारी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 73, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 73 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 73, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 74

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 74 पर आते हैं ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

(एक) पृष्ठ 58, पंक्तियों 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(8) Machine tools and precision tools (including their attachments and accessories, cutting tools and small tools), dies and jigs.

(9) Tractors, earth moving machinery and agricultural implements.

(10) Motor trucks and buses."

["(8) मशीनी औज़ार तथा सूक्ष्म औज़ार (जिनमें इनके संलाग तथा सहायक औज़ार, काटने के औज़ार तथा छोटे औज़ार भी सम्मिलित हैं) सांचे तथा जिग ।

(9) ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने वाली मशीनें तथा कृषि उपकरण ।

(10) मोटर ट्रक तथा बसें"] (61)

(दो) पृष्ठ 58, पंक्ति 4 में —

"(10)" के स्थान पर "(11)" रखा जाये । (62)

(तीन) पृष्ठ 58, पंक्ति 6 में —

"(11)" के स्थान पर "(12)" रखा जाये । (63)

(चार) पृष्ठ 58, पंक्ति 7 में "(12)" के स्थान पर "(13)" रखा जाये । (64)

(पांच) पृष्ठ 58, पंक्तियों 15, तथा 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :

"(14) Soda ash.

(15) Pesticides.

(16) Paper and pulp.
(17) Tea".

["(14) सोडा राख
(15) कीट नाशक दवाईयां
(16) कागज़ तथा कागज़ का गूदा
(17) चाय"] (65)

(छै) पृष्ठ 58, पंक्ति 17 में
"(15)" के स्थान पर "(18)" रखा जाये। (66)

(सात) पृष्ठ 58, पंक्ति 24, में
"(16)" के स्थान पर "(19)" रखा जाये। (67)

(आठ) पृष्ठ 58, पंक्ति 28 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :

"(20) Ships.
(21) Automobile ancillaries.
(22) Seamless tubes.
(23) Gears.
(24) Ball, roller and tapered bearings".

["(20) जहाज़
(21) मोटर गाड़ियों के पुर्जे
(22) बिना जोड़ की ट्यूब
(23) गीयर
(24) बॉल, रोलर तथा टेपर्ड बेयरिंग"] (68)

(नौ) पृष्ठ 58, पंक्ति 29 में
"(18)" के स्थान पर "(25)" रखा जाय। (69)

(दस) पृष्ठ 58, पंक्ति 36 के पश्चात् "(26) Cotton Seed Oil" (बिनौले का तेल) शब्द रखे जायें। (70)

श्री मी० रु० मसानी : श्रीमान्, मैं अपना संशोधन संख्या 104 प्रस्तुत करता हूं।

मेरा संशोधन संख्या 104 अधिकतम सीमा के बारे में है। कुछ समवायों के लिए वित्त विधेयक में निगम कर की अधिकतम सीमा 70 प्रतिशत रखी गई है। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह बताया गया था कि यह अधिकतम सीमा एक धोखा है। यह इसलिये धोखा है कि यह किन्हीं समवायों पर लागू नहीं होता। यदि वास्तव में ही सभी समवायों को यह लाभ पहुंचाना है तो यह उद्देश्य मेरे संशोधन द्वारा पूरा हो सकता है। मैंने अपने संशोधन में दो बातें रखी हैं। एक तो यह है कि यह सभी समवायों पर लागू होनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि अधिकतम सीमा घटा कर 70 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कर दी जाये। औद्योगिक दृष्टिकोण से उन्नत तथा समृद्ध बहुत से देशों में निगम कर की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत है। ब्रिटेन में यह सीमा 40 प्रतिशत है। इन सभी बातों की दृष्टि में अधिकतम सीमा घटा कर 50 प्रतिशत की जानी चाहिये। मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 104 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 104 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब सरकारी संशोधन संख्या 61 से 70 तक सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह कि :

(एक) पृष्ठ 58, पंक्तियों 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(8) Machine tools and precision tools (including their attachments and accessories, cutting tools and small tools) dies and jigs.

(9) Tractors, earth moving machinery and agricultural implements.

(10) Motor trucks and buses.

["(8) मशीनी औजार तथा सुक्ष्म औजार (जिसमें इनके संलाग तथा सहायक औजार, काटने के औजार तथा छोटे औजार भी सम्मिलित हैं) सांचे तथा ज़िग ।

(9) ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने वाली मशीनें तथा कृषी उपकरण ।

(10) मोटर ट्रक तथा बसें "] [61]

(दो) पृष्ठ 58, पंक्ति 4 में—

"(10)" के स्थान पर "(11)" रखा जाये [62]

(तीन) पृष्ठ 58, पंक्ति 6 में—

"(11)" के स्थान पर "(12)" रखा जाये [63]

(चार) पृष्ठ 58, पंक्ति 7 में,—

"(12)" के स्थान पर "(13)" रखा जाये । [64]

(पांच) पृष्ठ 58, पंक्तियों 15 तथा 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(14) Soda ash.

(15) Pesticides.

(16) Paper and pulp.

(17) Tea."

["(14) सोडा राख

(15) कीट नाशक दवाइयां

(16) कागज तथा कागज का गूदा

(17) चाय "] [65] ।

(छै) पृष्ठ 58, पंक्ति 17 में —

"(15)" के स्थान पर "(18)" रखा जाये [66]

[उपाध्य महोदय]

(सात) पृष्ठ 58, पंक्ति 24,

"(16)" के स्थान पर "(19)" रखा जाय [67]

(आठ) पृष्ठ 58, पंक्ति 28 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(20) Ships.
(21) Automobile ancillaries.
(22) Seamless Tubes.
(23) Gears.
(24) Ball, rollers and tapered bearings.".

["(20) जहाज;

(21) मोटर गाड़ियों के पुर्जे

(22) बिना जोड़ की ट्यूबें

(23) गीयर

(24) बाल, रोलर, तथा टेपर्ड बेयरिंग"] [68]

(नौ) पृष्ठ 58, पंक्ति 29 में ;—

"(18)" के स्थान पर "(25)" रखा जाये [69]

(दस) पृष्ठ 58, पंक्ति 36 के पश्चात् "(26) Cotton seed oil (बिनौले का तेल)" शब्द रखे जायें । [70]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 74, संशोधितरूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 74, संशोधितरूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 74, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 75 तथा 76 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 75 and 76 were added to the Bill.

खण्ड 77—विनियामक सीमा शुल्क

श्री नारायण दांडेकर : श्रीमान्, मैं इस खण्ड पर दो कारणों से आपत्ति उठा रहा हूं । प्रथम तो यह है कि इस खण्ड द्वारा कार्यपालिका को कानून बनाने का अधिकार दिया जा रहा है जो कि वास्तव में संसद् को प्राप्त है । इसलिये यह खण्ड नितान्त असंवैधानिक है । यह अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता ।

दूसरे यह कहा जा सकता है कि इस सभा ने 1963 तथा 1964 के वित्त विधेयकों में भी ऐसे उपबन्ध पारित किये थे । यह सद्भाव से किया गया था । परन्तु अनुभव से यह देखा गया कि जिस उद्देश्य से सरकार ने यह उपबन्ध रखा था वह पूरा नहीं हुआ । वास्तव में सरकार का उद्देश्य अधिक कर इकट्ठे करना है । इसलिये इस खण्ड का विरोध किया जाना चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : श्रीमन्, यह बात कि यह कर लगाने का अधिकार कार्यपालिका को नही है, इस सदन में नहीं उठायी जानी चाहिये। दूसरे माननीय सदस्य का अनुभव केवल प्रत्यक्ष करों के बारे में है। यह तो अप्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में है। संसद् द्वारा कार्यपालिका को दी गई शक्तियां एक सीमा में होती हैं। कार्यपालिका उसी सीमा के अन्दर ही करों को घटाती या बढ़ाती है। पूर्ण अधिकार तो फिर भी संसद् के पास ही होता है। यह कानून तो 1963 से चला आ रहा है। 1963 में मेरे माननीय पूर्वाधिकारी ने यह अधिकार वित्त विल पुरःस्थापित करते समय मांगे थे। मैंने इन अधिकारों का प्रयोग किया था। और अब मैंने इसे संसद् के सामने रखा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने भी ऐसे ही अधिकार कार्यपालिका को दे रखे हैं। हां, संसद् एक सीमा नियत कर देती है कि इससे अधिक शुल्क नहीं लगाया जाये। माननीय सदस्य इस के प्रति विरोध प्रकट कर सकते हैं, परन्तु इस प्रश्न को सिद्धांतरूप में उच्चतम न्यायालय ने भी न्याय-संगत माना है। अतः भारत सरकार संसद् से उचित अधिकार मांग रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 77 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 77 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 77 was added to the Bill.

खण्ड 78 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 78 was added to the Bill.

खण्ड 79 (1944 के अधिनियम 1 का संशोधन)

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपना संशोधन संख्या 105 प्रस्तुत करता हूं।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 13 ; विपक्ष में 102

Ayes 13; Noes 102

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 79 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 79 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 79 was added to the Bill.

खण्ड 80 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 80 was added to the Bill.

खण्ड 81

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 81 को लेते हैं ।

श्री नारायण दांडेकर : जो बात मैंने खंड 77 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिकार लेने के विरुद्ध कही थी वही मैं अब फिर दोहराता हूं ।

[**श्री सोनावने** पीठासीन हुए ।
SHRI SONAVANE *in the chair*]

इसके अतिरिक्त बात यह है कि ब्रिटेन में इस प्रकार के अधिकार पार्लियामेंट के अनुमोदन से प्राप्त किये गये थे जबकि यहां पर बजट प्रस्तुत होने से केवल दस दिन पहले राजस्व के लिये प्राप्त किये गये हैं । मेरे विचार में सरकार के लिये यह करना उचित नहीं । सरकार को ऐसे अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे इस विषय में और कुछ नहीं कहना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 81 विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 81 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 81 was added to the Bill.

खण्ड 82--(नमक शुल्क समाप्त करना)

श्री नारायण दांडेकर मैं अपना संशोधन संख्या 172 प्रस्तुत करता हूं । मैं यह संशोधन इसलिये लाया हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दूसरा उपखंड जोड़ दिया जाए । मैं नहीं जानता कि मैंने इसको ठीक प्रकार लिखा है या कि नहीं । इसका कारण यह है कि उत्पादन शुल्क अधिनियम तथा इससे सम्बद्ध नियम और विनियम इतने हैं कि एक साधारण व्यक्ति के लिये उन्हें समझना बहुत कठिन है । मेरे संशोधन का उद्देश्य जनसाधारण के प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुओं पर कर कम कराना है । मुझे आशा है कि सदन इन संशोधनों का अनुमोदन करेगा ।

श्री रंगा : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं और सभा से अनुरोध करता हूं कि इसको स्वीकार करे । इस से हमारे देश के निर्धन वर्गों को सहायता मिलेगी । आज माचिसें सभी छोटे बड़े घरों में प्रयोग में लायी जाती हैं । इसी लिये यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है । मिट्टी का तेल हमारे देश के गरीब लोग बहुत प्रयोग में लाते हैं । बड़े खेद की बात है कि सरकार ने इस पर भी कर लगा दिया है । यदि सरकार इस प्रकार प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली वस्तुओं पर कर लगाती गई तो लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं किया जा सकेगा । मिट्टी के तेल, कॉफी, चाय और साबुन आदि पर कर बढ़ा दिये गये हैं । इन चीजों का उल्लेख इन संशोधनों में है । इनके अतिरिक्त और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिन पर कर लगा हुआ है । डीज़ल तेल पर भी उत्पादन शुल्क है । इससे हमारे कृषि उत्पादन पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । मैंने इस शुल्क के विरुद्ध कई बार प्रश्न उठाया है परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ है । यदि सरकार हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लेगी तो सरकार के राजस्व में कोई विशेष अन्तर नहीं आयेगा । वित्त मंत्री का कल वाला वक्तव्य बहुत आशाजनक है । उसके अनुसार हम बिना नये कर लगाये पर्याप्त धन जुटाने में सफल हो जायेंगे । यदि यह बात ठीक है तो सरकार को करों में कमी करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

वह समय आने वाला है जब हमें लोगों के सामने जाना होगा। हमें अपने कामों के बारे में जनता को प्रभावित करना होगा। सरकार को इस बात को नहीं भूलना चाहिये। मिट्टी के तेल पर कर द्वारा आप 45 करोड़ रुपये एकत्र करना चाहते हैं। यदि गांधी जी आज जीवित होते तो वह अवश्य ही इसका विरोध करते। माचसों पर कर द्वारा 23 करोड़ रुपया एकत्र किया जायेगा। इसी प्रकार काफी, डीजल तेल आदि की भी बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन पर गम्भीरता से विचार करे और यदि ये शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किये जाते तो कम से कम हमारे संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Sir, I support this amendment. Government is levying taxes on things of daily use. It is not proper. Our Ministers spend very lavishly. They do this from public funds. This expenditure should be curtailed. The poor sections of society should be given some relief and taxes should not be levied on articles of common man's use. We are appealing to our people to remain united in this period of national emergency. In such circumstances it is all the more necessary that no burden is put on people. If you want to raise resources, you should enhance the duty on foreign liquor. It is not used by common man. I support this amendment.

श्री प्रभात कार (हुगली) : नमक पर कर समाप्त करना जनकल्याण के हित का कार्य है। सरकार को इसके अतिरिक्त और भी कई चीजों पर कर समाप्त कर देना चाहिये। मिट्टी का तेल एक ऐसी वस्तु है जो सभी लोग विशेष रूप से गांवों के लोग प्रयोग में लाते हैं। मेरे विचार में इस पर शुल्क समाप्त नहीं तो कम अवश्य किया जाना चाहिये। हम वित्त मंत्री से प्रार्थना करते हैं कि माचसों, मिट्टी के तेल, नमक पर शुल्क कम करें और देश में जनसाधारण को राहत दें। अधिक आय वाले वर्गों को पहले ही रियायतें दे दी गई हैं। मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अल्वारेस : मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में संशोधन दो कारणों से किया जाना चाहिये पहला साधारण लोगों को सहूलियत देने के सम्बन्ध में है और दूसरा इस कारण से कि इस बात का पता लगाया जाये कि वित्त मंत्री द्वारा लगाये गये नये कर किस प्रकार युक्तियुक्त हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

कुछ समय पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था कि वह समूचे कराधान प्रस्तावों को दोषरहित बनाना चाहते हैं। वह यह तर्क देते हैं कि क्योंकि मिट्टी का तेल आयात की एक महत्वपूर्ण मद है, इस लिये उस पर कोई राहत नहीं दी जा सकती। वित्त मंत्री ने उद्योग को विभिन्न मदों पर उत्पादन शुल्क में 29.68 करोड़ रुपये की राहत दी है और उपभोक्ताओं की वस्तुओं पर 16.58 करोड़ रुपये का उत्पादन शुल्क लगाया है। इस प्रकार वित्त मंत्री ने 13 करोड़ के राजस्व का स्वविवकीय ढंग से त्याग कर दिया है और ऐसा करते हुये साधारण व्यक्तियों के सम्बन्ध में नहीं सोचा है। उद्योग को प्रोत्साहन देना और इसके साथ ही यह तर्क देना कि वित्त की आवश्यकता के कारण मिट्टी के तेल पर शुल्क कम नहीं किया जा सकता, युक्तिपूर्ण बात नहीं है। इस लिये मैं मिट्टी के तेल सम्बन्धी संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस खंड में केवल यही कहा गया है कि नमक पर शुल्क नहीं लगाया जायेगा और इस में कोई कर नहीं लागू किया गया है। यह किसी विशष धारा का संशोधन नहीं है। इस लिये मैं इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दे सकता।

श्री नाथ पाई : माननीय मंत्री ने प्रथम बार इस सभा में कहा है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। शायद उन्होंने यह मान लिया है कि जो कुछ कहा गया है उसकी दृष्टि से वह इस विशेष प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते हैं। वह संशोधन स्वीकार क्यों नहीं कर लेते और इसे वापिस क्यों नहीं ले लेते ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं खंड 82 वापिस नहीं ले सकता। मैं 12 करोड़ रुपये छोड़ नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 172 मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 24 ; विपक्ष में 115

Ayes 24; Noes 115.

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

The Amendment was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 82 विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 82 विधेयक का अंग बना।

Clause 82 was added to the Bill.

खण्ड 83 विधेयक का अंग बना।

Clause 83 was added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर सरकार के कई संशोधन हैं। हम इन सब पर एक साथ विचार करेंगे।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(एक) पृष्ठ 65, पंक्ति 16 में, "in the case of" ["के मामले में"] शब्दों के स्थान पर "where such person is (जहां एसा व्यक्ति") शब्द रखे जायें। [71]

(दो) पृष्ठ 66, पंक्ति 10 में, "Government" ["सरकार"] शब्द के पश्चात् "or income received in respect of units from the **Unit** Trust of India under the Unit Trust of India Act, **1963,"** ["अथवा यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के विभिन्न यूनिटों से प्राप्त आय"] शब्द रखे जायें। [72]

(तीन) पृष्ठ 66, पंक्ति 28 में, Government ["सरकार"] शब्द के पश्चात् "and income received in respect of units from the Unit Trust of India under the Unit Trust of India Act, 1963," ["और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के विभिन्न यूनिटों से प्राप्त आय"] शब्द रखे जायें। (73)

(चार) पृष्ठ 67, पंक्ति 29 के अन्त में यह शब्द जोड़ जायें :—

"Provided that—

(i) no income-tax shall be payable on a total income not exceeding Rs. 3,000; and

(ii) where the total income is twenty thousand rupees or less, the income-tax payable shall not exceed forty per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 3,000".

["परन्तु उसके साथ शर्त यह है कि :—

(1) यदि कुल आय 3,000 रुपये से अधिक न हो तो उस पर कोई आयकर नहीं लगेगा ; और

(2) जब कुल आय बीस हजार रुपये से कम हो, तो आय-कर उस राशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जो कुल आय और 3,000 रुपये का अन्तर है"] (74)

(पांच) पृष्ठ 77, पंक्ति 30 के स्थान पर यह शब्द रखे जायें :—

"(8) Machine tools and precision tools (including their attachments) and accessories, cutting tools and".

["(8) मशीन औज़ार और सूक्ष्म औज़ार (उनके संलागों सहित) और उपसहायक, काटने वाले औज़ार"] (75)

(छै) पृष्ठ 77, पंक्ति 32 के स्थान पर यह शब्द रखे जायें :—

"(9) Tractors, earth-moving machinery and agricultural implements;

(10) Motor trucks and buses".

["(9) ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने वाली मशीनें और कृषि-उपकरण।
(10) मोटर ट्रक और बसें"] (76)

(सात) पृष्ठ 77, पंक्ति 33 में संख्या "(10)" के स्थान पर संख्या "(11)" रख दी जाये। (77)

(आठ) पृष्ठ 77, पंक्ति 35 में संख्या "(11)" के स्थान पर संख्या "(12)" रख दी जाये। (78)

(नौ) पृष्ठ 78, पंक्ति 1 में संख्या "(12)" के स्थान पर संख्या "(13)" रख दी जाये। (79)

(दस) पृष्ठ 78, पंक्ति 7 के अन्त में यह रख दिया जाय :

"(14) Soda Ash;

(15) Pesticides".

["(14) सोडा राख

(15) कीट नाशक"] (80)

(ग्यारह) पृष्ठ 78, पंक्ति 8 में संख्या "(13)" के स्थान पर संख्या "(16)" रख दी जाये। (81)

(बारह) पृष्ठ 78, पंक्ति 9 में संख्या "(14)" के स्थान पर संख्या "(17)" रख दी जाये। (82)

(तेरह) पृष्ठ 78, पंक्ति 10 में संख्या "(15)" के स्थान पर संख्या "(18)" रख दी जाय। (83)

(चौदह) पृष्ठ 78, पंक्ति 15 में संख्या "(16)" के स्थान पर संख्या "(19)" रख दी जाये। (84)

(पन्द्रह) पृष्ठ 78, पंक्ति 18 के स्थान पर यह रख दिया जाये :—

"(20) Ship.

(21) Automobile ancillaries

(22) Seamless tubes

(23) Gears

(24) Ball, roller and taper bearings."

["(20) जहाज़

(21) मोटर गाड़ी के सहायक पुर्जे

(22) बिना जोड़ के ट्यूब

(23) गीयर

(24) बाल, रोलर ग्रोर टेपर्ड बेयरिंग"] (85)

(सोलह) पृष्ठ 78, पंक्ति 19 में संख्या "(18)" के स्थान पर संख्या "(25)" रख दी जाये। (86)

(सतरह) पृष्ठ 78, पंक्ति 25 के ग्रन्त में यह शब्द रखें जायें :—

"(26) Cotton seed oil.

["(26) बिनौले का तेल"] (87)

श्री मी० रु० मसानी: मैं ग्रपने संशोधन संख्या 106, 107 तथा 113 से 119 तक प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 173 से 190 तक प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं संशोधन सख्या 88 तथा 90 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री प्रभातकार : मैं अपना संशोधन संख्या 150 प्रस्तुत करता हूं :

श्री द० जी० नायक : मैं संशोधन संख्या 109 से 112 तक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मी०रु० मसानी : श्रीमान्, संशोधन संख्या 106 का उद्देश्य वित्त विधेयक में पृष्ठ 64 पर दिये गये आय-कर के वर्तमान दरों के स्थान पर नई अनुसूची रखता है ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इस संशोधन के अनुसार मैं उन व्यक्तियों से आयकर बिल्कुल हटाने का प्रस्ताव रखा है जिनकी पूर्ण आय 6,000 रुपये से अधिक नहीं है । मेरी इस बात के साथ भी सहानुभूति है कि 10,000 रुपये की आय पर बिल्कुल आय-कर नहीं लगना चाहिये । 6,000 रुपये से अधिक आय वालों के लिये अधिक उचित दरें निर्धारित की जानी चाहिये जैसा संशोधन संख्या 106 में सुझाव दिया गया है । इस समय कम आय वाले वर्गों को बहुत अधिक बोझ सहन करना पड़ता है । यदि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाय तो आय-करदाता को पिछले वर्ष दिये जाने वाले कर से आधा देना पड़ेगा । यह संशोधन सामाजिक न्याय के लिये है । इस लिये मुझे आशा है कि सभा सामाजिक न्याय के आधार पर इस संशोधन का समर्थन करेगी ।

दूसरा संशोधन सं० 116 है जो जीवन बीमा निगम द्वारा कर दिये जाने के बारे में है । यह कर बिल्कुल अनुचित है क्योंकि यह उस धन पर लगाया जाना है जो जन साधारण अपने बीमे की किस्तों के रूप में जमा करवाया जाता है । यह लोग अंश-धारी नहीं हैं । मेरा कहना है कि यह संशोधन बहुत ही समाजवादी है, क्योंकि यदि यह कर न लगाया गया तो इन लोगों को अधिक 'बोनस' मिलेगा । इस लिये मेरा सुझाव है कि यह संशोधन मान कर यह कर बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिये ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरे संशोधनों की संख्या 173 से 178 है और संक्षेप में मुझे निवेदन करना है कि अविभाजित हिन्दू परिवारों की आय पर कोई कर नहीं लगाया जाना चाहिये और कर-मुक्त आय की सीमा 6,000 रुपये से बढ़ा कर 8,000 की जानी चाहिये । और सभी मामलों में कम से कम धन-राशि की मात्रा 3,000 रु० से बढ़ा कर 5,000 रु० की जानी चाहिये । अविवाहित, विवाहित तथा परिवार वाले व्यक्तियों के लिये भी छूट की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिये ।

अब मैं अदिभार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । मेरा निवेदन है कि पृष्ठ संख्या 66 पर पहली 39 पंक्तियों तथा पृष्ठ सं० 67 पर पहली 7 पंक्तियों में से सारे का सारा अदिभार हटा दिया जाना चाहिये । सरकार भी अब समझने लगी है कि अर्जित अथवा अनर्जित आय में किसी वैज्ञानिक तरीके से भेद करना कठिन है । इस लिये मेरा संशोधन संख्या 179 बहुत से मामलों में यह भेद समाप्त करने के बारे में है ।

मेरा अगला संशोधन सं० 180 सहकारी समितियों के बारे में है जिस द्वारा कोई भी अधिभार नहीं लिया जाना चाहिये ।

अगला संशोधन संख्या 181 पंजीकृत फर्मों को कर अथवा अधिभार से मुक्त करने के बारे में है । क्योंकि एक फर्म पर कानून द्वारा कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचाया जाता इस लिये इन पर करारोपण बिल्कुल न्यायोचित नहीं है ।

[श्री नारायण दांडेकर]

इसी प्रकार मेरा अगला संशोधन (सं० 182) स्थानीय प्राधिकारों को हर प्रकार के कर अथवा अधिकार से मुक्त करना है ।

जैसा श्री मसानी ने कहा जीवन बीमा निगम भी कर से मुक्त होनी चाहिये । हां अन्य प्रकार की बीमा कंम्पनियों पर कर लगाया जा सकता है । मेरे इस सुझाव का आधार जीवन बीमें में व्यक्तियों का परस्पर लाभ के लिये धन लगाना है ।

निगमित क्षेत्र के कम्पनियों के सम्बन्ध में मेरा पहला संशोधन सं० 183 है । मेरा सुझाव कर को 80 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत करना है । इस प्रकार जहां आज 70 अथवा 74 प्रतिशत कर वसूल किया जा सकता है वहां मेरा संशोधन स्वीकार होने के बाद यह 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

मेरे संशोधन सं0 184 और 185 कुछ प्रविधिक प्रकार के हैं । संशोधन सं0 184 का संबंध किसी विदेशी व्यवसाय द्वारा एक भारतीय व्यवसाय से अधिकार शुल्क (रायलटीस) की कुल आय के सीमा दर पर छूट से है ।

संशोधन स0 186, विदेशी व्यवसायों के तकनीकी सहायता समझौते के अधीन भारतीय व्यवसायों द्वारा तकनीकी सहायता शुल्क पाने के बारे में है । पता नहीं 29 फरवरी 1964 से पूर्व तथा बाद में हुए ऐसे समझौते में भेद करने का क्या कारण है । मेरा सुझाव यह तिथि तथा भेद हटाने का है ।

मेरा संशोधन सं0 187 काफी बड़ा है । इसका संबंध भारतीय कारपोरेशन टैक्स के ढ़ांचे से है । सीमा दर तथा राहत आदि समाप्त होनी चाहिये तथा बोनस कर भी समाप्त होना चाहिये ।

कम्पनियों के अंशधारियों को मिलने वाले लाभांशों पर लिया जाने वाला कर भी समाप्त होना चाहिये ।

आशा है कि मेरे संशोधनों को सभा का समर्थन प्राप्त होगा ।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : मेरा संशोधन संख्या 88 का सम्बन्ध सहकारिताओं पर आय-कर से है । मेरा सुझाव है कि सहकारिताओं की कर मुक्त आय की सीमा 5,000 रु0 से बढ़ा कर 10,000 रु0 की जानी चाहिये । 10,000 से 12,500 रु0 तक केवल 20 प्रतिशत दर कर लिया जाना चाहिये और 25,000 रुपये से अधिक आय का केवल 40 प्रतिशत भाग पर ही कर लिया जाना चाहिये ।

मेरा दूसरा संशोधन (संख्या 90) फर्मों तथा समवायों पर कर लगाने सम्बन्धी है । मेरा सुझाव है कि जहां एक भागीदार हो वहां छूट 10,000 रु0 होनी चाहिये और जहां दो हों वहां बीस हज़ार रुपये आदि । इस से मध्यम आय वाले वर्ग तथा छोटे व्यापारियों आदि को राहत मिलेगी ।

श्री दे० जी० नायक (पंचमहल) : श्रीमान्, मेरे संशोधन सहकारी समितियों के बारे में हैं और मैं श्री सर्राफ से इस मामले में पूरी तरह सहमत हूं । मेरा सुझाव है कि कर 15 तथा 20 हजार रुपयों

के बीच 10 प्रतिशत तथा इस से ऊपर 25 प्रतिशत होना चाहिये। जैसा श्री शर्राफ ने कहा इन समितियों को काफी राहत मिलनी चाहिये। इस लिये यह संशोधन स्वीकार किये जाने चाहिये।

श्री प्रभातकार (हुगली) : मेरे संशोधन की संख्या 150 है। इसका मुख्य ध्येय निश्चित आय वाले वर्ग को जो सब से नीचे के स्तर वाला हो, कुछ राहत देना है। क्योंकि इस वर्ग के लोगों पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ सबसे अधिक पड़ता है और मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं, इसलिये उन्हें राहत देने की बहुत आवश्यकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरा यह संशोधन स्वीकार किया जाए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Sir, I support the amendment moved by Shri Masani regarding granting relief to Co-operatives. In my view the proposed ceiling of Rs. 6,000 is quite proper and should be agreed to 1700 Co-operative Societies have failed due to losses. I would, therefore, request that in the interest of encouraging co-oprative movement the ceiling of Rs. 3,000 should be raised to Rs. 6,000.

श्री छ० म० केदरिया (मांडवी) : श्रीमान्, मैं श्री नायक के संशोधनों का समर्थन करता हूं जो सहकारी समितियों के बारे में हैं। क्योंकि यह समितियां लोक हित का कार्य करती हैं इस लिये इन पर कर लगाना न्यायोचित नहीं है। इस लिये इन्हें कर से मुक्त किया जाना चाहिये।

सहकारी समितियों का उद्देश्य मुनाफाखोरों तथा दलालों का समाप्त करना है। अतः सहकारी समितियों के कार्यों को अधिक सुदृढ़ करने के लिये वित्त मंत्री को हमारा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये और आय-कर भी बढ़ा देना चाहिये। मैं एक पिछड़े हुए क्षेत्र से आ रहा हूं और मैं जानता हूं कि आदिवासी कभी भी जंगल के ठेकेदारों का कार्य करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। परन्तु अब वे सहकार कार्य के कारण जंगल के ठेके ले रहे हैं। अन्त में मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह सहकारी समितियों को आय कर से मुक्त कर दें।

श्री फिरोडिया (अहमदनगर) : 1961 में जब श्री मोरारजी देसाई ने सहकारी समितियों पर कर लगाने के लिये विधेयक पेश किया तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से जो राजस्व प्राप्त होगा वह नगण्य होगा। अतः सहकारी समितियों पर कर नहीं लगना चाहिये महाराष्ट्र में 1950 में सहकारी क्षेत्र में कुछ चीनी की मिलें खोली गईं। 10 वर्ष उपरान्त आय-कर अधिकारी इन मिलों पर इस प्रकार कर लगाया कि सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम दरों को उसने अधिकतम माना और उससे अधिक जो चीनी की मिल ने दिया, उस पर कर लगा दिया। सहकारी समितियों पर कर लगाते समय आपको सहकारी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखना चाहिये। अतः मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि हमें सहकारी चीनी की मिलों पर अधिक कर नहीं लगाना चाहिये और छोटी फैक्टरियों पर तो बिल्कुल कर नहीं लगना चाहिये क्योंकि अच्छे लेखापाल और आय-कर विशेषज्ञ रखने के लिये उनके साधन पर्याप्त नहीं हैं। अतः कर से छूट की सीमा को 3,000 रुपये से बढ़ा कर 10,00 रुपये हो जानी चाहिये।

Shri Tulsidas Jadhav (Nauded): I support the demand that the co-operative sector should not be taxed. On the one hand you

[Shri Tulsidas Jadhav]

have adopted a policy of Socialism and it has been mentioned in Article 46 of the Constitution:

"राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों के विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों के शोषण से संरक्षण करेगा।"

Now because of the lowering of the taxation limit for the co-operative sector, it is shy to enter the processing industries. Generally, it is the poor tillers, labourers, who pool their petty resources, take loan from the Government and form co-operative societies; they have to pay 4 to 5 per cent interest on the loan received from the Government. If the Government taxes the co-operative sector, I do not know how it can promote Socialism? I want that this sector should not be taxed. It is considered that the sugar factories yield lot of profit. But now that the rates of sugar have been fixed, the margin of profit has been reduced very much. Therefore the Government should revise the policy of taxing the co-operative sector.

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ।

श्री ति० त० कृष्णामचारी : दो संशोधनों के प्रस्ताव दिये गये हैं जिनमें यह सुझाव दिये गये हैं कि सहकारी समितियों के लिये 15,000 से कम आय पर कोई कर नहीं लगना चाहिये। सीक्योरिटियों पर सूद से आय और सम्पत्ति से जो आय होगी उस पर भी कर नहीं लगेगा। सामान्यतः छोटी सहकारी समितियों को कोई कर नहीं देना पड़ता और बड़ी समितियों को भी कुछ विशेष उद्योगों के लिये कर नहीं देना पड़ता। अतः मेरे विचार में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि श्री श्यामलाल सर्राफ के संशोधन को मैं स्वीकार कर लूं तो जिन सहकारी समितियों की आय 10,000 से 25,000 रुपये तक है उनको अधिक कर देना पड़ेगा।

चीनी के कारखानों पर और कारखानों की अपेक्षा कम कर लगाया जाता है। निम्नलिखित व्यवसाय वाली सहकारी समितियों पर भी कोई कर नहीं लगाया जाता। बैंक का व्यवसाय अथवा ऋण देने वाली समितियां, कुटीर उद्योग, कृषि उत्पादों को बेचना, कृषि उपकरणों, बीजों तथा ढोर पशुओं का क्रय करना, केवल दूध सप्लाई करने वाली समितियां तथा गोदाम को किराये पर दे कर आय प्राप्त करने वाली समितियां। यदि कोई समिति गृह-निर्माण अथवा परिवहन का कार्य नहीं कर रही और उसकी आय 20,000 रुपये से कम है तो उस पर भी कोई कर नहीं लगेगा। परन्तु इसके बावजद भी कुछ समितियों को कठिनाई का अनुभव हो रहा है तो मैं माननीय से मिल कर उस के बारे में विचार कर सकता हूं।

पजीकृत फर्में जो कर देती हैं उसके अनुपात में उसके भागीदारों को आय कर में कुछ रियायत मिल जाती है। क्योंकि इस प्रकार लेखे के कार्य में बहुत वृद्धि हो जाती है; इससे बचने के लिए श्री सर्राफ के सुझाव पर भी विचार किया जा सकता है कि पंजीकृत

फर्मों पर कर भागीदारों की संख्या के अनुपात में होना चाहिये। परन्तु फिलहाल तो यह कर है और भागीदारों को रुपया वापिस भी मिल जाता है, यद्यपि उन्हें इसे लेने में काफी असुविधा होती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने जीवन बीमा निगम पर कर लगाने के सम्बन्ध में कुछ कहा था। हम जीवन बीमा निगम की सम्पत्ति तथा अतिरेक पर कर लगाते हैं। यह उनकी नियमित आय पर नहीं बल्कि उनकी सम्पत्ति के मूल्य में जो वृद्धि हुई है, उस पर कर लगाया गया है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : यह सम्पत्ति पर नहीं बल्कि अतिरेक पर कर है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह उनकी परिसम्पत्ति के मूल्यांकन पर कर है। यदि उनकी परिसम्पत्ति का मूल्य कम हो जाता है तो उनको उतनी छूट दे दी जाती है। अतः मेरे विचार में जीवन बीमा निगम को कर से छूट नहीं मिलनी चाहिये।

इस वित्त विधेयक में मैं ने व्यक्तिगत आय पर कर की कमी कर दी है परन्तु इससे यह आवश्यक हो गया है कि एक लाख से ऊपर की आय पर अतिरिक्त कर लगाया जाय। अतः हमने एक लाख की आय से ऊपर 5 प्रतिशत 2 लाख से ऊपर 10 प्रतिशत और 3 लाख से ऊपर 15 प्रतिशत अधिकर लगा दिया है। अनुपार्जित आय के लिये 15,000 रुपये तक कोई कर नहीं लगाया जायेगा और मेरे विचार में यह अनुचित नहीं है। कम आय वाले लोगों पर 4,300 रुपये से ऊपर कर लगाया जाता है; परन्तु यदि किसी व्यक्ति की पत्नी और दो बच्चे हों, तो 5,000 रुपये की आय पर उसे केवल 25 रुपये देने पड़ेंगे। कम आय के लोगों को कुछ और सुविधायें देने पर भी सरकार विचार कर रही है। जो व्यक्ति केवल अपने आप रोजी कमा रहे हैं उनको पेंशन तथा आवास देने के लिये फंड बनाया जा रहा है। निगमित करों में भी हमने 16 करोड़ रुपये की रियायत दी है, न कि 5 या 6 करोड़ जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा है। इससे अधिक रियायत देना मेरे लिये संभव नहीं है। जो कम्पनियां अपनी आरक्षित पूंजी को पूंजी में लगा देती हैं उनको इस पर कर देना पड़ेगा क्योंकि उनको इस पर लाभ हो सकता है।

निगमित करों में इसलिये रियायत दी जा रही है जिससे वह धन को दोबारा विकास कार्यों में लगायें। गैर-सरकारी समवाय एक बार जब लाभांश घोषित कर देते हैं तो उनको वह देना पड़ता है। अतः पूंजी विनियोजन के लिये करों में जो हम रियायत दे रहे हैं वह अनुचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या 71 से 77 तक मतदान के लिये प्रस्तुत करूंगा। प्रश्न यह है कि :

(एक) पृष्ठ 65, पंक्ति 16 में, "in the case of" ["के मामले में"] शब्दों के स्थान पर "where such person is" ["जहां ऐसा व्यक्ति"] शब्द रखे जायें। (71)

(दो) पृष्ठ 66, पंक्ति 10 में "Government" ["सरकार"] शब्द के पश्चात्

[अध्यक्ष महोदय]

"or income received in respect of units from the Unit Trust of India under the Unit Trust of India Act, 1963,". ["अथवा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के विभिन्न यूनिटों से प्राप्त आय"] शब्द रखे जायें। (72)

(तीन) पृष्ठ 66, पंक्ति 28 में, "Government" ["सरकार"] शब्द के पश्चात् "and income received in respect of units from the Unit Trust of India under the Unit Trust of India Act, 1963,".

["और यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के विभिन्न यूनिटों से प्राप्त आय"] शब्द रखे जायें। (73)

(चार) पृष्ठ 67, पंक्ति 29 के अन्त में यह शब्द जोड़े जायें :—

"Provided that—

(i) no income-tax shall be payable on a total income not exceeding Rs. 3,000; and

(ii) where the total income is twenty thousand rupees or less, the income-tax payable shall not exceed forty per cent of the amount by which the total income exceeds Rs. 3,000"

["परन्तु उसके साथ शर्त यह है कि—

(1) "यदि कुल आय 3,000 रुपये से अधिक न हो तो उस पर कोई आय-कर नहीं लगेगा ; और

(2) जब कुल आय बीस हजार रुपये से कम हो, तो आय-कर उस राशि के 40 प्रतिशत शत से अधिक नहीं होगा जो कुल आय और 3,000 रुपये का अन्तर है"] (74)

(पांच) पृष्ठ 77, पंक्ति 30 के स्थान पर यह शब्द रखे जायें—

"(8) Machine tools and precision tools (including their attachments) and accessories, cutting tools and".

["(8) मशीन औजार और सूक्ष्म औजार (उनके संलागों सहित) और उप-सहायक, काटने वाले औजार"] (75)

(छ) पृष्ठ 77, पंक्ति 32 के स्थान पर यह शब्द रखे जायें :—

"(9) Tractors, earth-moving machinery and agricultural implements;

(10) Motor trucks and buses".

["(9) ट्रैक्टर, मिट्टी हटाने वाली मशीनें और कृषि-उपकरण ;

(10) मोटर ट्रक और बसें"] (76)

(सात) पृष्ठ 77, पंक्ति 33 में संख्या ("10") के स्थान पर संख्या ("11") रख दी जाये। (77)

(आठ) पृष्ठ 77, पंक्ति 35 में संख्या ("11") के स्थान पर संख्या ("12") रख दी जाये। (78)

(नौ) पृष्ठ 78, पंक्ति 1 में संख्या ("12") के स्थान पर संख्या ("13") रख दी जाय। (79)

(दस) पृष्ठ 78, पंक्ति 7 के अन्त में यह रख दिया जाय :

"(14) Soda Ash;

(15) Pesticides".

["(14) सोडा राख

(15) कीट-नाशक"] (80)

(ग्यारह) पृष्ठ 78, पंक्ति 8 में संख्या ("13") के स्थान पर संख्या ("16") रख दी जाये। (81)

(बारह) पृष्ठ 78, पंक्ति 9 में संख्या ("14") के स्थान पर संख्या ("17") रख दी जाये। (82)

(तेरह) पृष्ठ 78, पंक्ति 10 में संख्या ("15") के स्थान पर संख्या ("18") रख दी जाय। (83)

(चौदह) पृष्ठ 78, पंक्ति 15 में संख्या ("16") के स्थान पर संख्या ("19") रख दी जाय। (84)

(पन्दरह) पृष्ठ 78, पंक्ति 18 के स्थान पर यह रख दिया जाय--

"(20) Ships
(21) Automobile ancillaries
(22) Seamless tubes
(23) Gears
(24) Ball, roller and tapered bearings."

["(20) जहाज

(21) मोटर-गाड़ी के सहायक पुर्जे

(22) बिना जोड़ के ट्यूब्स

(23) गीयर

(24) बॉल, रोलर और टेपर्ड बेयरिंग"] (85)

(सौलह) पृष्ठ 78, पंक्ति 19 में संख्या ("18") के स्थान पर संख्या ("25") रख दी जाय। (86)

[अध्यक्ष महोदय]

(सत्तरह) पृष्ठ 78, पंक्ति 25 के अन्त में यह शब्द रखे जायें :—

"(26) Cotton seed oil.

["(26) बिनौले का तेल"] (87)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पहली अनुसूची के सभी संशोधन मतदान के लिए रखूंगा। संशोधन संख्या 180, 181, 182, 183, 187 और 190 क्रमशः संशोधन संख्या *113*, 114, 115, 117, 118 और 119 के समान हैं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 88, 90, 106, 107, 109 से 119, 150 और 173 से 179 और 184 से 189 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 88, 90, 106, 107, 109 to 119, 150 and 173 to 179 and 184 to 189 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पहली अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई।

The First Schedule, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

The Second Schedule was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

"तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।"

The Third Schedule was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं। सरकार ने इतना ऋण ले लिया है कि केवल सूद ही जो 1954 में 42 करोड़ था 1964 में 351 करोड़ रुपये हो गया था ।

सरकार विदेशों से लिये गये ऋण का ब्याज चुकाने के लिये समय समय पर करों में वृद्धि करती रही है । सरकार मिट्टी के तेल, दियासलाई, चाय, कहवा, साबुन आदि चीजों पर उत्पादन-शुल्क हटाने में असफल रही है । उक्त पांच वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क के सम्बन्ध में रखे गये युक्तियुक्त हमारे प्रस्तावों को सरकार ने स्वीकार नहीं किया । हमने यह भी सुझाव दिया था कि आय-कर सम्बन्धी छूट की सीमा बढ़ा कर 6,000 रुपये कर दी जाये परन्तु सरकार ने इसे भी स्वीकार नहीं किया। सरकार का यह दावा गलत है कि वह समाजवादी है । यह अपने लिये तथा अपने निगमों के लिये अधिकाधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है और इस प्रकार अपने कर्मचारियों तथा नौकरशाही को अधिक अधिकार देना चाहती है । परन्तु लोगों के कल्याण के लिये कुछ नहीं करना चाहती इसके विपरीत मेरे जैसे लोगों ने हमेशा गांधीवादी समाजवाद का समर्थन किया है । परन्तु चूंकि इन लोगों ने इसको गलत अर्थों में अपनाना चाहा है इसलिये हम इसके समाजवाद का समर्थन नहीं करते हैं। यह सरकार अपने आप को समाजवादी कहती है । हालांकि पिछले 10 वर्षों में करों में $4\frac{1}{2}$ गुना ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज में चार गुना, तथा उत्पादन-शुल्कों में 8 गुना वृद्धि हुई है । मैं पूछना चाहता हूं कि करों की इस वृद्धि के साथ साथ क्या लोगों के जीवनयापन के स्तर में भी कोई वृद्धि हुई है ? जहां कहीं भी चले जाओ, सभी लोग चाहे वे निवृत्ति वेतन भोगी हैं, चाहे वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हैं यही शिकायत करते हैं कि उनके जीवनयापन के स्तर में कोई अन्तर नहीं पड़ा है । करों के भार तथा मुद्रास्फीति के कारण लोगों की आय से कुछ नहीं बचता । मध्यम श्रेणी के लोगों का यह हाल है तो किसानों और मजदूरों तथा अन्य लोगों की दशा का आप अन्दाज लगा सकते हैं कि क्या होगी। लोगों के जीवनयापन के स्तर को ऊंचा करने की बजाये उन्हें और गरीब बनाया जा रहा है ।

[श्री रंगा]

सरकार इनसे 827 करोड़ रुपये तो केवल उत्पादन-शुल्क के रूप में ले लेती है जोकि प्रतिरक्षा तथा प्रशासन पर होने वाले व्यय के बराबर है । इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता जिससे हम इस वित्त विधेयक तथा आयव्ययक प्रस्थापनाओं का समर्थन करें ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा दल इस सरकार तथा सत्तारूढ़ दल का इस सदन में और देश में संसदात्मक तथा लोकतन्त्रात्मक तरीके से विरोध करता है और यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम इनकी असफलताओं को प्रकाश में लायें और लोगों को बतायें कि यह सरकार वास्तव में समाजवादी नहीं है, यह गांधीवादी नहीं है । यह सरकार लोगों को गरीब बनाना और देश को वित्तीय तथा सामाजिक रूप से नष्ट करना चाहती है ।

कच्छ-सिन्ध सीमा की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SITUATION ON KUTCH-SIND BORDER

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं ने कुछदिन पूर्व कच्छ-सिन्ध सीमा विवाद के सम्बन्ध में शान्तिपूर्ण समझौता करने के लिये ब्रिटिश प्रधान मंत्री, श्री हरोल्ड विल्सन द्वारा की गई पहल का उल्लेख किया था। इस सम्बन्ध में जो प्रगति हुई है वह यह है कि गत रात ब्रिटिश उच्च आयुक्त से ब्रिटिश प्रस्तावों का अग्रेतर ब्यौरा प्राप्त हुआ है । यह ब्यौरा कल पाकिस्तान सरकार को भी भेजा गया था। लार्ड माऊंटबेटन ने, जिन्होंने भारत की यात्रा पूर्णरूप से एक भिन्न प्रयोजन के लिये की थी, इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं रखे हैं ।

हम इन सुझावों पर मूल सिद्धांतों के आधार पर जो मैंने पहले ही सभा के समक्ष रख दिये थे, विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों के व्योरे के बारे में कोई सार्वजनिक रूप से वक्तव्य देना उचित नहीं होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में राजनयिक माध्यम से विचार-विमर्श अभी जारी है । यह अनिवार्य है कि पाकिस्तान बलप्रयोग की धमकी देना छोड़कर अपने सैनिकों को उन स्थानों से हटा लें जिन पर उनका पहले कब्जा नहीं था। कई दिनों से वहां पर लड़ाई बन्द है । जबकि शांतिपूर्ण समझौता करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं, हमारी सशस्त्र सेना स्थिति को बिगांड़ने के लिये कुछ नहीं करेगी जब तक कि दूसरी ओर से उन्हें उत्तेजित नहीं किया जायेगा ।

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या प्रधान मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि उन्होंने अपने अन्तिम वाक्य में जो निष्कर्ष निकाले हैं उनमें और युद्ध विराम में क्या अन्तर है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : युद्धविपाम का अर्थ युद्ध विराम की नियमित घोषणा करना है । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब तक युद्ध पूर्व यथास्थिति को लाने के सिद्धांत को नहीं माना जायेगा तब तक युद्ध-विराम नहीं होगा। मैं ने अपने वक्तव्य के अन्त में यह कहा है कि अभी वहां पर लड़ाई बन्द है, फिर भी कभी कभी गोलाबारी होती रहती है । कोई नहीं जानता कि किस समय लड़ाई छिड़ जाये, परन्तु इस समय वहां पर शान्ति है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : क्या हमने, वास्तव में, इस आशा से कि ब्रिटेन द्वारा किये गये प्रयत्नों के सफल होने की सम्भावन है, उन पर निर्भर करते हुए लड़ाई बन्द कर दी है ? क्या प्रधान मंत्री को यह वक्तव्य नहीं देना चाहिये कि हमने व्यवहारिक

रूप से युद्धविराम को मान लिया है और यदि हां, तो क्या यह प्रधान मंत्री द्वारा देश को दिये गये आश्वासन के विरूद्ध नहीं है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, नहीं। जैसा कि मैं ने बताया कि यह सुझाव दिया गया था कि जहां तक हो सके वहां पर शांति बनाई रखी जाये। जहां तक मुझे पता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पाकिस्तान कभी कभी गोली चला देता है, परन्तु उन्होंने बड़े पैमान पर कोई उद्वेजक कार्यवाही नहीं की है। अलबत्ता हमने भी कोई प्रतिकारात्मक कार्यवाही नहीं की है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सच है कि जनवरी, 1960 में मंत्री स्तर पर जो सम्मेलन हुआ था, उसके अंत में जारी की गई विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ यह भी कहा गया था कि दोनों देश कच्छ-सिन्ध सीमा विवाद को निपटाने के लिये अग्रेतर तथ्यांक एकत्र करने के कुछ समय बाद बातचीत करने पर सहमत हो गये हैं; और यदि हां, तो क्या तथाकथित झगड़े के बारे में बाद में बातचीत हुई थी? क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि उस समय कोई झगड़ा था? क्या प्रधान मंत्री जी को इस विज्ञप्ति तथा इस तथाकथित झगड़े का पता था जब उन्होंने इस वर्ष मार्च में अथवा कुछ समय बाद कच्छ के बारे में अपना वक्तव्य दिया था?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी, हां। जो कुछ आपने कहा है वह पूर्ण रूप से सही हैं। यह सब कुछ वदेशिक-कार्य मंत्री द्वारा 8 अप्रैल को दिये गये वक्तव्य में कहा गया था। परन्तु जो कुछ मैंने कहा है वह यह है कि चाहे कोई भी मतभेद हो इसका सम्बन्ध केवल सीमा-रेखा से है। हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि हमारे और पाकिस्तान के बीच किसी किस्म का कोई राज्य क्षेत्रीय झगड़ा है। अलबत्ता सीमा-रेखा के बारे में बातचीत की जा सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : क्या यह सच है कि लन्दन के एक समाचार के अनुसार पाकिस्तान तथा भारत में युद्ध बन्द करने पर सहमत हो गये हैं और ब्रिटिश प्रधान मंत्री आज रात को हाउस आफ कामन्स में एक वक्तव्य देंगे? प्रधान मंत्री का इस से इस कथन का क्या आशय है कि "जब तक कि उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं की जाती"। पाकिस्तान ने हमारे राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है क्या यह उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं है? क्या हम उन्हें वहां से खदेड़ने की कोई कार्यवाही नहीं करेंगे?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक उत्तेजनात्मक कार्यवाही का सम्बन्ध है यह तो केवल समय का प्रश्न है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम उन्हें वहां से निकालने का हर प्रयत्न करेंगे। जहां तक युद्ध-विराम के बारे में समझौते की बात है, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है। मैं यह भी बता दूं कि वास्तव में ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने एक सप्ताह के लिये युद्ध बन्द करने के बारे में एक औपचारिक प्रस्ताव रखा था, परन्तु हमने उसे रद्द कर दिया था?

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : क्या यह सच है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री यह चाहते थे कि जब तक कोई नई उत्तेजनात्मक अथवा आक्रमका कार्यवाही नहीं की जाती तब तक शांति बनाई रखी जानी चाहिये; और यदि हां, तो क्या हमने ब्रिटिश प्रधान मंत्री के इस सुझाव को मान लिया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह सच है कि उन्होंने यह सुझाव दिया था । परन्तु हम महसूस करते हैं कि जब तक यह बातचीत जारी रहेगी और जब तक पाकिस्तान वर्तमान स्थिति को बिगाड़ने का प्रयत्न नहीं करेगा तब तक हम भी ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे स्थिति में कोई बिगाड़ पैदा हो ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Mr. Speaker, in a Pakistani map circulated to all Members of Parliament to-day morning, Ding, Kanjarkot, Sardar Post, Wigkot, Biar Bet, Karimshahi, Gulu Talab and Chand have been shown as parts of Pakistan. Have Government brought this to the notice of the countries of the world that these maps are incorrect and we are not prepared to negotiate with Pakistan untill and unless these places are vacated by them?

Shri Lal Bahadur Shastri: In so far as getting these places vacated, is concerned, our policy is very clear that so far as these territories are not vacated by them, there will be no cease-fire. As regards sending of maps to foreign countries, we have already sent maps along with a pamphlet.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): To-day the position is this that Pakistan is occupying our territory and the peace makers say that there should be a cease-fire. We have practically agreed to their proposal and are not taking any action. For how long this situation will remain and after how many days we take action to drive them out?

Shri Lal Bahadur Shastri: This situation will end soon. We have already told the British Prime Minister that we cannot afford to wait for a number of days. There is no doubt about it that we will settle this matter very soon.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The various statements made by the Prime Minister at different places during one week are contradictory. In a statement made by him in Lok Sabha he said that the question of any talk did not arise so long as the *status-quo ante* was not brought about. In Rajya Sabha he said that we could not wait for a very long time in this matter. But at one place he said that we would get Kanjarkot vacated in 5-6 months' time. I want to know after all what is in his mind? The Britishers want to prolong the matter so that the area is submerged under sea-water and no change is brought about in the present position. The country should at least be told as to when this area would be got vacated and for how long we would have to go on pocketing this insult?

Shri Lal Bahadur Shastri: I do not understand as to how far it is proper for the hon. Member to say all this. We should exercise some self restraint at this juncture. So far as time is concerned, as I said, we want to settle this matter without any delay and it was due to this fact that we have to say that we are unable to tolerate any further delay in this matter. As regards cease-fire, there will be no cease-fire unless the principle of restoration of the *status quo ante* is also agreed to. At the same time they will have to be accepted that while cease-fire would be brought about immediately, but the actual vacation of the area would take some time.

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के अन्त में कहा कि जब तक हमें उत्तेजित नहीं किया जायगा तब तक हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे स्थिति में कोई बिगाड़ पैदा हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारे क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की निरन्तर उपस्थिति उत्तेजनात्मक कार्यवाही है अथवा नहीं और क्या हमें यह जो अपमानजनक तथा निरर्थक साहित्य और नक्शे जिनमें हमारे क्षेत्र को पाकिस्तान में दिखाया गया है, मिल रहे हैं, क्या यह उत्तेजनात्मक कार्यवाही है अथवा नहीं ; और यदि यह उत्तेजनात्मक कार्यवाही नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह कौनसी कार्यवाही है जो भारत सरकार को उत्तेजित करेगी जिससे कि वे प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने पर मजबूर हो जाये, जबकि अभी बातचीत भी चल रही हो ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बातचीत जारी रहेगी तब तक हमारी सेनायें स्थिति को नहीं बिगाड़ेंगी। अन्यथा हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे क्या उत्तरदायित्व हैं और हम क्या करना चाहते हैं। साहित्य अथवा नकशों के के बारे में मैं छानबीन करूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Shri Wilson and his friend, Shri Johnson are either ignored about India or they want to make India a scape goat. This is clear from their policy in regard to North Vietnam; while they are ready to start firing there, but they did not attack Chinese forces when they attacked India. I want to urge upon the Government to declare that there would be no cease-fire unless the Kanjarkot and other areas are taken back from Pakistanis.

Shri Lal Bahadur Shastri: I have already made it clear that we are not ready to part with an inch of our territory and we would not hesitate to do whatever is necessary for that.

वित्त विधेयक, 1965—जारी

FINANCE BILL, 1965—*contd.*

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : वित्त विधेयक में बहुत सी असंतोषजनक बातें हैं और मैं इससे प्रसन्न नहीं हूं। परन्तु मैं उन सब बातों का उल्लेख न करके केवल एक ह विशेष बात के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह वित्त मंत्री के ध्यान में लाया गया है कि संयुक्त राज्य अमरीका से जो हम वित्तीय-व्यवहार करते रहे हैं इससे न केवल हमारी अर्थ-व्यवस्था को परन्तु हमारे देश की स्वतन्त्रता तथा विकास को धक्का पहुंचा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वित्त मंत्री ने बताया कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत जो सौदे हुए हैं उनसे हमारी अर्थव्यवस्था को मुद्रास्फीति सम्बन्धी कोई खतरा नहीं है। इसको भी यदि मैं मान लूं क्योंकि मुद्रास्फीति के और कई कारण हैं। 20 नवम्बर, 1964 तक पी० एल० 480 के अन्तर्गत लगभग 1421.9 करोड़ रुपये के सौदे हुए हैं। 80 करोड़ रुपये गैर-सरकारी उपक्रम के लिए उपलब्ध किये गये हैं और 105.3 करोड़ रुपये अमरीकी सरकार के भारत

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

में होने वाले खर्च के लिये रखे गये हैं। हाल ही में हुए कच्छ में संकट के संदर्भ में हमने देख लिया है कि अमरीका सरकार की नीति का क्या स्वरूप है।

अमरीका जो हमें अनाज दे रहा है क्योंकि यह उन के पास इतना फालतू है कि वहां पर मूल्यों को बनाये रखने के लिये उन्हें इसे कहीं न कहीं फेंकना ही पड़ता चाहे समुद्र में और चाहे कहीं और। दूसरों को सहायता देने में अमरीका सरकार की उदारता समझ आ सकती थी यदि उसने अपना फालतू अनाज खाद्य तथा कृषि संगठन के हवाले कर दिया होता और तब भारत जैसे देश इसका लाभ उठा सकते। भारत में अमरीकी दूतावास के लिए 105.3 करोड़ रुपयों की जो व्यवस्था की गई है, यह आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से देश के लिये खतरनाक है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये अनाज से न तो यहां मूल्य स्थिर हो पाये हैं और न ही इससे हमारी समीकरण भण्डार योजना में कोई प्रगति हो सकी है। इन आयातों का परिणाम यह निकला है कि हमने अपने आंतरिक साधनों से अधिक अनाज का उत्पादन करने की बजाये अमरीका पर निर्भर करने लगे हैं और इस प्रकार दूसरों पर निर्भर रहना बहुत खतरनाक बात है। क्या सरकार ने कभी इस बात का भी पता लगाने का प्रयत्न किया है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत किये गये सौदों का हमारी अर्थ व्यवस्था तथा हमारी स्वतन्त्रता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ? मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस मामले की पूरी छानबीन करेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : कुछ ही क्षणों के पश्चात् वित्त विधेयक, संशोधित रूप में पारित हो जायेगा और वित्त मंत्री की सभी आशायें पूरी हो जायेंगी। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मैं छोटे-मोटे संशोधन अथवा छोटी-मोटी रियायत से संतुष्ट नहीं हो सकूंगा।

स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्य ने करों के बारे में जो कुछ कहा मैं उस से सहमत नहीं हूं क्योंकि मेरे विचार से वित्त मंत्री ने जो पहले ही छूट दे दी है वह पर्याप्त है और इस से अधिक छूट देना सम्भव नहीं है।

मेरे विचार से इस में थोड़ा बहुत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है परन्तु माननीय वित्त मंत्री को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। चाहे उन्होंने इतना प्रयत्न किया है परन्तु फिर भी इस समय हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ नहीं हुई है। हमारे उद्योगों का इतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिये था।

हमारी राष्ट्रीय आय में भी आशानुसार वृद्धि नहीं हुई है। वस्तुओं के मूल्य भी चढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने महंगाई भत्ते भी दिये हैं तथा वैयक्तिक आय पर आयकर में भी कुछ छूट दी है। परन्तु इन लाभों से क्या होता है जब कि मूल्यों में इतनी वृद्धि हो रही है। इस लिये मेरे विचार से इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक चीज पर फिर से विचार करना चाहिये।

हमारी चौथी योजना एक विशाल योजना है। परन्तु यदि हम ने उन्नति करनी है तो इस से छोटी योजना पर हम निर्भर नहीं कर सकते।

मैं चौथी योजना का उल्लेख इस लिये कर रहा हूं क्योंकि मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि हम 22,000 करोड़ रुपये की चौथी योजना का आयोजन करना चाहते हैं उस समय विभिन्न राज्यों के बजट में कमी हो रही है । इसलिए ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं ।

आजकल हमारे बजट प्रस्ताव चीन तथा पाकिस्तान के रुख को देख कर निर्धारित किये जाते हैं । इस लिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह फिर से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देश को बतायें कि हम इस समय हुई उत्पन्न चुनौती का वहां तक मुकाबला कर सकते हैं । यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस से तो कुछ नहीं हो सकता है । हमें तो विशेष गम्भीर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और अब समय नहीं है जब हम अमरीकी सहायता की बात कर सकेंगे । अब हमें एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना चाहिये तथा इधर-उधर से किसी सहायता की मांग नहीं करनी चाहिये । यह कारण है कि मैं सहायता के समर्थन में नहीं हूं । परन्तु हमारी अर्थ व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं जो हम इन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें । इस लिये मैं फिर यही निवेदन करूंगा कि इस पर फिर से विचार किया जाये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): The hon. Finance Minister has put charges against me.

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक का तीसरा पठन है ।

Dr. Ram Manohar Lohia: This is the Finance Bill. The hon. Finance Minister....

उपाध्यक्ष महोदय : आप वित्त विधेयक के बारे में बात करें ।

Dr. Ram Manohar Lohia: He had said that his sons have not acquired property. He has also said that I have indulged in character assassination of his family. Besides that he has also said that he wants to bring this case before a court of law. But I may tell him that he can file a suit against me anywhere he likes on what I say here in Lok Sabha.

He should also think that his words can injure my personal feelings. When he says that I am telling a lie, he should first think as to what I have said on the Finance Bill. All that I had said was that though octroi duty has been reduced yet, the prices of textiles have gone up. His Ministry had said that prices have never increased anywhere. So, true as well as untrue things are always said. In spite of all these things he says that he has not taken any body's money, he has not taken any body's wife.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

Dr. Ram Manohar Lohia: What for you are saying order, order.

He says: "I have not taken any man's money; I have not taken any body's wife". What is that?

Shri Kishen Pattnayak: The hon. Finance Minister had said these words in this very House.

उपाध्यक्ष महोदय : आप तो वैयक्तिक आरोप लगा रहे हैं ।

Dr. Ram Manohar Lohia: Why are you compelling me to speak in English. If any body takes any body's wife according to the provisions of law then I am not concerned. But if anybody takes somebody else's wife when she is not divorced then it would be said here that....

श्री विद्याचरण शुक्ल (महासमंद) : यह वित्त मंत्री पर वैयक्तिक आरोप है । इस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये । इस को कार्यवाही के वृतान्त से निकाल देना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस से सभा के विशेषाधिकारों का हनन होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस का वित्त विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

Dr. Ram Manohar Lohia: I don't know what happens**

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे इस पर बहुत आपत्ति है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप विधेयक का विरोध करना चाहते हैं तो करिये परन्तु ऐसे आरोप मत लगाइये ।

Dr. Ram Manohar Lohia: The Minister has cast aspersion on my character. He has abused me. When I speak the truth....

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं अपनी व्यवस्था के प्रश्न पर मैं आपका निर्णय चाहता हूं ।

Dr. Ram Manohar Lohia: I always try....

Shri Kishen Pattnayak: Please ask him to resume his seat first. He is wasting our time.

Dr. Ram Manohar Lohia: Let Shri Krishnamachari ask his men to stop talking.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । उनका व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य वित्त मंत्री पर जो आरोप लगा रहे हैं क्या इस का सम्बन्ध वित्त विधेयक के तीसरे वाचन से है । यदि आप यह मानते हैं कि अभी जो चर्चा हुई है वह असंगत है तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि उसे कार्यवाही के वृत्तान्त से निकाल दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह असंगत है । इसे कार्यवाही के वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा । आप कृपया विधेयक पर बोलें ।

Shri Kishen Pattnayak: This cannot be expunged. There are rules for expunction of the proceedings. You are saying something against the Rules of Procedure and the Constitution. You cannot stifle our voice in this manner.

** अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

**Expunged as orderd by the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं।

श्री रंगा : आप असंगत बातों को कैसे निकाल सकते हैं। यदि वे अश्लील हों तो और बात है।

Dr. Ram Manohar Lohia: There is an end to everything ...

उपाध्यक्ष महोदय उस भाग को निकाल दिया जायेगा। मैंने निकालने के लिए आदेश दे दिये हैं।

श्री कोया (कोजीकोड) : वह किसी की पत्नी के बारे में माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का उल्लेख कर रहे थे। क्या उस को भी कार्यवाही के वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारा उस से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia: I would like the Finance Minister to think about what I have observed. He should have some patience and let me go on.

An hon. Member: What he says is objectionable.

Shri Kishen Pattnayak: There is nothing objectionable in it. Why are you wasting the time of the House? Are you his "Dalal".

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति आप बैठ जाइये। यदि आप नहीं बैठते हैं, तो मुझे कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं श्री लोहिया से प्रार्थना करता हूं कि वह वित्त विधेयक के बारे में बोलें।

Dr. Ram Manohar Lohia: Shri Krishnamachari should ask his party men not to speak more.

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह बहुत आपत्तिजनक बात है।

Shri Kishen Pattnayak: What is objectionable about it?

श्री सोनावने (पढेंरपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्री किशन पटनायक ने "दलाल" शब्द का प्रयोग किया है जो आपत्तिजनक है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है वह बहुत ही आपत्तिजनक है। इस लिये या तो उन्हों को उसे वापिस ले लेना चाहिये या इसे कार्यवाही के वृतान्त से निकाला जाना चाहिये। यह शब्द न केवल अशिष्ट है बल्कि यह तो सदस्य के रूप में मेरे चरित्र पर लांछन करता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अशिष्ट नहीं है।

Dr. Ram Manohar Lohia: The third thing that the Minister should keep in mind is that unless expenses are checked, we cannot save capital for the industries.

The Members of the family of the Ministers should not be allowed to start a business where Government sanctions permits for business purposes.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें। अन्य सदस्यों ने तो 5 या 7 मिनट लिये हैं परन्तु आप ने 15 मिनट ले लिये हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia: Shri Krishnamachari has injured my feelings. He has called me 'Hitler'.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० लोहिया को अब अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

Dr. Ram Manohar Lohia: In case, silence is observed I will finish in two minutes.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनको दो मिनट और दे देता हूं।

Dr. Ram Manohar Lohia: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have charges not only against the Finance Minister, but all the Members of the Government are such**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री यहां पर नहीं हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : वह इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। आप इस प्रकार नहीं बोल सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia: Mr. Deputy-Speaker, Sir, why don't you listen to me. The Central Cabinet Committee.... (Interruptions).

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से आप को नहीं चलने दूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia: Sir, you have not taken the right decision.

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : इन शब्दों को कार्यवाही के वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिये।

Shri Chandramani Lal Chaudhry (Mahna): On a point of order, Sir. My leader Shri Lohia just now**. I think it is not proper. This is absolutely wrong. It should be expunged.

श्री पें० वेंक्टासुब्बया (अडोनी) : इन शब्दों को निकाल दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने शब्दों को वापिस लें।

Dr. Ram Manohar Lohia: Which words.

उपाध्यक्ष महोदय : या तो आप अपने शब्द वापिस ले लें या मैं उन्हें निकाल दूंगा।

Dr. Ram Manohar Lohia: You may do whatever you like.

उपाध्यक्ष महोदय : उनको निकाल दिया जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia: You expunge everything.

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): We chalk out plan after plan but they are not completed according to schedule and thus the work remains incomplete. What is the use of such plans then? We spend so much for the construction of bunds but they are washed away. So, I don't think that we should overburden the public with taxes for the completion of these plans. They are already overburdened. The taxes in 1951-52 were to the tune of Rs. 903 crores while in 1962-63 they went on to Rs. 2164 crores. So, the public is taxed indiscriminately. Moreover Rs. 1710 crores were required to be spent on the plans but Rs. 2400 crores were realised. So what was the need of further taxation. The relief given to Government servants was not in commensuration with the rise in prices.

As has been said, much amount was spent for the setting up of companies. Seven power houses were to be set up during the three plans but only three have been commissioned so far. There was also a loss of Rs. 18 crores on sugar in the year 1962-63. In the export of groundnut oil there was a loss of Rs. 2.13 crores. Then what is the use of such plans when the public has to suffer so much and they do not get even the necessities of life.

There was loss of Rs. 84 lakhs in Rourkela Steel Plant and Rs. 45 lakhs in Bhilai Steel Plant. When by spending so much on these plants we have to suffer a loss, then what is the use of this investment? It would have been better if that amount could be utilised in the manufacture of atom bomb. Therefore all that I want to say is that we should not spend any amount on such items which do not yield profit. When we ask for the amount for defence purposes it is said that it is not available though it is spent on such items which are not profit-giving.

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरे विचार से तो अब वित्त विधेयक समाप्त हो गया है । .

Shri Sheo Narain (Bansi): May I draw the attention of the hon. Finance Minister towards the payment on account of the three Plans?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । कृपया बैठ जाइये ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वित्त विधेयक अब समाप्त हो गया है तथा जो प्रश्न पूछे गये हैं मैंने उनके बारे में कुछ नहीं कहना है । मैं केवल माननीय मित्र प्रो. मुकर्जी द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दूंगा ।

Shri Onkar Lal Berwa: I think there is no answer to my question with you.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उन्होंने ऐसा प्रश्न किया है जिस पर मतभेद हो सकता है । उन्होंने कहा है कि मुझे अमरीकी सहायता पसन्द नहीं है । परन्तु मेरे विचार से तो यह कहना ठीक नहीं है कि पी. एल. 480 के अधीन मंगाये गये अनाज, कपास तथा अन्य वस्तुओं से सहायता नहीं मिली है । इन वस्तुओं ने तो हाल ही में हुए संकट में बहुत ही सहायता की थी । इस के लिए हम उनके बहुत आभारी हैं ।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

पी. एल. 480 के अधीन जो धन हमें मिलता है उसका अधिकांश भाग निर्माण कार्यों पर व्यय किया जाता है । इस बारे में अमरीका और भारत सरकारों के बीच समझौता हो चुका है । इस में कोई सन्देह नहीं कि कुछ राशि अमरीकी दूतावास को दे दी जाती है परन्तु मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि अमरीकी सरकार भी इस से खुश नहीं है । इसलिये ऐसा विचार किया जा रहा है कि इस धन को भारत के विकास कार्यों के प्रयोग में लाया जाये जिस के लिए अमरीका तथा भारत दोनों मान गये हैं ।

प्रो. रंगा ने कहा है कि भारत सरकार ने अच्छे काम नहीं किये हैं । परन्तु मैं उनको बताना चाहता हूं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी हम ने जो कुछ पिछले सत्रह वर्षों में किया है वह सराहनीय ही है । हम कोई दिवालिये तो नहीं हैं मेरा इससे यह तात्पर्य नहीं है कि हम सहायता के बिना चल सकते हैं । क्योंकि यदि हमें सहायता नहीं मिलती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए या तो हमें अधिक परिश्रम करना पड़ेगा या ऐसी वस्तुओं के बिना गुजारा करना पड़ेगा जिनका निर्यात करना इतना आवश्यक न हो । इस लिये योजना को नया रूप दिया जाना चाहिये । परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस देश के लोगों को सहायता मिलते हुए, जो अब मिल भी रही है, हम दिवालिये नहीं बन सकते हैं ।

मैं अपने मित्र श्री ओंकार लाल बेरवा को यह कहना चाहता हूं कि हम प्रगति कर रहे हैं । भिलाई, दुर्गापुर तथा रूरकेला से भी हमें लाभ होगा तथा हो रहा है । जब उन में पूरी क्षमता से काम होना आरम्भ हो जायेगा तो वे संसार में आदर्श कारखाने होंगे ।

Shri Onkar Lal Berwa: Let they be completed one by one.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : उपलब्ध धन के पुनर्वितरण के लिए जो सरकार ने प्रयत्न किया है तथा जिस का सभा तथा जनता ने समर्थन किया है उस के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided:

पक्ष में 111 ; **विपक्ष में** 6

Ayes 111; Noes 6.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात लोक-सभा बृहस्पतिवार, 6 मई, 1965/वैशाख, 16, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 6, 1965/Vaisakha 16, 1887 (Saka).

GMGIPND--LSIII--738 Ai LSD--3-8-65--600